खण्ड–26, अंक–03
बुधवार, 24 आषाढ़, शक संवत्, 1931
(15 जुलाई, 2009 ई०)

उत्तराखण्ड विधान सभा

की

कार्यवाही

–: 0 :–

(अधिकृत विवरण)

(द्वितीय विधान सभा)
(द्वितीय सत्र, 2009)

उत्तराखण्ड विधान सभा

(खण्ड 26 में 10 अंक हैं)

उत्तराखण्ड विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की, उत्तराखण्ड (भारत)
2012

मूल्य–

विषय–सूची

विषय	पृष्ठ–संख्या
उपस्थिति	'क'
नियम–310 के अन्तर्गत कतिपय विषयों को सुने जाने की माँग ...	1–2
प्रश्नोत्तर	2–59
नियम–300 के अन्तर्गत सूचनाएं	59–60
जनपद हरिद्वार में ग्राम पंचायत की बंजर भूमि पर अनुसूचित जाति एवं गरीबों को पट्टे आवंटित करने के सम्बन्ध में...	60
जनपद रूद्रप्रयाग के अन्तर्गत अगस्त्यमुनि; जगोट, कमसाल अम्बेडकर मोटर मार्ग पर हेडुला बैण्ड से जगोट मोटर मार्ग का विस्तारीकरण एवं डामरीकरण करने के सम्बन्ध में	60–61
उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री रामचन्द्र जोशी के निधन पर शोकोद्गार	62–67
उत्तराखण्ड द्वितीय विधान सभा की आश्वासन समिति (2008–09) का चौदहवां प्रतिवेदन (प्रस्तुत)	67
जनपद देहरादून के विकास खण्ड रायपुर के अन्तर्गत लोअर नत्थनपुर, एकता एन्क्लेव स्ट्रीट न0–1 की सड़क के चौड़ीकरण के सम्बन्ध में याचिका (उपस्थापित)	68
जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड दुगड्डा करैंखाल से गोदी (बड़ी) मोटर मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में याचिका (उपस्थापित)	68
जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड एकेश्वर के अन्तर्गत मटेलना के पुल से पिलखेरा–मैणा–सगोड़ा होते हुए ईड़ाखाल तक अधूरे मोटर मार्ग निर्माण के कार्य को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में याचिका (उपस्थापित)	68
जनपद चमोली के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र कर्णप्रयाग के राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बरतोली के उच्चीकरण के सम्बन्ध में याचिका, (उपस्थापित)	68

विषय	पृष्ठ–संख्या
जनपद हरिद्वार के विकास खण्ड भगवानपुर में माँ चूड़ामणी देवी सिद्धपीठ मंदिर के जीर्णोद्धार एवं सौन्दर्यीकरण के सम्बन्ध में याचिका, (उपस्थापित)	69
श्री प्रीतम सिंह, मा0स0, वि0स0 द्वारा दिनांक 13 जुलाई, 2009 की कार्यसूची की मद सं0–6 के सम्बन्ध में मुख्यमंत्री के विरूद्ध सदन की अवमानना की सूचना (स्वीकृत)	69–71
कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश	71–72
कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं	72–105
वित्तीय वर्ष 2009–2010 के आय–व्ययक पर चर्चा (जारी)	106
नियम–53 के अन्तर्गत सूचनाएं	106
राज्य के मान्यता प्राप्त विद्यालयों के पत्राचार बी0टी0सी0 शिक्षकों को राजकीय सेवाओं में समायोजित किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री गोपाल सिंह रावत, मा0स0, वि0स0 द्वारा दी गई सूचना पर मा0 संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य	106–108
नत्थी	109

'क'

उपस्थिति

1. श्री अजय टम्टा
2. श्री अरविन्द पाण्डेय
3. श्री अनिल नौटियाल
4. श्रीमती अमृता रावत
5. श्रीमती आशा
6. श्री ओम गोपाल
7. श्री करन मेहरा
8. सुश्री कैरन मेयर
9. श्री किशोर उपाध्याय
10.श्री केदार सिंह रावत
11. श्री केदार सिंह फोनिया
12. श्री खजान दास
13. श्री खड़क सिंह बोहरा
14. श्री गगन सिंह
15. श्री गणेश जोशी
16. श्री गोपाल सिंह
17. श्री गोपाल सिंह रावत
18. श्री गोविन्द लाल
19. श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल
20. श्री गोविन्द सिंह बिष्ट
21. श्री चन्दन राम दास
22. श्री सुरेन्द्र राकेश
23. श्री जोत सिंह गुनसोला
24. हाजी तस्लीम अहमद
25. श्री तिलक राज बेहड़
26. श्री दिनेश अग्रवाल
27. श्री दिवाकर भट्ट
28. श्री दिवान सिंह
29. श्री नारायण पाल
30. काजी मौ0 निजामुद्दीन
31. श्री पुष्पेश त्रिपाठी
32. श्री प्रकाश पन्त
33. श्री बलवीर सिंह नेगी
34. श्री बिशन सिंह चुफाल
35. श्री बृजमोहन कोटवाल
36. श्री शेर सिंह
37. श्री मदन कौशिक
38. श्री मनोज तिवारी
39. श्री मयूख सिंह
40. श्री महेन्द्र सिंह माहरा "महूं भाई"
41. श्री मातबर सिंह कण्डारी
42. श्री यशपाल बेनाम
43. चौ0 यशवीर सिंह
44. श्री रणजीत रावत
45. डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक
46. श्री राजकुमार
47. श्रीमती विजय बड़थ्वाल
48. श्री विजय सिंह (गुड्डू पंवार)
49. श्रीमती वीना महराना
50. श्री शहजाद
51. डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल
52. श्री शैलेन्द्र सिंह रावत
53. श्री जोगा राम टम्टा
54. श्री बलबन्त सिंह भौर्याल
55. श्री सुरेन्द्र सिंह जीना
56. डा0 हरक सिंह रावत
57. श्री हरभजन सिंह चीमा
58. श्री हरिदास
59. श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत
60. कुंवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"
61. श्री प्रीतम सिंह
62. श्री प्रेम चन्द अग्रवाल
63. श्री प्रेमानन्द महाजन

बुधवार, दिनांक 15 जुलाई, 2009 ई0

(विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, देहरादून में दिन के 11.00 बजे अध्यक्ष श्री हरबंस कपूर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।)

नियम-310 के अन्तर्गत कतिपय विषयों को सुने जाने की मांग

श्री अध्यक्ष-

कृपया आसन ग्रहण करें।

आज नियम-310 के अन्तर्गत कुल 04 सूचनायें प्राप्त हुई हैं जिसमें पहली सूचना कुँवर प्रणव सिंह "चैम्पियन", श्री राजेश जुवांठा,श्री केदार सिंह रावत तथा श्री रणजीत सिंह रावत की है, जो जनपद हरिद्वार के कस्बा मंगलौर में विगत 10 जनवरी,2009 को आयोजित बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता के दौरान किये गये हवाई फायर का झूठा मुकदमा दर्ज कर कांग्रेस पार्टी एवं उसके विधायक का उत्पीड़न किये जाने के संबंध में है। दूसरी सूचना श्री मनोज तिवारी, श्री गोविन्द सिंह कुन्जवाल तथा श्री करन मेहरा की है, जो दिनांक 26,07,08 को सोमेश्वर महाविद्यालय में कला विषय व आई0टी0आई0 में नये व्यवसायिक विषय की स्वीकृति की मांग को लेकर आन्दोलन कर रहे लोगों पर मुकदमों के संबंध में है। तीसरी सूचना श्री किशोर उपाध्यय की है जो प्रदेश के कतिपय प्राथमिक विद्यालय में से पृथक किये गये शिक्षा आचार्यों/अनुदेशकों/स्वयंसेवकों को पूर्व की भांति विकास खण्ड स्तर/जिला स्तर पर समायोजन की मांग के संबंध में है तथा चौथी सूचना डा0 हरक सिंह रावत की है जो प्रदेश में बी0एड0 प्रशिक्षित बेरोजगारों हेतु स्पष्ट रोजगार नीति बनाये जाने के संबंध में है। उक्त चारों सूचनायें नियम-310 के अन्तर्गत सुने जाने योग्य नहीं हैं, अतः मैं इन सूचनाओं को नियम-310 के अन्तर्गत स्वीकार नहीं कर रहा हूँ। यदि पहली सूचना के सम्बन्ध में कुँवर प्रणव सिंह 'चैम्पियन' तथा अन्य मा0 सदस्य और चौथी सूचना के सम्बन्ध में डा0 हरक सिंह रावत ग्राह्यता पर अपने विचार रखना चाहते हैं तो मैं उन्हें नियम-58 में सुन लूँगा।

नेता प्रतिपक्ष (डा0 हरक सिंह रावत)-

मान्यवर, प्रशिक्षित बेरोजगारों का महत्वपूर्ण मामला है।

श्री अध्यक्ष-

आज नियम-58 में कई सूचनायें हैं, इसे कल देख लेंगे।

डा0 हरक सिंह रावत-

मान्यवर, प्रदेश में हजारों नौजवान हैं। माननीय अध्यक्ष जी, बहुत महत्वपूर्ण मामला है।

श्री अध्यक्ष– -

कृपया बैठ जायें।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, हजारों लोगों पर लाठियाँ पड़ रही हैं, बाहर टैण्ट में धरने पर बैठे हैं, प्रदेश के हजारों नौजवान जिसने बी0 एड0, बी0पी0एड0 किया है, सी0पी0एड0 किया है, एल0टी0 की ट्रेनिंग की है, सी0 पी0 एड0 की ट्रेनिंग की है और आज रोजगार के लिए दर–दर भटक रहे हैं। सरकार ने पिछले सत्र में आश्वासन दिया था सदन के समक्ष कि शीघ्र एल0 टी0 की प्रकिया शुरू की जायेगी और नियुक्ति की जायेगी, यह बहुत महत्वपूर्ण है।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है नियम –58 में सुन लेंगे, कृपया बैठ जायें।

श्री केदार सिंह रावत–

मान्यवर, बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है, व्यवस्था से सम्बंधित है। मान्यवर, जनवरी माह 2009 में जनपद हरिद्वार के कस्बा मंगलौर में बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता आयोजित की गयी थी जिसमें स्वागत के लिए किसी व्यक्ति द्वारा एक हवाई फायर कर दिया गया। मान्यवर, किसी भी व्यक्ति के शिकायत न करने पर भी प्रदेश की पुलिस द्वारा इसमें अवमानना करने के उद्देश्य से झूठा मुकदमा दर्ज किया गया है।

*श्री करन मेहरा–

मान्यवर, गिरफ्तारी का वारण्ट जारी किया, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया, जिससे वहाँ का छात्र आहत है, इस पर नियम–310 में चर्चा कराई जाए।

(माननीय नेता प्रतिपक्ष डा0 हरक सिंह रावत को छोड़कर भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेस के सभी माननीय सदस्य 'वेल' में आ गये और अपनी–अपनी बात कहने लगे।)

श्री अध्यक्षः–

सदन को 11:30 बजे तक के लिए स्थगित करते हैं।

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित प्रश्न

हिमालय क्षेत्र में गंगोत्री गोमुख ग्लेशियरों को सिकुड़ने से बचाने की कार्य योजना

**1–श्री गोपाल सिंह रावत–

क्या पर्यावरण मंत्री अवगत हैं कि संयुक्त राष्ट्र पेनल की रिपोर्ट एवं उपग्रह से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार हिमालय क्षेत्र में गंगोत्री गौमुख ग्लेशियरों के सिकुड़ने में वर्ष 2001 से अधिक तेजी आई है ?

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

क्या यह सत्य है कि यदि उक्त ग्लेशियर के पीछे हटने की दर जारी रही तो वर्ष 2035 तक यह ग्लेशियर विलुप्त हो जायेगा ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त ग्लेशियर को विलुप्त होने से बचाने हेतु कोई ठोस कार्य योजना बनाने पर विचार कर रही है ?

यदि हाँ, तो इस कार्ययोजना का स्वरूप क्या है ?

वन, वन्य जन्तु एवं पर्यावरण मंत्री (श्री बिशन सिंह चुफाल)–

जी हाँ।

वैज्ञानिक अध्ययनों से ज्ञात होता है कि गंगोत्री ग्लेशियर विगत कई दशकों से तीव्रता से सिकुड़ रहा है परन्तु अल्प अवधि में हुई सिकुड़ने की तीव्रता की दर पर टिप्पणी नहीं की जा सकती है। इसमें कोई संदेह नही है कि ग्लेशियरों का पिघलना एक विश्व व्यापी प्रक्रिया है किन्तु निश्चित रूप से ग्लेशियर के समाप्त होने का वर्ष निर्धारित करना भी सम्भव नहीं है।

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा गंगोत्री ग्लेशियर को संरक्षित करने के उद्देश्य से पूर्व से ही कार्ययोजना बनायी गयी है।

गंगोत्री ग्लेशियर को मानवीय गतिविधियों से सुरक्षित करने हेतु वैज्ञानिक अध्ययन के आधार पर तीर्थयात्रियों तथा पर्यटकों की संख्या में प्रतिदिन 150 व्यक्ति तथा 15 खच्चरों की सीमा सुनिश्चित की गई है तथा मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक ,उत्तराखण्ड द्वारा गंगोत्री ग्लेशियर के मुहाने (गौमुख) से 500 मी0 की दूरी के भीतर प्रवेश करना वर्जित किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

(सदन की कार्यवाही 11 बजकर 30 मिनट पर पुनः आरम्भ हुई ।)

श्री अध्यक्ष जी, द्वारा श्री गोपाल सिंह रावत का नाम पुकारे जाने पर माननीय सदस्य सदन में उपस्थित नहीं थे।

जनपद रुद्रप्रयाग अन्तर्गत गौरीकुण्ड में मई माह में संक्रामक बीमारी से घोड़े–खच्चरों की मृत्यु तथा मृत घोड़े–खच्चरों के मालिकों को मुआवजा

**2– श्रीमती आशा–

क्या पशुपालन मंत्री अवगत हैं कि जनपद रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत गौरीकुण्ड में मई माह में यात्रा के दौरान घोड़े खच्चरों में संक्रामक बीमारी फैल गई थी तथा उक्त बीमारी से 50 के लगभग घोड़े खच्चरों की मृत्यु हो चुकी है ?

क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि घोड़े खच्चर के मालिकों को मुआवजा दिया जा चुका है ?

यदि हाँ, तो कुल कितने लोगों को कितनी–कितनी धनराशि वितरित की गई है? यदि नहीं, तो क्यों ?

कृषि मंत्री (श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत)–

जी हाँ।

पशुपालकों को मुआवजा नहीं दिया गया है चूँकि मुआवजा दिये जाने का कोई प्राविधान नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्रीमती आशा–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहती हूँ कि इतनी बड़ी घटना वहाँ पर हुई और उसके बाद सरकार का जवाब आया कि मुआवजा देने का कोई प्राविधान नहीं है। मान्यवर, इन लोगों की रोजी–रोटी का साधन भी यही था। आज इनके सामने बच्चो को स्कूलों में दाखिल करने का बहुत बड़ा संकट पैदा हो गया है, क्योंकि घोड़े–खच्चर ही इनकी रोजी–रोटी का एक मात्र साधन थे। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूँ कि क्या सरकार इस पर शीघ्र मुआवजे की योजना बनायेगी ?

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, सम्मानित सदस्य जी ने मुआवजा देने की बात की है। यद्यपि इसमें मुआवजे का कोई भी प्राविधान नहीं है। (व्यवधान) फिर भी माननीय अध्यक्ष जी, मैं सम्मानित सदस्य को अवगत कराना चाहता हूँ कि इसके लिए हमारे जो पशुपालक हैं निश्चित रूप से वह बहुत कमजोर तबके के लोग हैं, उनके प्रति हमारी सहानुभूति है। इस सम्बन्ध में, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा । (व्यवधान)

काजी मौ0 निजामुद्दीन–

मान्यवर, सरकार की तरफ से अनुरोध करने की कोई आवश्यकता नहीं, वह तो आदेश करेगी। (घोर व्यवधान)

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, बजट में ऐसा कोई प्राविधान नहीं है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी को वस्तुस्थिति से अवगत करा देंगे। (घोर व्यवधान)

कुँवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"–

मान्यवर, कैलेमिटी इज कैलेमिटी । (घोर व्यवधान)

(घोर व्यावधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें।

(घोर व्यावधान के मध्य)

श्री प्रीतम सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि यात्रा मार्ग पर घोड़ों की संख्या कितनी है ? दूसरी बात, इस बीमारी को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किये गये और जो उपाय किये गये, उसमें कितना व्यय आया ?

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, 08 मई को ढाई बजे हमें सूचना मिली कि किसी वजह से वहाँ पर घोड़ों में बीमारी हो गयी है और तुरन्त कुछ घंटे के बाद यहां से एक टीम वहां के लिए रवाना की गयी और रात को एक बजे हमारे डाक्टरों की टीम वहां पर पहुंच गयी, जिसमें कुल 165 पशुधन प्रसार अधिकारी, इसमें कुछ चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी भी हैं और 57 चिकित्सक हमारे वहाँ पर पहुँच गये। मान्यवर, हिसार से 06 वैज्ञानिक, पंतनगर विश्वविद्यालय से 24 वैज्ञानिक वहां पर भेजे गये और कुल मिलाकर 107 चैक पोस्ट बनाये। इसके लिए हमने एक शासनादेश जारी किया, क्योंकि यह एक संक्रामक बीमारी है। मान्यवर, जो वैज्ञानिक हिसार से और पंतनगर विश्वविद्यालय से भेजे गये तथा यहां पर 57 डाक्टर भी भेजे गये। मान्यवर, हमने तुरन्त 15 मई को एक शासनादेश जारी किया जिसमें कहा गया कि यह एक संक्रामक बीमारी है। इसलिए हमने अन्तर्राष्ट्रीय सीमाएं, अन्तर्राज्यीय सीमाएं और अन्तर जनपदीय सीमाएं हैं इन पर चैक पोस्ट स्थापित कर दिये जिससे जो ये घोड़े खच्चर हैं, इनका आना–जाना पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया और आज भी हमारी दो चौकियां हैं।

मान्यवर, दो सेन्टर, एक गौरीकुण्ड में तथा दूसरा गोविन्द घाट में आज भी संचालित हो रहे हैं। मान्यवर, ऐसा शासनदेश हमने किया है जो कि 30 सितम्बर, 2009 तारीख तक प्रभावी रहेगा। जहाँ तक माननीय विधायक जी ने प्रश्न किया है कि कुल अश्वों की संख्या कितनी है? तो मैं आपको अवगत करा देना चाहता हूँ कि जो हमारे यहाँ अश्व प्रजाति के पशुओं की जनपदवार संख्या है, उसके अनुसार कुल 40787 अश्व प्रजाति के पशु हैं। (व्यवधान) इनमें घोड़े 13089, पोनी पशु 2352 हैं, खच्चर 24084 हैं, तथा गधे 1262 हैं।

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, संख्या माननीय मंत्री जी ने बता दी है। मैं यह जानना चाहता हूँ, चूँकि आपने कहा कि यह 8 मई की घटना है और यह जुलाई का महीना चल रहा है।

मैं यह जानना चाहता हूँ कि इसमें कुल व्यय कितना हुआ और आपने जो 40787 की संख्या बताई, उसमें से कितने अश्वों को वह बीमारी थी ? यह तो आपको निश्चित रूप से जानकारी होगी। साथ ही यह भी बता दें कि कितने गधे बीमारी से पीड़ित हैं ?

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, जब हमने सैम्पल लिये, उनमें रूद्रप्रयाग जनपद में 429 सैम्पल लिये, उनमें से 276 पॉजिटिव निकले। ऐसे ही चमोली जनपद में 236 सैम्पल लिये, जिसमें से 14 पॉजिटिव निकले। पौड़ी जनपद में 46 सैम्पल लिये जिनमें से 03 पॉजिटिव निकले। उत्तरकाशी जनपद में 344 सैम्पल लिये जिनमें से 33 पॉजिटिव निकले। टिहरी और देहरादून में कोई पॉजिटिव नहीं निकला। हरिद्वार जनपद में 17सैम्पल लिये, जिनमें से 6 पॉजिटिव निकले। इसी तरह ऊधम सिंह नगर में 218 में से 33 पॉजिटिव निकले। नैनीताल में 69 सैम्पल लिये गये थे, जिनमें से 29 पॉजिटिव निकले । अल्मोड़ा में 39 सैम्पल लिये गये, जिनमें कोई पॉजिटिव नहीं निकला। बागेश्वर में 70 में से 04 पॉजिटिव निकले। चम्पावत में 95 सैम्पल लिये गये, जिनमें से 24 पॉजिटिव निकले । पिथौरागढ़ में कोई पॉजिटिव नहीं निकला। इस प्रकार कुल 1798 सैम्पल में से 422 पॉजिटिव निकले। जिनमें इक्वाइन एन्फ्लूएन्जा पाया गया।

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, इसमें अब तक व्यय कितना हुआ है ?

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, हमने इसके लिए 50 लाख रूपया स्वीकृत किया था। जब यहाँ पर चारे का संकट हो गया, क्योंकि पशुपालकों की रोजी–रोटी इन्हीं पशुओं से थी और हमने पशुओं की आवाजाही रोक दी, इसलिए पशुओं का जो आहार है, उसको निःशुल्क देने की व्यवस्था की। इसमें 50 लाख रूपया एक कोष में दिया।

श्री प्रीतम सिंह रावत–

मान्यवर, इसमें से व्यय कितना हुआ ?

त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, जनपदों से उसका विवरण मंगा कर आपको बता दिया जाएगा। (व्यवधान) मान्यवर, इसमें अब तक 35 लाख रूपया कुछ सप्ताह पूर्व तक व्यय हो चुका है।

(श्री अध्यक्ष द्वारा माननीय सदस्य श्री जोत सिंह गुनसोला का नाम पुकारे जाने पर)

श्रीमती आशा–

मान्यवर, मेरा मूल प्रश्न है, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूँ......

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें। आपको फिर मौका मिलेगा।

श्री जोत सिंह गुनसोला–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जब ये घोड़े और खच्चर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट में सम्मिलित हैं, तो क्यों नहीं इनका पशुधन का बीमा कराया गया और क्यों नहीं इनका बीमा करने के लिए किसी कम्पनी को आमंत्रित किया गया ? इनको लाइसेंस दिया जाता होगा। लाइसेंस देने के बाद यह सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है, लाइसेंस देने वाले की जिम्मेदारी है कि उनका बीमा करांए ताकि उनको इस क्षति से नुकसान न हो।

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

माननीय विधायक जी ने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया है, चूंकि जो यह अश्व जाति के पशु हैं, वह सीजन में ही यहां पर आते हैं। हमने इस संबंध में विचार किया है कि आगे से पहले इस पशुओं का बीमा सुनिश्चित करायेंगे और उसके बाद ही इनको परमिट दिया जायेगा।

श्री बलबीर सिंह नेगी–

माननीय अध्यक्ष जी, अभी–अभी माननीय मंत्री जी ने ब्यौरा दिया है कि टिहरी जिले में इस बीमारी से कोई भी अश्व हताहत नहीं हुआ। जब कि मेरी निश्चित जानकारी है कि टिहरी जिले में विशेष रूप से केदारनाथ घाटी के लेफ्ट वाला जो एरिया है, घुत्तू क्षेत्र में भिलंगना और बालगंगा रेंज पड़ता है, इस क्षेत्र के भी कई अश्वपालक वहां रोजगार के लिए जाते हैं। जब वे लोग वहां से लौटे तो इस गंभीर बीमारी से लगभग 1 दर्जन घोड़े प्रभावित थे। विकास खण्ड भिलंगना के जो पशु चिकित्सक हैं, उन्होंने इन घोड़ों का इलाज किया था। यहां पर मंत्री जी कहते हैं कि टिहरी जिले में कोई बीमार अश्व नहीं था, जब कि वहां पर पशु चिकित्सक द्वारा उनका इलाज किया गया। मान्यवर, मेरा निवेदन है कि इस संबंध में जो स्थिति है, उसे स्पष्ट किया जाय।

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, इस संबंध में मैंने जो वृतान्त यहां पर दिया है, वह, जो सैम्पल हमने लिये और हमारे डाक्टर्स के पास जो अश्वपालक आये या हमारे डाक्टर्स को जहां पर अश्व बीमार थे, वहां ले जाया गया। उनकी पूरी जानकारी मैंने आपके सामने रखी है। अगर कहीं पर ऐसी कोई जानकारी है, तो उसे हमें दे दीजिये, हम उसका परीक्षण करवा लेंगे।

श्री बलबीर सिंह नेगी–

मान्यवर, इस संबंध में मेरी निश्चित जानकारी है।

श्री अध्यक्ष–

आप उसकी सूचना माननीय मंत्री जी को दे दीजिये।

श्री खड़क सिंह बोहरा–

मान्यवर, नैनीताल, भीमताल, सातताल और नौकुचियाताल में सीजन में रामपुर आदि से कई अश्व पालक आते हैं। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि उन्होंने बताया कि प्रदेश में कई जगहों पर चैक पोस्ट बनाई गई हैं, यह अश्व पालक बाजपुर दोराहे से ही प्रदेश करते हैं। तो क्या बाजपुर दोराहे में चैक पोस्ट स्थापित की गई है, जहाँ पर इनके संक्रमण की जाँच हो सके तथा नैनीताल में जो सैंपल लिये गये, वह बाहर से आने वाले घोड़ों के लिये गये या जो स्थानीय घोड़े वाले थे, उन्हीं के सैंपल लिये गये ?

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, मैं माननीय विधायक जी को बताना चाहता हूँ कि हमने कुल 105 चैक पोस्ट स्थापित की थी, जिसमें से बाजपुर दोराहे पर भी चैक पोस्ट स्थापित की गई थी।

श्री रणजीत रावत–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने सदन को अवगत कराया है कि अश्व जाति के 40,787 घोड़े पूरे प्रदेश में हैं। लेकिन जो परीक्षण की बात कही गई है, उसमें परीक्षण के लिए 1787 नमूने ही लिये गये हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जो शेष अश्व हैं, क्या उनका भी परीक्षण करवाया जायेगा ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटना न हो सके ?

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, इस समय पूरे प्रदेश में कहीं भी इस बीमारी के कोई लक्षण नहीं हैं। चूंकि इसका जो वायरस है, उसकी आयु मात्र 36 घंटे होती है, उसके बाद वह स्वतः ही समाप्त हो जाता है। अगर ऐसी कोई आवश्यकता महसूस होगी तो जरूर परीक्षण किया जायेगा, अभी इसकी कोई आवश्यकता महसूस नहीं हो रही है।

श्रीमती आशा–

मान्यवर, मैं जानना चाहती हूँ कि उन्हें मुआवजा कब तक वितरित किया जायेगा? और मान्यवर, मैं अपनी सरकार और माननीय मंत्री जी को धन्यवाद भी इस

सदन के माध्यम से देना चाहती हूँ कि उस समय जिस वक्त इतनी बड़ी बीमारी से समस्त घोड़े–खच्चर मालिक बहुत परेशान थे, उस समय सरकार ने तत्काल दवाईयों की व्यवस्था, डॉक्टरों की व्यवस्था और बीमारी पर पूर्ण रूप से नियंत्रण हो, इसके लिए जो प्रयास किया, उसके लिए मैं वास्तव में माननीय मंत्री जी का और सरकार का बहुत–बहुत धन्यवाद करती हूँ। लेकिन मान्यवर, जिनके घोड़े–खच्चर खत्म हुए हैं, मृत्यु हुई है बीमारी के कारण, उनके सामने बहुत बड़ा संकट है, इसलिए उनको मुआवजा कब तक दिया जायेगा, ये मेरा सवाल है ?

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, मैंने माननीय विधायक जी को पहले भी अवगत कराया है कि विभाग में ऐसा कोई प्राविधान नहीं है, फिर भी इसके लिए कोई व्यवस्था करेंगे।

विधान सभा के द्वितीय सत्र 2009 के प्रथम बुधवार हेतु श्री किशोर उपाध्याय, सदस्य वि0स0 द्वारा पूछे गये स्थागित तारांकित प्रश्न संख्या–1 का उत्तरालेख

राज्य में नदियों के जलस्राव की कमी को रोकने के उपाय

*1–श्री किशोर उपाध्याय–

क्या सिंचाई मंत्री अवगत कराने का कष्ट करेंगे कि राज्य में प्रवाहित होने वाली नदियों के निरन्तर जलस्राव की कमी को रोकने के लिए सरकार क्या उपाय कर रही है?

सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण मंत्री (श्री मातबर सिंह कण्डारी)–

जल संरक्षण एवं जल संवर्द्धन मिशन–2007 के अन्तर्गत मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन द्वारा कतिपय विभागों को जल संवर्द्धन की योजनायें गठित किये जाने हेतु निर्देश दिये गये हैं।

इसके अन्तर्गत जलागम वृक्ष रोपण व चैकडैम, हौज, चाल–खाल, कन्टूर ट्रेंच, सिंचाई विभाग बहुदेशीय जलाशय, सिंचाई हौज वियर/जलाशय, पेयजल विभाग रेनावाटर हार्वेसिस्टंग, जलाशय, डिग्गी, उद्यान वृक्षारोपण आदि का कार्य करेंगे। इसमें ऐसे वृक्षों का पौधारोपण किया जायेगा, जो अपनी जड़ों में जल संचय करते हैं इसमें भूगर्भ जल के साथ–साथ नदियों एवं प्राकृतिक जल स्रोतों का जल स्तर भी बढ़ेगा।

जिसके क्रम में सिंचाई विभाग द्वारा 22 जलाशयों के निर्माण एवं अनुसंधान कार्यों हेतु प्रस्ताव उपलब्ध कराये गये हैं। उक्त योजनाओं के निर्माण कार्य पूर्ण होने से सिंचाई एवं पेयजल के साथ–साथ सम्बन्धित क्षेत्रों की नदियों एवं नालों के जलस्राव में वृद्धि होने की पूर्ण सम्भावना है।

श्री किशोर उपाध्याय–

माननीय अध्यक्ष जी, यह इतना महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अगला विश्व युद्ध पानी पर होने जा रहा है और हमारे प्रदेश की जो नदियाँ हैं, 130 करोड़ लोगों का जीवन हमारे यहाँ की नदियों पर निर्भर है और जिस तरह की गंभीरता, संवेदनशीलता सरकार के उत्तरों में दिखाई दे रही है मान्यवर, सरकार को यही पता नहीं है कि नदियाँ निकलती कहाँ से हैं? मान्यवर, मैं 2–3 पिन प्वाईटेड प्रश्न माननीय मंत्री जी से करना चाहूँगा कि नदियाँ को बचाने के लिए, क्योंकि अधिकतर हमारी नदियाँ हिमनदों से निकलती हैं, तो इसके लिए सरकार ने क्या उपाय किये ? कौन सा जलाश्य बना दिया है जिस तरह का जवाब इसमें आया है? जितनी हमारी बड़ी नदियाँ हैं, उनमें पिछले दो वर्षों में कितना जल स्राव कम हुआ है, क्या माननीय मंत्री जी इस बारे में सदन को अवगत कराने का कष्ट करेंगे ? और नहीं कर सकते हैं तो इसके अलावा पूरे प्रदेश में दो वर्ष में कितना जल स्राव कम हुआ, सदन को अवगत कराने का कष्ट करेंगे ? और ये जो योजनाएं हैं, पिछले वित्तीय वर्ष में इन योजनाओं पर कितना बजट खर्च हुआ है ? और इस प्रदेश के जितने बड़े जल स्रोत सूख गये हैं उनको रिवाईव करने की आपने योजना बनाई होगी और इसके अलावा मान्यवर, सबसे ज्यादा परेशानी इन दिनों बिजली की है, तो क्या सरकार ईंधन और बिजली दोनों में (व्यवधान) कुछ सब्सिडी देने के लिए जिससे कि जंगल बच सकें, पेड़ बच सकें जो जल संचय कर सकें, सरकार विचार कर रही है या करेगी ?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, नदियों में जो पानी की घटोत्तरी हुई टौंस नदी में 2008–09 में 2008 में 68 क्यूसिक पानी था, 2009 में अप्रैल के महीने में वो 42 क्यूसिक हो गया, अर्थात् 26 क्यूसिक पानी कम हो गया टौंस में। मई में 90 क्यूसिक पानी था वहाँ (व्यवधान)

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, वर्षवार बता दें।

श्री मातबर सिंह कण्डारी:–

मान्यवर, वर्षवार अप्रैल 2008–09 में यह डिस्चार्ज 55 प्रतिशत कम।

मान्यवर, इसके अलावा वैसे यह कार्य बहुत बड़ा कठिन है।

श्री किशोर उपाध्याय:–

मान्यवर, गंगा का बता दीजिए।

श्री मातबर सिंह कण्डारी:–

मान्यवर, गंगा में 63 परमेन्ट है, इसमें 1337 क्यूसिक पानी कम रहा, मैं जुलाई, 2008 की बात कर रहा हूँ

श्री किशोर उपाध्याय–

माननीय अध्यक्ष जी, यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस पर आधे घण्टे की चर्चा किसी और दिन रख ली जाय।

श्री अध्यक्ष–

माननीय किशोर उपाध्याय जी, आप लिखित में दे दीजिए, इस पर चर्चा करा देंगे।

तारांकित प्रश्न

प्रदेश के भाबर क्षेत्रों में कृषकों द्वारा व्यक्तिगत नलकूप हेतु अनुदान

*1–श्री प्रेमानन्द महाजन–

क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि भाबर क्षेत्र में तराई की अपेक्षा नलकूप निर्माण में लागत कितनी प्रतिशत अधिक आती है ?

क्या सरकार भाबर क्षेत्र में व्यक्तिगत नलकूप लगाने के लिए किसानों को अनुदान मुहैया करायेगी ?

यदि हां, तो कितने प्रतिशत ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

जी हाँ, कुमांऊ मण्डल के भाबर क्षेत्र में 142 प्रतिशत तथा गढ़वाल मण्डल के भाबर क्षेत्र में नलकूप निर्माण की लागत तराई क्षेत्र की अपेक्षा 90 प्रतिशत अधिक आती है।

जी नहीं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

सिंचाई विभाग के अन्तर्गत कृषकों को व्यक्तिगत नलकूप लगाने हेतु अनुदान दिये जाने के संबंध में कोई नीति लागू नहीं है।

श्री प्रेमानन्द महाजन–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि कुमायूँ मण्डल एवं गढ़वाल मण्डल के भाबर क्षेत्र में कितने नलकूप विभाग ने लगवाये और उससे कितनी हेक्टेयर भूमि सिंचित होती है और कितनी हैक्टेयर भूमि असिंचित है?

श्री मातबर सिंह कण्डारी:–

मान्यवर, यह सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री अध्यक्ष–

यह सूचना मूल प्रश्न से संबंधित नहीं है। अनुपूरक मूल प्रश्न से संबंधित होना चाहिए।

श्री प्रेमानन्द महाजनः–

मानीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि आपने जो उत्तर में दिया है कि 142 प्रतिशत कुमायूँ मण्डल के भाबर क्षेत्र तथा गढ़वाल मण्डल के भाबर क्षेत्र में 90 प्रतिशत लागत अधिक आती है, इसमें एक नलकूप पर कितने रूपये की लागत आयेगी ? नैनीताल के भाबर क्षेत्र में एक नलकूप पर कितनी लागत आती है और ऊधमसिंह नगर के तराई क्षेत्र में एक नलकूप पर कितनी लागत आती है ?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, तराई क्षेत्र रूड़की में एक नलकूप की लागत पर खर्च रूपये 21 लाख और रूपये 23 लाख के बीच में आती है और लालढॉग में रूपया 38 लाख के लगभग खर्च आता है, कोटद्वार में रूपया 63 लाख लगभग खर्च आता है, रामनगर में रूपये 40–45 लाख का खर्च आता है तथा हल्द्वानी में एक नलकूप पर रू0 40–45 लाख का खर्च आता है।

श्री शैलेन्द्र मोहन सिंघल–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जो नलकूप तराई क्षेत्र में लगाये जा रहे हैं उसमें एरोजन की बहुत बड़ी समस्या आ रही है। उसका पाइप बहुत जल्दी एरोड हो जाता है, क्योंकि नीचे से इस तरह का कैमिकल पानी में मिला आता है। मान्यवर,तो वहॉ पर एम0एस0स्टील के नलकूप बनाये जा रहे हैं। क्या सरकार की कोई ऐसी योजना है कि भविष्य में जो नलकूप लगाये जायेंगे वह या तो स्टैन्लेस स्टील के बनाये जायें या फिर अब ऐसे प्लास्टिक्स आ गये हैं जो डीप बोरिंग का प्रेशर ले लेते हैं, जल्दी खराब नही होते। क्या भविष्य में सरकार की एम0एस0 स्टील से ही नलकूप बनाये जाने की योजना है, या इससे अच्छे मैटीरियल से बनाये जाने की योजना है ? दूसरी बात यह है कि जो नलकूपों की गहराई देखी जाती है वह जलस्तर के हिसाब से देखी जाती है। उत्तराखण्ड में जहाँ तक मेरी जानकारी है ग्राउण्ड वाटर मैनेजमैंट बोर्ड जैसे कोई विभाग की स्थापना नहीं हुई है जिससे हम जान सकें कि हमारा जो भूमिगत जल स्तर है वह कितना है और जल स्तर कितनी तेजी से बढ़ रहा है या घट रहा है। क्या सरकार की कोई ऐसी योजना है कि ग्राउण्ड वाटर मैनजमैंट बोर्ड की स्थापना इस प्रदेश में की जाए ताकि भविष्य की जब ऐसी योजनायें हमारी बनें तो विश्लेषण पर आधारित हों ?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्ययवर, जल स्तर के सम्बन्ध में अवगत कराना चाहता हूँ कि गत 10 वर्ष में 9 मीटर के लगभग जल स्तर डाऊन हुआ है। आपने पाईप के बारे में कहा हम इसका परीक्षण करवा लेंगे।

श्री प्रेम चन्द्र अग्रवालः

मान्यवर, माननीय मंत्री जी से प्रश्न किया गया था कि क्या सरकार भाबर क्षेत्र में व्यक्तिगत नलकूप लगाने के लिए किसानों को अनुदान मुहैया करायेगी ? माननीय मंत्री जी ने अपने लिखित उत्तर में कहा कि जी नहीं ? मेरा सवाल यह है कि क्या भावर क्षेत्र के अलावा अन्य क्षेत्रों में ऐसी कोई योजना सिंचाई के लिए कृषकों को कोई अनुदान मुहैया करायेगी ? दूसरा सवाल यह है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी तरफ से अर्थात अपने खर्च से नलकूप लगाना चाहता है तो क्या सरकार उसको तकनीकी जानकारी देना चाहेगी? तीसरा प्रश्न यह है कि तकनीकी जानकारी के बिना कोई व्यक्ति लगातार अपने खर्च पर नलकूप लगाये तो कहीं ऐसा न हो कि उससे जल स्तर इतना अव्यवस्थित हो जाए कि आने वाले समय में सिंचाई संकट पैदा हो जाये।

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, व्यक्तिगत रूप से यदि कोई व्यक्ति नलकूप लगाता है तो उसको कोई गाइडैन्स सरकार की तरफ से नहीं दी जाती है। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। दूसरी बात आपने अनुदान के बारे में कहा तो मैं अवगत कराना चाहता हूँ कि सिंचाई विभाग कोई अनुदान पूरे उत्तराखण्ड में नहीं देता है।

श्री शैलेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के द्वारा सदन में वक्तव्य दिया गया कि एक नलकूप में कहीं 40 लाख रूपये खर्च होता है, कहीं 60 लाख रूपया खर्च होता है तो कहीं 65 लाख रूपया खर्च होता है। सरकार इन नलकूपों में निर्माण कार्य करती है उसके बाद सरकार पूरी तरीके से उस नलकूप को ग्रामवासियों को हैण्ड ओवर कर देती है। उस नलकूप में कोई ऑपरेटर नहीं होता है। उस नलकूप का ऑपरेटर एक साधारण व्यक्ति होता है जिसे नलकूप ऑपरेट करने की कोई जानकारी नही होती है। वह नलकूप ठीक से संचालित नहीं कर पाता है। जिससे ग्रामवासियों को दिक्कत होती है। मेरा प्रश्न यह है कि सरकार उनमें कर्मचारियों की परमानेन्ट नियुक्ति का कोई प्राविधान करेगी ? क्या सरकार उनकी नियुक्ति के लिए गम्भीर है ?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, वास्तव में नलकूप ऑपरेटरों की कमी है। हम संविदा में नियुक्ति करेंगे।

श्री शैलेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि यह कब तक सम्भव होगा ? क्यों कि यह बहुत ही गम्भीर समस्या है। ये साधारण व्यक्ति ही इन नलकूपों को ऑपरेट कर रहे हैं, इन संविदा कर्मचारियों को परमानेंट नियुक्ति किये जाने हेतु सरकार का निर्णय है, इसलिए इसमें जल्दी ही कार्यवाही होनी चाहिए।

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, यथा शीघ्र कार्यवाही की जायेगी।

श्री प्रेमानन्द महाजन–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि मंत्री जी द्वारा जो जवाब दिया गया है उसमें सिंचाई विभाग के अन्तर्गत कृषकों को व्यक्तिगत नलकूप लगाने हेतु अनुदान दिये जाने के संबंध में कोई नीति लागू नहीं है, कहा गया है। मान्यवर, वर्तमान समय में ज्वाइंट परिवार जितने भी हैं अधिकांश बंट गये हैं खेती छोटी हो गयी है और जनसंख्या बंट जाने से वो छोटी–छोटी नहरें जो एक दूसरे के खेतों में पानी जाने के लिए बनायी गयी हैं वे एक दूसरे के पानी को रोकते हैं। इस तरह की परिस्थितियों में छोटे–छोटे किसानों के लिए सरकार कोई नीति बनायेगी ?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, यह छोटी–छोटी नहरों की बात है, लेकिन सिंचाई विभाग केवल वृहद योजना बनाती है।

2–काजी निजामुद्दीन–

(द्वितीय बुधवार तक स्थगित)

जनपद नैनीताल के सिंचाई खण्ड हल्द्वानी अन्तर्गत सम्बद्ध सहायक अभियन्ताओं को कार्य आवंटन

*3–श्री मनोज तिवारी–

क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद नैनीताल के सिंचाई खण्ड हल्द्वानी के अन्तर्गत वर्ष 2007 के अन्त में तीन सहायक अभियंता स्थानान्तरित कर उसी खण्ड से सम्बद्ध किये गये थे ?

क्या यह सत्य है कि सम्बद्ध सहायक अभियंताओं को बिना कार्य आवंटन के वेतन दिया जा रहा है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार इस प्रकरण की जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाई करेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

जी हाँ ।

जी, नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

इन सहायक अभियन्ताओं से राजकीय कार्य लिया जाता रहा है।

श्री मनोज तिवारी–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जो सहायक अभियन्ता संबद्ध किये गये हैं, वो किस वर्ष से विभागों में संबद्ध किये गये हैं ? दूसरा माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया कि इन सहायक अभियन्ताओं से राजकीय कार्य लिया जाता रहा है। माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि संबद्ध किये गये इन राजकीय कर्मचारियों से क्या कार्य लिया जा रहा है ?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, श्री प्रेम बल्लभ कर्नाटक को 06.10.07 से संबद्ध किया गया, श्री प्रताप सिंह चम्याल को 14.11.07 से संबद्ध किया गया और एस0डी0 मठपाल को 12.11.07 से संबद्ध किया गया। मान्यवर, प्रेम बल्लभ कर्नाटक इनसे देवलचौड़ गूल लाइन कि0मी0 30.05, जिसका आगणन बनाया 2 करोड़ 25 लाख का, चोर गलिया में गूलों का निर्माण कि0मी0 40, आगणन 03 करोड़ 18 लाख का बनाया, ओखलकांडा में कि0मी0 10.59 का निर्माण कराया गया। श्री चम्याल को नाबार्ड लालकुआं, कटघरिया में गूल लाइन कि0मी0 31.10, लागत 02 करोड़ 44 लाख, नाबार्ड से भीमताल में नहरों का पुनर्निर्माण कि0मी0 28.85, जिसकी लागत 43 लाख, नाबार्ड में गोला बैराज का पुनर्निर्माण के लिए 1 करोड़ 10 लाख, ए0आई0बी0पी0 में भीमताल और ओखलकांडा में गूलों का निर्माण कि0मी0 20.10, लागत 01 करोड़ 19 लाख रूपये और चोर गलिया में खोला बाजार बाढ़ नियंत्रण के लिए 05 करोड़ 70 लाख रूपये, श्री मठपाल से गोला नहर अन्डर ग्राउन्ड का कार्य कराया गया। दूसरा बाढ़ नियंत्रण का कार्य कराया गया इसके साथ प्रशासनिक कार्य की सहायता ली गयी।

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जनपद नैनीताल के सिंचाई खण्ड हल्द्वानी में 2007 से पूर्व कितने सहायक अभियंता कार्यरत थे और इन तीनों को सम्बद्व करने के बाद इस खण्ड में अब कितने सहायक अभियंता कार्यरत हैं?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, श्री भोपाल सिंह बिष्ट (व्यवधान)

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, मेरा प्रश्न यह है कि 2007 से पूर्व इस सिंचाई खण्ड में कितने सहायक अभियंता कार्यरत थे और इन तीनों को सम्बद्ध करने के बाद अब वहाँ कितने सहायक अभियंता कार्यरत हैं?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, तीन कार्यरत थे। तीन ट्रान्सफर होकर बाद में आ गये। अब छः हैं।

तराई भाबर श्रेत्र की नहरों की सिचांई कर में दोहरी नीति

*4–श्री मनोज तिवारी–

क्या सिंचाई मंत्री अवगत हैं कि सिंचाई हेतु पर्वतीय क्षेत्र के किसान 40/–रू0 प्रति हैक्टेयर की दर से भुगतान कर रहे हैं?

क्या यह सत्य है कि तराई भाबर क्षेत्र की अधिकतर नहरें कर मुक्त हैं?

यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि उक्त दोहरी नीति को अपनाये जाने के क्या कारण हैं?

क्या मंत्री जी इस दोहरे मापदण्ड को समाप्त कराये जाने पर विचार करेंगे?

यदि हां, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

जी हाँ।

भाबर क्षेत्र की नहरें कर मुक्त हैं, तथा तराई में खाम क्षेत्र की नहरों को छोड़कर शेष तराई क्षेत्र की नहरों से सींच कर लिया जा रहा है।

उत्तर प्रदेश के शासनादेश संख्या 377/91935, दिनॉक 6.8.1956 के द्वारा भाबर की समस्त नहरें खाम स्टेट के अन्तर्गत होने के कारण कर मुक्त हैं, जिसके कारण यह नीति सिंचाई कर के सम्बन्ध में लागू है।

सिंचाई करों के निर्धारण के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा निर्धारित की गयी नीति पर सम्यक विचारोपरान्त निर्णय लिया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

श्री मनोज तिवारी–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि तराई भाबर क्षेत्र की अधिकतर नहरें क्यों कर मुक्त की गयी हैं?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, यह इंग्लिश पीरियड से चला आ रहा है और उत्तर प्रदेश में 1956 में इसके लिए आदेश हुए थे। इस क्षेत्र को खाम स्टेट के नाम से जाना जाता है। यह पूर्व प्रचलित व्यवस्थाएँ हैं। ब्रिटिश पीरियड से यह चला आ रहा है।

श्री मनोज तिवारी–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ की सिंचाई हेतु पर्वतीय क्षेत्र के किसान 40 रू0 प्रति हैक्टेयर की दर से भुगतान कर रहे हैं क्या भविष्य में इसको कर मुक्त किया जा रहा है?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, जी नहीं।

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ कि जिन क्षेत्रों में नहरें हैं और उनमें पानी नहीं आ रहा है तो क्या वहाँ के काश्तकारों के कर सरकार माफ करेगी?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, ऐसा मेरे संज्ञान में नहीं आया है कि जहाँ नहर है उसमें पानी नहीं आ रहा हो।

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं जहाँ नहरें हैं लेकिन उनमें पानी नहीं है, नहरें खत्म हो गयी हैं। तो क्या आप कर मुक्त करेंगे?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, मेरे संज्ञान में नहीं है।

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय विधायक जी ने जो प्रश्न पूछा है उसमें मैं कहना चाहता हूँ और आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि ऐसी नहरें जिसमें पानी नहीं चल रहा है, आज मुझे लिखकर दे दें मैं तत्काल पानी चलवा दूँगा।

श्री बलबीर सिंह नेगी–

मान्यवर, चांजी नहर में जब माननीय मंत्री जी ब्लाक प्रमुख थे तब से पानी नहीं चल रहा है और आज आप माननीय सिंचाई मंत्री हैं अब भी पानी नहीं चल रहा है।

श्री मनोज तिवारी–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ के खाम क्षेत्र की नहरें हैं वह कितनी नहरें हैं?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, कर मुक्त नहरें, खाम क्षेत्र की भावरी क्षेत्र में 97 नहर हैं इससे 32936 हेक्टेयर भूमि सिंचित होती है, तराई नहरें 86 हैं जिससे क्षेत्र 20848 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होती है और गढ़वाल में कोटद्वार में 23 नहरें हैं जिससे 4239 हेक्टेयर भूमि सिंचित होती है।

श्री मनोज तिवारी–

मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूँ कि जो यह पूरे प्रदेश में दोहरी नीति लागू की गई है क्या इसको समाप्त किया जायेगा?

श्री मातबर सिंह कण्डारी:–

मान्यवर, मैंने कहा सिंचाई करों के निर्धारण के सम्बंध में कि उत्तर प्रदेश द्वारा निर्धारित की गई नीति है, जो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा सिंचाई कर निर्धारित हुआ उसी को लागू किया हुआ है, इस पर समय पर विचारोपरान्त निर्णय लिया जायेगा।

*5–श्री मनोज तिवारी–

(स्थगित)

प्रदेश में वृक्षविहीन वनक्षेत्रों में वृक्षारोपण की योजना

*6–श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

क्या मंत्री अवगत् हैं कि प्रदेश में अवस्थित कुल वन क्षेत्र 35,394 वर्ग कि0मी0 के सापेक्ष 59,8585 हैक्टेयर वन क्षेत्र वृक्ष विहीन है? क्या इस खाली वन क्षेत्र में शीघ्र वृक्षारोपण करने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है?

यदि हां, तो उक्त क्षेत्र में कब तक वृक्षारोपण प्रारम्भ किया जायेगा?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बिशन सिंह चुफाल–

जी हां।

वृक्ष विहीन वन क्षेत्रों के अन्तर्गत बंजर भूमि, बुग्याल, हिमाच्छादित क्षेत्र अत्यन्त ढलावी क्षेत्र, चारागाह तथा निम्न स्तरीय वन क्षेत्र आते हैं। जिनके अधिकांश क्षेत्र वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त नहीं होते हैं अथवा वृक्षारोपण किया जाना व्यवहारिक नहीं है। अतः ऐसे क्षेत्रों में शीघ्र वृक्षारोपण करने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

मान्यवर, आपने दूसरे प्रश्न के उत्तर में दिया है कि प्रश्न नहीं उठता है। मान्यवर, प्रदेश में सिविल फॉरेस्ट, रिजर्व फॉरेस्ट और वन पंचायतों में कितना क्षेत्र वृक्ष

विहीन है ? मान्यवर, दूसरा प्रश्न फॉरेस्ट लैण्ड होना अलग बात है और फॉरेस्ट कवरेज या कैनोपी अलग बात है। राष्ट्रीय कृषि नीति के तहत पहाड़ों में कितना फॉरेस्ट कवर का प्रतिशत तथा मैदान के क्षेत्र में कितना वन आच्छादित होना चाहिए?

श्री बिशन सिंह चुफाल–

माननीय, प्रदेश में कुल वन क्षेत्र 2441306.29 हेक्टेयर भूमि है।

श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

मान्यवर, मैंने पूछा कि रिजर्व फॉरेस्ट, वन पंचायत और सिविल फॉरेस्ट में जो फॉरेस्ट एरिया है उसके अतिरिक्त कितने में फॉरेस्टेशन नहीं है, फॉरेस्ट कवरेज एरिया नहीं है, उस पर क्या प्लांटेशन करने पर विचार करेंगे और दूसरा मैंने पूछा कि राष्ट्रीय कृषि नीति के तहत पर्वतीय क्षेत्र में कितना प्रतिशत फॉरेस्ट कवरेज होना चाहिए और मैदानी क्षेत्र में कितने प्रतिशत कवर फॉरेस्ट होने चाहिए?

श्री बिशन सिंह चुफाल–

माननीय, अध्यक्ष जी, जो वृक्षारोपण किया जाता है, वृक्षारोपण के लिए ढलान वाली भूमि है उसको छोड़कर और चारागाह की भूमि को छोड़कर भूमि को चार भागों में बांट दिया है, चार भागों में बाँटने से हिमाच्छादित क्षेत्र 259000.96 हैक्टेयर में किया, चारगाह क्षेत्र में 154032.92 है, निम्नस्तरीय वन क्षेत्र में 1601000 तथा बंजर में 220852.08 हैक्टेयर वन क्षेत्र किया है।

मान्यवर, पर्वतीय क्षेत्र में 65 प्रतिशत वन क्षेत्र है नीति के अन्तर्गत और 46 प्रतिशत वन भूमि है।

श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

मान्यवर, राष्ट्रीय कृषि नीति के तहत 66 प्रतिशत हिमालयी क्षेत्रों में होना चाहिए। क्या वन विभाग इसको पूरा करता है? क्योंकि आपने लिखा है कि जो वृत्त वन क्षेत्र हैं इसके लिए प्रदेश सरकार ने कोई कार्ययोजना नहीं बना रखी है। इसका मतलब यह होता है कि जैसा आपने उत्तर दिया है कि राज्य सरकार ने खाली क्षेत्र में वृक्षारोपण की कोई नीति नहीं बना रखी है। इसका मतलब यह है कि या तो आपने वृक्षारोपण की कोई नीति बना रखी है और उसे पूरा नहीं कर रहे हैं या नहीं बना रखी है तो उसे कब तक बनायेंगे? और जो रिक्त क्षेत्र है, उसमें कब तक करेंगे और मैदानी क्षेत्रों में कितना होना चाहिए?

बिशन सिंह चुफाल–

मान्यवर, मैदानी क्षेत्र में 25 प्रतिशत है जो 19 प्रतिशत पर्वतीय क्षेत्र में छूट रहा है यह भूमि वृक्षारोपण योग्य नहीं है।

श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

मान्यवर, आपने बंजर भूमि रिक्त दिखायी है।

श्री बिशन सिंह चुफाल–

मान्यवर, यह भूमि पहाड़ी है इसमें बड़ी–बड़ी, चट्टान हैं इसमें 80 से 90 एंगिल में पहाड़ हैं, इसमें पेड़ नहीं उग सकते हैं और पथरीली भूमि में भी पेड़ नहीं उगाये जा सकते हैं।

श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

मान्यवर, इसका मतलब यह है कि रिजर्व फॉरेस्ट में, वन पंचायत में, सिविल फॉरेस्ट में प्लांटेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। यह हमारे पूरे हो चुके हैं। इनमें पूरा प्लांटेशन किया जा चुका है, जितनी आवश्यकता है।

श्री बिशन सिंह चुफाल–

मान्यवर, इसमें हमारा लक्ष्य 20 प्रतिशत वनों को लगाने की योजना है, जो छूट गयी है।

डा0 शैलेन्द्र सिंघल–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि जियोग्रैफिकल सर्वे ऑफ इण्डिया द्वारा सैटेलाईट मैजनरी सर्वे में जब से उत्तराखण्ड बना है, इसमें वन क्षेत्र हमारा कितना बढ़ा है, कितना घटा है या उतना ही है? दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हूँ कि जो कुल वन क्षेत्र है, इसमें कितने प्रतिशत वन ऐसा है जो डीग्रेटेड फॉरेस्ट के अन्तर्गत आता है, जिनमें घनत्व बहुत कम हो गया है। इस तरह से कितना प्रतिशत जंगल हमारा ऐसा है?

श्री बिशन सिंह चुफाल–

मान्यवर, इसमें जो वृक्षारोपण 2007 के अन्तर्गत हुआ है 27772 हे0 में।

(व्यवधान)

डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल–

मान्यवर, मैंने यह पूछा है जबसे उत्तराखण्ड बना है सैटेलाईट मैजनरी तकनीकी के द्वारा जो सर्वे होते हैं जियोग्रैफिकल सर्वे ऑफ इण्डिया के द्वारा, इसमें हमारा वन क्षेत्र बढ़ा है, घटा है, इसकी क्या स्थिति है? दूसरा प्रश्न है कि कुल वन क्षेत्र में कितना प्रतिशत वन डीग्रेटेड फॉरेस्ट है?

श्री बिशन सिंह चुफाल–

मान्यवर, उत्तराखण्ड़ बनने के बाद 25 प्रतिशत वन क्षेत्र बढ़ा है।

डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघलः–

मान्यवर, बढ़ा है इसकी सूचना उपलब्ध करा दी जाय।

श्री बिशन सिंह चुफाल–

मान्यवर, उत्तराखण्ड बनने के बाद बन क्षेत्र बढ़ा है।

डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल–

मान्यवर, सर्वे ऑफ इण्डिया की रिपोर्ट उपलब्ध करा दी जाए। निर्माण कार्य हो रहे हैं बात समझ में नहीं आ रही है और वन क्षेत्र बढ़ा है।

श्री बिशन सिंह चुफाल–

मान्यवर, इस समय जो वृक्षारोपण हमने किया है।

डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल–

मान्यवर वृक्षारोपण की बात नहीं कर रहे हैं। हम पूरे वन क्षेत्र की बात कर रहे हैं। जब से उत्तरखण्ड बना है, तब से वह उतना ही है, बढ़ा है या घटा है ?

श्री बिशन सिंह चुफाल–

माननीय, अभी इसकी सूचना उपलब्ध नहीं है।

डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल–

मान्यवर, यह तो बहुत गम्भीर विषय है। वन के ऊपर प्रश्न लगा है और वन क्षेत्र के सम्बन्ध में कोई सूचना ही नहीं होगी तो इस पर हम क्या चर्चा करेंगे ?

श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

मान्यवर, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, और जो इसका उत्तर आया है, हालाँकि माननीय मंत्री जी ने पिछले वर्ष के जो आँकड़े हैं उसमें सारी चीजें स्पष्ट करने की कोशिश की है। लेकिन वन विभाग इसके प्रति बहुत ज्यादा संवेदनशील और गम्भीर दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए मैं इस प्रश्न को स्थगित करने की मांग करता हूँ और इस पर भविष्य में फिर से ठोस नीति बनायें, कोई कार्ययोजना बनायें, ताकि यह स्पष्ट हो सके।

श्री प्रीतम सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि कितना वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र ऐसा है जो वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त नहीं है ?

श्री बिशन सिंह चुफालः–

मान्यवर, 568558 हैक्टेयर वन क्षेत्र वन योग्य नहीं है।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

नोटः– तारांकित प्रश्न संख्या (6) के उपरान्त प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

प्रदेश में चीड़ के वनों का कटान कर चौड़ी पत्ती वाले मिश्रित वन लगाने की योजना

*7—श्री पुष्पेश त्रिपाठी—

क्या वन मंत्री अवगत हैं कि प्रदेश में अवस्थित कुल वन क्षेत्र 35,394 वर्ग कि0मी0 है तथा इस वन क्षेत्र में सबसे अधिक वन चीड़ (39,9329 हैक्टेयर) के हैं ?

क्या चीड़ के वनों का नियोजित कटान कर इसके स्थान पर चौड़ी पत्ती वाले मिश्रित वन लगाने की सरकार की कोई योजना है ?

यदि हां, तो यह योजना किस चरण में हैं और कब तक इसे मूर्त रूप दे दिया जायेगा ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बिशन सिंह चुफाल—

जी हाँ।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

चीड़ के वन क्षेत्र अधिकांशतः 1000 मी0 से अधिक ऊंचाई पर पाये जाने वाले प्राकृतिक वन हैं। इन वनों का पातन कर इनके स्थान पर चौड़ी पत्ती वाली प्रजातियों का रोपण वन वर्धन तथा वैज्ञानिक दृष्टि से उचित नहीं है।

पर्वतीय क्षेत्रों में यातायात के साधनों का नियमों के अनुरूप संचालन

*8—श्री प्रीतम सिंह—

क्या परिवहन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि पर्वतीय क्षेत्रों में चारधाम यात्रा एवं आवागमन हेतु सरकार द्वारा क्या व्यवस्था की गयी है

पर्वतीय क्षेत्रों में कितनी सीटर बस यातायात हेतु अनुमन्य है ?

क्या मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि मसूरी में दिनांक 24—05—2009 को दुर्घटनाग्रस्त बस पर्वतीय क्षेत्र में प्रचलित नियमों के अनुरूप संचालित थी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बिशन सिंह चुफाल—

(1) यात्रा मार्गों पर चैकपोस्टें खोली गई हैं।

(2)प्रत्येक चैकपोस्ट पर 06 कार्मिकों की तैनाती की गई है।

(3)चैकपोस्टों का संचालन प्रातः 4:00 बजे से सायं8:00 बजे तक किया जाता है।

(4) कम्प्यूटरीकृत ग्रीनकार्ड जारी किये जा रहे हैं।

(5) यात्रा सेलों का गठन कर नियन्त्रण कक्ष दिन-रात संचालित किये जा रहे है।

(6) संयुक्त रोटेशन के माध्यम से 40 प्रतिशत बसें यात्रा हेतु एवं 60 प्रतिशत बसें स्थानीय सेवाओं में संचालित हैं।

पर्वतीय क्षेत्रों में बसों के निर्धारित व्हील बेस, चौड़ाई एवं ओवरहैंग के मानकों के आधार पर यातायात हेतु बसों की अनुमन्यता निर्धारित है।

जी नहीं।

यात्रा मार्ग पर स्थापित परिवहन चैक पोस्ट का निर्धारित समय प्रातः 4:00 बजे से 8:00 बजे सांय तक है। कार्मिकों की कमी के कारण चैक पोस्ट 24 घण्टे संचालित नहीं हो पा रही हैं।

प्रदेश में वर्ष 2008-09 में वनाग्नि से हुई मानव एवं वन सम्पदा की क्षति

*9-श्री प्रीतम सिंह, श्रीमती अमृता रावत एवं श्री किशोर उपाध्याय-

क्या वन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में वर्ष 2008 एवं 2009 में वनाग्नि की कितनी घटनायें घटित हुई ?

क्या मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि वनाग्नि से उपरोक्त दोनों वर्षों में मानव व वन सम्पदा को कितनी क्षति हुई है ?

श्री बिशन सिंह चुफाल-

प्रदेश में वर्ष 2008 में वनाग्नि की कुल 874 घटनायें तथा वर्ष 2009 (30-06-09 तक) कुल 1602 घटनायें घटित हुई।

वर्ष 2008 में कुल रू.0 267798.5 (दो लाख सड़सठ हजार सात सौ अठानवे एवं पचास पैसे) धनराशि की वन सम्पदा की क्षति हुई तथा 07 व्यक्ति घायल हुए एवं 02 व्यक्तियों की मृत्यु हुई।

वर्ष 2009 में कुल रु0 478296.00 (चार लाख अठत्तर हज़ार दो सौ छियान्वें) धनराशि की वन सम्पदा की क्षति हुई, 19 व्यक्ति घायल हुए एवं 16 व्यक्तियों की वनाग्नि की घटनाओं में मृत्यु हुई।

राज्य में पेयजल योजनाओं का सुदृढ़ीकरण

*10-श्री गोपाल सिंह रावत-

क्या पेयजल मंत्री अवगत हैं कि राज्य में वर्षा न होने के कारण पेयजल के अधिकांश स्रोतों का स्राव अत्यधिक घट गया है ?

यदि हां, तो क्या मंत्री जी बतायेंगे कि गर्मियों में पेयजल सुविधा बहाली हेतु सरकार द्वारा अतिरिक्त संसाधन जुटाये गये हैं ?

यदि हाँ, तो क्या ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

पेयजल मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)

जी नहीं ।

कतिपय स्रोतों का जल स्राव घट गया है।

जी हाँ।

तात्कालिक रूप से पेयजल समस्याग्रस्त क्षेत्रों में सरकार द्वारा हैण्डपम्प अधिष्ठापन, डिग्गियों का निर्माण, रेनवाटर हार्वेस्टिंग, स्रोत सम्बर्द्धन, जल सरंक्षण, मिनी नलकूप, नलकूप एवं रिसावदार कुँओं का निर्माण कराया गया है। अत्यधिक संकटग्रस्त क्षेत्रों में टैंकरों के माध्यम से पेयजल वितरण कराया जा रहा है तथा आपदा मद से सम्बन्धित जिलों के जिलाधिकारियों द्वारा भी खच्चरों से जलापूर्ति सुनिश्चित करायी जा रही है। दीर्घकालिक नीति के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में स्वैप कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण पेयजल योजनाओं का निर्माण जे.एन.एन.यू.आर.एम. कार्यक्रम के अन्तर्गत देहरादून, हरिद्वार एवं नैनीताल शहरों की पेयजल योजनायें, ए0डी0बी0 कार्यक्रम के अन्तर्गत सम्मिलित हैं। मसूरी, धारचूला, डीडीहाट एवं टिहरी की कतिपय पेयजल योजनायें यूआईडीएस, एसएनटी कार्यक्रम के अन्तर्गत सम्मिलित हैं तथा नगरीय क्षेत्रों में ए0डी0बी0, जे.एन.एन.यू.आर.एम. के माध्यम से योजनाओं के सुदृढ़ीकरण की कार्यवाही प्रगति पर है।

प्रश्न नहीं उठता

प्रदेश में पेयजल समस्या के समाधान हेतु हैण्डपम्प सुविधा

*11–श्री प्रीतम सिंह, श्री गोपाल सिंह रावत एवं श्री गणेश जोशी

क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में पेयजल संकट दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किये गये हैं?

क्या पेयजल समस्याओं के समाधान हेतु हैण्डपम्प स्थापित किये जा रहे हैं?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री प्रकाश पन्त–

प्रदेश में पेयजल संकट को दूर करने के लिए तुरन्त राहत कार्य के अन्तर्गत नलकूप निर्माण, वितरण प्रणाली विस्तार, डिग्गी निर्माण, हैण्डपम्प अधिष्ठापन, अन्तःस्रोत कूप, चाल–खाल का सुदृढ़ीकरण, रेनवाटर हार्वेस्टिंग इत्यादि कार्य किये जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त टैंकरों एवं खच्चरों से भी पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है।

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्देशित मोटर मार्गों के निर्माण हेतु एन0पी0बी0 की धनराशि जमा किए जाने की दर तथा जमा धनराशि

*12–श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

क्या वन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्देशित वन भूमि के बदले एन0पी0बी0 की धनराशि जमा किये जाने की दर क्या है तथा अब तक मोटर मार्गों के निर्माण हेतु कुल कितनी धनराशि इस मद में जमा हुई है?

क्या प्रदेश को उक्त जमा धनराशि केन्द्र सरकार द्वारा वापस कर दी गई है?

यदि हाँ, तो कितनी?

श्री बिशन सिंह चुफाल–

मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 28.03.2008 के अनुसार प्रत्यावर्तित की जाने वाली वन भूमि के बदले में इको–क्लास तथा वानस्पतिक घनत्व के आधार पर एन0पी0वी0 लिये जाने की व्यवस्था की गई है। माननीय न्यायालय के उक्त आदेश के क्रम में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा जारी आदेश दिनांक 05.02.2009 में उल्लिखित निर्देशों के अनुसार एन0पी0वी0 की दर न्यूनतम रूपये 4.38 लाख प्रति है0 से लेकर अधिकतम रूपये 10.43 लाख प्रति है0 निर्धारित की गई है। मोटर मार्गों के निर्माण हेतु एन0पी0वी0 के रूप में रूपये 272.02 करोड़ की प्राप्त धनराशि को भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के स्तर पर गठित तदर्थ कैम्पा को स्थानान्तरित किया गया है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तराखण्ड परिवहन निगम द्वारा रोडवेज के मृतक आश्रितों को सरकारी सेवा का लाभ

*13–श्री गणेश जोशी–

क्या परिवहन मंत्री अवगत हैं कि उत्तराखण्ड परिवहन निगम के अन्तर्गत मृतक आश्रितों को सरकारी सेवा में समायोजित किये जाने के प्रकरण का निस्तारण नहीं हुआ है?

क्या यह सत्य है कि उत्तराखण्ड परिवहन निगम के गठन के समय निगम में मृतक आश्रितों की संख्या 55 थी जो अब बढ़कर 125 हो गयी है?

यदि हाँ, तो क्या सरकार रोडवेज मृतक आश्रितों को सरकारी सेवा में समायोजित किये जाने की दिशा में कोई कारगर कदम उठा रही है?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बिशन सिंह चुफाल:-

जी हाँ।

उत्तराखण्ड परिवहन निगम का गठन दिनांक 31-10-2003 को हुआ था। उस समय उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के मृतक कार्मिकों के आश्रितों को सेवा में योजित किये जाने के 215 मामले लम्बित थे। उत्तराखण्ड परिवहन निगम के गठन के बाद मृतक आश्रित के 217 मामले हैं। इस प्रकार कुल 432 मामले हैं।

उत्तराखण्ड परिवहन निगम कर्मचारी सेवा विनियमावली प्रख्यापित किये जाने की कार्यवाही गतिमान है। जिसमें परिवहन निगम के मृतक कर्मियों के आश्रितों को निगम सेवा में लिये जाने के प्राविधान प्रस्तावित किये गये हैं। नियमावली के अधिसूचित हो जाने पर निगम की वित्तीय स्थिति तथा मृतक के परिवार की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए विनियमावली के प्राविधानों के अनुसार मृतक आश्रितों को निगम सेवा में नियुक्ति प्रदान करने की कार्यवाही पर विचार किया जायेगा।

यथासमय।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उत्तराखण्ड में जनवरी 2009 में हुई वनाग्नि के कारण तथा नुकसान

*14-श्री गोपाल सिंह रावत:-

क्या वन एवं पर्यावरण मंत्री अवगत हैं कि जनपद उत्तरकाशी में माह जनवरी, 2009 के अन्तिम सप्ताह में कुछ वन क्षेत्रों में आग लगी है?

क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि वन निगम द्वारा चिरान किये गये स्लीपरों के साथ-साथ वनों को बहुत नुकसान पहुंचा है?

अग्निकाल न होने के बावजूद वनों में आग लगने के क्या कारण थे?

वनाग्नि से कुल कितना नुकसान हुआ है तथा इसके लिये कौन उत्तरदायी है?

श्री बिशन सिंह चुफाल:-

जी नहीं।

जनपद उत्तरकाशी में वन प्रभागों के अन्तर्गत माह जनवरी, 2009 में कोई वनाग्नि घटना प्रकाश में नहीं आयी है।

माह जनवरी 2009 में जनपद उत्तरकाशी में वनाग्नि से कोई हानि नहीं हुई।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

राज्य में पेयजल समस्या के समाधान हेतु नीति

*15–श्री किशोर उपाध्याय–

क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य के कौन–कौन से क्षेत्र में गम्भीर पेयजल संकट है?

क्या सरकार ने इन क्षेत्रों की पेयजल समस्या के समाधान हेतु नीति का निर्धारण किया है ?

यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री प्रकाश पन्त–

शीत ऋतु में पर्याप्त वर्षा एवं हिमपात न होने के कारण प्रदेश के जनपद हरिद्वार व ऊधमसिंह नगर को छोड़कर शेष सभी जनपदों के कतिपय क्षेंत्रों में स्रोतों के जल स्राव घट जाने के कारण पेयजल संकट उत्पन्न हो गया है।

जी हाँ।

तात्कालिक रूप से पेयजल समस्याग्रस्त क्षेत्रों में सरकार द्वारा हैण्डपम्प अधिष्ठापन, डिग्गियों का निर्माण, रेनवाटर हार्वेस्टिंग, स्रोत सम्बर्द्धन, जल संरक्षण, मिनी नलकूप, नलकूप का निर्माण कराया गया है। अत्यधिक संकटग्रस्त क्षेत्रों में टैंकरों के माध्यम से पेयजल वितरण कराया जा रहा है तथा आपदा मद से सम्बन्धित जिलों के जिलाधिकारियों द्वारा भी खच्चरों से जलापूर्ति सुनिश्चित करायी जा रही है।

दीर्घकालिक नीति के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में स्वैप कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण पेयजल योजनाओं का निर्माण जे.एन.एन.यू.आर.एम. कार्यक्रम के अन्तर्गत देहरादून, हरिद्वार एवं नैनीताल शहरों की पेयजल योजनायें, ए0डी0बी0 कार्यक्रम के अन्तर्गत सम्मिलित हैं। मसूरी धारचूला, डीडीहाट एवं टिहरी की कतिपय पेयजल योजनायें यूआईडीएस, एसएनटी कार्यक्रम के अन्तर्गत सम्मलित हैं तथा नगरीय क्षेत्रों में ए0डी0बी0, जे.एन.एन.यू.आर.एम. के माध्यम से योजनाओं के सुदृढ़ीकरण की कार्यवाही प्रगति पर है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद ऊधमसिंह नगर के सितारगंज, नानकमत्ता आदि क्षेत्रों में बाढ़ सुरक्षा योजना के लम्बित प्रस्ताव

*श्री नारायण पाल–

क्या सिंचाई मंत्री अवगत है कि जनपद ऊधमसिंह नगर के सितारगंज, नानकमत्ता व शक्तिगढ़ क्षेत्र में वर्षाकाल के दौरान प्रतिवर्ष बाढ़ से भारी नुकसान होता है ?

यदि हाँ, तो बाढ़ सुरक्षा योजना के कितने प्रस्ताव वित्तीय स्वीकृति हेतु राज्य व केन्द्र स्तर पर लम्बित हैं ?

क्या मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य स्तर पर लम्बित उक्त प्रस्ताव कब तक स्वीकृत होंगे ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मातबर सिंह कण्डारीः–

जी हाँ। जनपद ऊधमसिंह नगर के सितारगंज, नानकमत्ता व शक्तिगढ़ के कुछ क्षेत्रों में वर्षाकाल में क्षति पहुंचती है।

जनपद ऊधमसिंह नगर की 08 बाढ़ सुरक्षा योजनाओं का रूपये 718.93 लाख का प्रस्ताव भारत सरकार को स्वीकृत हेतु प्रेषित किया गया है।

केन्द्र पोषित बाढ़ सुरक्षा योजनाओं पर स्वीकृति का निर्णय भारत सरकार द्वारा लिया जाना है।

उपरोक्तानुसार।

अतारांकित प्रश्न

लो0 नि0 विभाग द्वारा निर्मित मार्गों के दोनों ओर वृक्षारोपण

1–श्री प्रेमानन्द महाजन–

क्या वन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य में लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित मार्गों के दोनों ओर पेड़ लगवाने हेतु सरकार द्वारा कोई नीति बनायी जा रही है ?

यदि हाँ, तो राज्य में निर्मित मार्गों के दोनों ओर वृक्ष लगाये जाने की कार्यवाही कब से प्रारम्भ की जायेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बिशन सिंह चुफाल–

उत्तराखण्ड वृक्षारोपण नीति के अनुसार मार्गों के दोनो ओर वृक्षरोपण किया जाता है।

राज्य में विभिन्न मार्गों के किनारे पूर्व से ही वृक्षारोपण किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

पौड़ी के वि0 स0 क्षेत्र कलजीखाल के अन्तर्गत ग्राम तोली, बाडियूँ को नियमित सिंचाई की सुविधा

2–श्रीमती अमृतारावत–

क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड कलजीखाल के अन्तर्गत ग्राम तोली, बाडियूं निवासियों को नियमित एवं सुचारू रूप से सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाए जाने के सम्बन्ध में मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई विभाग उत्तराखण्ड, देहरादून को सम्बोधित पूर्व केन्द्रीय मंत्री श्री सतपाल महाराज के पत्रांक 497/सम/8–सिंचाई/2008–09 दिनांक 19 अप्रैल, 2008 विभाग में कब प्राप्त हुआ है और पत्र में वर्णित समस्या के समाधान हेतु दिये गए सुझावों के कियान्वयन हेतु अब तक की गई कार्यवाही एवं प्रगति का विवरण क्या है ?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मा0 पूर्व केन्द्रीय मंत्री, श्री सतपाल जी महाराज द्वारा प्रेषित पत्र संख्या–497/सम/2008–09, दिनांक 19.4.2008, मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, के कार्यालय में दि0 26.4.2008 को प्राप्त हुआ।

वर्तमान समय में तोली नहर से प्रस्तावित सींच खरीफ/रबी 6–6 हैक्टेयर के विरूद्ध मात्र 2–2 हैक्टेयर सींच हो पा रही है। उक्त पत्र में दिये गये सुझाव पर विभाग द्वारा कराये गये सर्वेक्षण के उपरान्त पाया गया कि जल आपूर्ति हेतु थनगढ़ गधेरे से लगभग चार किमी0 फीडर नहर निर्माण की आवश्यकता होगी, जो उक्त नहर की प्रस्तावित सींच खरीफ एवं रबी की 6–6 हैक्टेयर को पूरा करेगी। इस फीडर नहर में खरीफ एवं रबी का क्षेत्र अत्यधिक कम होने, तथा फीडर नहर के समरेखन में भू–धंसाव की समस्या होने तथा लाभ लागत अनुपात में न होने के कारण दिये गये सुझाव पर कार्यवाही की जानी समीचीन न होगी।

लोक निर्माण विभाग एवं परिवहन विभाग से नवनिर्मित एवं विस्तारित मोटर मार्गों पर बसों का संचालन

3–श्रीमती अमृता रावत –

क्या परिवहन मंत्री अवगत हैं कि प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड परिवहन निगम देहरादून के पत्रांक 1915/एच0 क्यू0/संचालन/ 07 दिनांक 02 जनवरी, 2008 के द्वारा अवगत कराया गया है कि लोक निर्माण विभाग एवं परिवहन विभाग से नवनिर्मित एवं विस्तारित मोटर मार्गों की सूची का सर्वे करवाकर, उपयुक्त पाये जाने वाले मार्गों पर बस संचालन की कार्यवाही की जोयगी ?

यदि हाँ, तो इन मार्गों पर परिवहन निगम की बस सेवाएं संचालित करने/करवाने की दिशा में अब तक की गई कार्यवाही का विवरण क्या है तथा कौन–कौन से मार्ग निगम की बस सेवाएं संचालित करने हेतु उपयुक्त पाए गए हैं ?

श्री बिशन सिंह चुफाल–

जी हाँ।

मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून तथा सम्भागीय परिवहन अधिकारी (देहरादून, हल्द्वानी, पौड़ी, अल्मोड़ा) से प्रदेश के नव निर्मित एवं विस्तारित मोटर मोर्गों की सूची उत्तराखण्ड परिवहन निगम को उपलब्ध करवाई गई थी। इन मार्गों का सर्वे करवाने हेतु सूचियों को मण्डलीय प्रबन्धक (संचालन) देहरादून/नैनीताल क्षेत्र को प्रेषित किया गया था। सम्बन्धित मार्ग अलाभकारी पाये जाने के कारण बस सेवा संचालन हेतु उपयुक्त नहीं पाये गये हैं।

ऊधमसिंह नगर अन्तर्गत बौर व हरिपुरा के क्षतिग्रत जलाशयों की मरम्मत हेतु अवमुक्त धनराशि

4–श्री प्रेमानन्द महाजन–

क्या सिंचाई मंत्री अवगत हैं कि विगत वर्ष वर्षाकाल में जनपद ऊधमसिंह नगर के अन्तर्गत बौर जलाशय व हरिपुरा जलाशय (ऊधमसिंह नगर स्थित) टूटने के कगार पर थे?

क्या उक्त दोनों जलाशयों के बांधों को ठीक कराने का कार्य शुरू हो चुका है?

यदि हाँ, तो उक्त कार्य हेतु विभाग द्वारा कितनी धनराशि अवमुक्त की गयी?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

गत वर्ष 2008 के वर्षाकाल में अतिवृष्टि से बौर एवं हरिपुरा बाँधों की पिचिंग आदि क्षतिग्रस्त हो गयी थी, जो कि सामान्य घटना थी।

जी, हाँ।

उक्त दोनों जलाशयों की मरम्मत आदि के कार्य हेतु वर्ष 2008–09 में रूपये 56.50 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

पंतनगर–गदरपुर में खराब हैण्पम्पों की संख्या एवं मरम्मत

5–श्री प्रेमानन्द महाजन–

क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र पंतनगर–गदरपुर में कुल कितने हैण्डपम्प खराब हैं एवं स्वजल द्वारा लगाये गये हैण्डपम्पों की संख्या क्या है?

सरकार द्वारा उक्त हैण्डपम्प कब तक ठीक किये जायेंगे?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री प्रकाश पन्त–

विधान सभा क्षेत्र पंतनगर–गदरपुर में 319 हैण्डपम्प खराब हैं। स्वजल परियोजना द्वारा 660 हैण्डपम्प स्थापित किये गये हैं।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर होगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद नैनीताल के अन्तर्गत भीमताल में नगरीय पेयजल योजना के तृतीय चरण के कार्य की स्वीकृति

6–श्री खड़क सिंह बोहरा–

क्या पेयजल मंत्री अवगत हैं कि भीमताल जनपद नैनीताल की नगरीय पेयजल योजना में प्रथम एवं द्वितीय चरण का कार्य पूर्ण हो चुका है किन्तु तृतीय चरण का कार्य स्वीकृत न होने के कारण योजना का पूरा लाभ जनता को नहीं मिल पा रहा है?

यदि हाँ, तो योजना के तृतीय चरण का कार्य कब तक स्वीकृत किया जायेगा?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री प्रकाश पन्त–

जी हाँ।

भीमताल नगर की पेयजल योजना तृतीय चरण अनु0 लागत रू0 228.95 लाख स्वीकृत है। जिस पर रू0 100.00 लाख की धनराशि व्यय की जा चुकी है। लागत के शेष कार्य वर्ष 2009–10 में पूर्ण किये जाने लक्षित हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद नैनीताल के कालाढूंगी व दिचौरी नहर में ट्रेन्चवियर हेतु कार्य योजना

7–श्री खड़क सिंह बोहरा–

क्या सिंचाई मंत्री अवगत हैं कि अपर दैचोरी नहर एवं कालाढूंगी नहर, जनपद नैनीताल के हैड में वियर निर्माण की कोई योजना विभाग में विचारधीन है?

यदि हाँ, तो इस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

जी, हाँ।

अपर दैचोरी के हैड पर माह दिसम्बर से जुलाई तक पानी की कमी रहती है, नहर पर कच्चे हैड बन्ध से होने वाले रिसाव को रोकने तथा पानी का पूर्ण रूप से उपयोग करने हेतु ट्रेन्च वियर का प्रस्ताव किया गया है। प्रस्तावित ट्रेन्च वियर हेतु प्रारम्भिक सर्वेक्षण किया जा रहा है। योजना की उपयोगिता पाये जाने पर, इसका गठन कर डी0पी0आर0 तैयार करने की कार्यवाही की जायेगी।

कालाढुंगी में बौर नदी में माह दिसम्बर से जुलाई तक पानी की बहुत कमी हो जाती है। इस पर सब सोइल वाटर तथा कच्चे हैड बन्ध से रिसाव होने वाले पानी को रोकने हेतु कालाढुंगी नहर में पानी की कमी को पूरा करने हेतु कालाढुंगी बैराज की योजना उपयुक्त है। प्रारम्भिक योजना के गठन की कार्यवाही प्रगति में है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद नैनीताल के कालाढूंगी व भवाली में सीवर प्रणाली हेतु योजना का सर्वेक्षण कार्य

8–श्री खड़क सिंह बोहरा–

क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि नगरपालिका परिषद भवाली एवं नगरपालिका परिषद कालाढूंगी जनपद नैनीताल में ए0डी0बी0 के अन्तर्गत सीवर प्रणाली निर्माण की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ?

यदि हाँ, तो इस सम्बंध में सरकार द्वारा कोई सर्वेक्षण किया गया है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री प्रकाश पन्त–

जी नहीं।

जी नहीं।

इन नगरों की सीवरेज एवं पेयजल योजना की व्यवस्था को भविष्य में शहरी अवस्थापना विकास कार्यकम के अन्तर्गत लिया जाना प्रस्तावित हैं।

नैनीताल से वाया कालाढूंगी होकर देहरादून हेतु बस सेवा संचालन

9–श्री खड़क सिंह बोहरा–

क्या परिवहन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि नैनीताल से वाया कालाढुंगी होकर देहरादून तक जाने हेतु राज्य परिवहन निगम द्वारा बस सेवा संचालित करने की कोई योजना सरकार के विचारधीन है ?

यदि हाँ, तो कब तक उक्त मार्ग पर बस सेवा का संचालन प्रारम्भ किया जायेगा?

यदि नहीं, तो क्यों ?

बिशन सिंह चुफाल–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्नगत मार्ग बस संचालन हेतु अलाभकारी होने के कारण सम्प्रति बस संचालन किया जाना प्रस्तावित नहीं है।

जनपद नैनीताल अन्तर्गत बौर नदी से हो रहे कृषि भूमि के कटाव की रोकथाम

10–श्री खड़क सिंह बोहरा–

क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि तहसील कालाढुंगी जनपद नैनीताल के अन्तर्गत बौर नदी से हो रहे उपजाऊ कृषि भूमि के कटाव की रोकथाम हेतु बाढ़ नियंत्रण के अधीन कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ?

यदि हाँ, तो कब तक उक्त योजना स्वीकृत हो जायेगी ?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

कालाढुंगी बन्दोबस्ती गांव की बाढ़ सुरक्षा योजना लागत रूपये 92.00 लाख की विभाग द्वारा तैयार की जा रही है। योजना शासन में प्राप्त होने पर योजना का परीक्षण कर धन की उपलब्धता के आधार पर अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सकेगी।

उपरोक्तानुसार।

अल्मोड़ा शहर की पेयजल समस्या हेतु सरयू सेराघाट पम्पिंग पेयजल योजना की प्रगति

11–श्री मनोज तिवारी–

क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत अल्मोड़ा नगर की भीषण पेयजल समस्या को दृष्टिगत रखते हुए सरयू शेराघाट पम्पिंग पेयजल योजना की स्वीकृति हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही हैं?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री प्रकाश पन्तः–

अल्मोड़ा नगर की पेयजल व्यवस्था का पुनर्गठन ए०डी०बी० कार्यक्रम के सहायतित परियोजनाओं में यूयूएसडीआईपी के ट्रैन्च–III के अन्तर्गत नगर की जलापूर्ति एवं सीवरेज व्यवस्था प्रस्तावित है। सर्वप्रथम ट्रैन्च –II में सम्मिलित नगर के मास्टर प्लान /डी०पी०आर तैयार की गयी है इसके कार्य पूर्ण होने के उपरान्त ट्रैन्च–III की डी०पी०आर०/ मास्टर प्लान तैयार किये जायेंगे।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अल्मोड़ा तथा नैनीताल में सरयू, कोसी आदि नदियों पर बाँध बनाने की योजना

12–श्री मनोज तिवारी–

क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद अल्मोड़ा तथा नैनीताल में कोसी नदी पर बर्सिमी बांध, क्वारब बांध, खैरना बांध, कवास बांध, सरयू नदी पर शेराघाट बांध, सरयू नदी पर दर्दबार छीना बांध, सरयू नदी पर बिलौना बांध, गौला नदी पर जमरानी बांध, बनाये जाने की योजना विचारधीन है?

यदि हां, तो क्या सरकार इन बांधों के निर्माण के सम्बन्ध में वर्तमान स्थिति सदन के पटल पर रखेगी?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मातबर सिंह कण्डारी:–

कोसी नदी के बर्सिमी नामक स्थान पर बांध निर्माण तथा जनपद नैनीताल के अन्तर्गत गौला नदी पर जमरानी बांध बनाया जाना प्रस्तावित है।

सरयु नदी में सेराघाट बांध, विलोना बांध, तथा गोमती नदी पर हरिद्वार छीना बांध, बनाये जाने की कोई योजना वर्तमान में प्रस्तावित नहीं है।

कोसी नदी पर बर्सिमी नामक स्थान पर बांध निर्माण के सर्वेक्षण एवं अनुसंधान कार्यों को कराये जाने का प्रस्ताव परीक्षणाधीन है।

जमरानी बांध की पुनरीक्षित डी0पी0आर0 लागत रूपये 927.93 करोड़, वर्ष 2005 के मूल्य सूचकांक के आधार पर माह मार्च 2006 में भारत सरकार को प्रेषित की गयी। जिस पर भारत सरकार द्वारा दिये गये सुझावों का समावेश करते हुये उत्तर प्रेषित किया गया है। शेष बिन्दुओं पर कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार को सन्दर्भित बिन्दुओं के आधार पर विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर प्रेषित की गयी। जिस पर दिनाँक 22.1.2009 को वन एवं पर्यावरण मंत्रालय में विशेषज्ञ समिति द्वारा फ्लांरा फोना के गहन अध्ययन, विस्थापितो एवं हैड़ाखान मन्दिर के पुनर्वास एवं केचमैन्ट एरिया उपचार एवं विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये, जिस पर कार्यवाही गतिमान है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद अल्मोड़ा अन्तर्गत मांसी से देहरादून के मध्य सीधी बस सेवा का संचालन

13–श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

क्या परिवहन मंत्री अवगत हैं कि जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र भिक्यासैंण के अन्तर्गत मांसी से क्षेत्रवासियों को कार्यवश अस्थायी राजधानी देहरादून आना–जाना पड़ता है?

क्या यह सत्य है कि मांसी से देहरादून के मध्य राज्य परिवहन की सीधी बस न होने से क्षेत्रवासियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है?

यदि हां, तो क्या मंत्री जी मांसी से देहरादून तक राज्य परिवहन निगम की बस का संचालन करने की व्यवस्था करेंगे?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बिशन सिंह चुफालः—

जी हाँ।

जी हाँ।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्नगत मार्ग बस संचालन हेतु अलाभकारी होने के कारण सम्प्रति बस संचालन किया जाना प्रस्तावित नहीं है।

जनपद अल्मोड़ा के वि0स0 क्षेत्र द्वाराहाट अन्तर्गत चांदीखेत जमड़िया पेयजल योजना

14—श्री पुष्पेश त्रिपाठी—

क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद अल्मोड़ा के द्वाराहाट विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत चांदीखेत पेयजल योजना और जमड़िया पेयजल योजना के निर्माण हेतु क्षेत्रीय जनता द्वारा बार—बार माँग की जा रही है?

यदि हाँ, तो कब तक उक्त योजनाओं के निर्माण कार्य की स्वीकृति दी जायेगी?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री प्रकाश पन्त—

जी हाँ।

चाँदीखेत ग्राम समूह पम्पिंग पेयजल योजना का प्राक्कलन विरचित कर जिला जल एवं स्वच्छता समिति की संस्तुति तथा जिला जल एवं स्वच्छता मिशन की बैठक में अनुमोदनोपरान्त राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन को अग्रसारित कर दिया गया है। जिसके जाँचोपरान्त स्वीकृति विषयक अग्रिम कार्यवाही की जायेगी। जमड़िया ग्राम एवं निकटवर्ती अन्य ग्रामों के निवासियों को पेयजल उपलब्ध कराने हेतु रामपुर भनौटिया योजना के नाम से स्वैप मोड में पेयजल योजना प्रस्तावित है। जिसके सर्वेक्षण के उपरान्त प्राक्कलन विरचन किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

अल्मोड़ा के आदिग्राम कन्हौणिया में सिंचाई हेतु लिफ्ट योजना

श्री पुष्पेश त्रिपाठी एवं श्री गोपाल सिंह रावत–

क्या सिंचाई मंत्री अवगत हैं कि वि0ख0 चौखुटिया जनपद अल्मोड़ा के आदिग्राम कन्हौणिया की जनता विगत बीस वर्षों से तीस हैक्टेयर असिंचित जमीन की सिंचाई हेतु सिंचाई पम्पिंग योजना की मांग करती आ रही है?

क्या मंत्री जी के संज्ञान में है कि उक्त ग्राम सभा से मात्र सौ मीटर की दूरी पर रामगंगा नदी बहती है?

यदि हाँ, तो उक्त योजना की स्वीकृति कब तक दी जायेगी?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

क्षेत्र समिति, विकास खण्ड चौखुटिया की बैठक दिनाँक 6.9.2006 को जनपद अल्मोड़ा के विकास खण्ड चौखुटिया के आदिग्राम कन्हौणिया में लिफ्ट योजना का प्रस्ताव पारित हुआ।

जी हाँ।

आदिग्राम कन्हौणिया हेतु नाबार्ड वित्त पोषण के अन्तर्गत अनुमानित लागत रूपये 60.32 लाख की लिफ्ट योजना तैयार की गयी है। योजना परीक्षणाधीन है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद अल्मोड़ा के द्वाराहाट अन्तर्गत बग्वालीपोखर ग्राम समूह और झलाहाट पेयजल योजना की प्रगति

16–श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि अल्मोड़ा जनपद के द्वाराहाट विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत बग्वालीपोखर ग्राम समूह पेयजल योजना और झलाहाट पेयजल योजना के प्रथम चरण का निर्माण कार्य पूर्ण होने पर द्वितीय चरण के निर्माण हेतु धनराशि अवमुक्त कर दी गयी है?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री प्रकाश पन्त–

जी नहीं।

स्वैप कार्यक्रम के अन्तर्गत इन दोनों योजनाओं के प्राक्कलन विरचित कर जिला जल एवं स्वच्छता समिति की संस्तुति के पश्चात जिला जल एवं स्वछता मिशन के

अनुमोदनोपरान्त राज्य जल एवं स्वच्छता समिति को सन्दर्भित की जा चुकी है। राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन के जाँचोपरान्त स्वीकृति हेतु अग्रिम कार्यवाही की जा सकेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उत्तरकाशी के गंगोत्री क्षेत्रान्तर्गत दो बड़ी सिंचाई योजनाओं के प्रस्ताव एवं स्वीकृत धनराशि

17–श्री गोपाल सिंह रावत–

क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र गंगोत्री जनपद उत्तरकाशी में राज्य योजना से दो बड़ी सिंचाई योजनाओं के प्रस्ताव वर्ष 2007–08 में सरकार द्वारा मांगे गये थे?

यदि हां, तो वे दो योजनायें कौन सी हैं एवं उनके लिये कुल कितना परिव्यय स्वीकृत किया गया है?

क्या मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि उन पर कुल कितना कार्य पूर्ण किया जा चुका है?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

जी हाँ।

योजनाओं का विवरण निम्न प्रकार है–

(1) जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड डुण्डा, मटवाड़ी एवं चिन्यालीसौड़ में 30 नहरों की पुनरोद्धार योजना रूपये 392.63 लाख की नाबार्ड से वित्त पोषित है, और इसके लिए वित्तीय वर्ष 2009–10 हेतु रूपये 182.63 लाख का लक्ष्य रखा गया है।

(2) आन्द्रीगाड से बायणा तक सिंचाई नहर के नवनिर्माण की योजना। इस योजना हेतु कोई परिव्यय स्वीकृत नहीं किया गया है।

क्रमांक 1 का कार्य प्रगति में है, तथा रूपये 145.20 लाख का व्यय किया जा चुका है, जिस पर लगभग 35 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है।

क्रमांक 2 आन्द्रीगाड से बायणा तक सिंचाई नहर के नवनिर्माण हेतु मूल स्रोत, बादल फटने के कारण भूमिगत हो गये हैं, जिसके कारण योजना पर अग्रिम कार्यवाही की जानी सम्भव नहीं हो पायी है।

उपरोक्तानुसार

जनपद देहरादून के रामपुर अन्तर्गत विवेकानन्द ग्राम फेज–2 में बहने वाली गूल के दूषित पानी पर विभाग द्वारा कार्यवाही

18–श्री प्रेमानन्द महाजन–

क्या सिंचाई मंत्री अवगत हैं कि जनपद देहरादून के विकास खण्ड रायपुर, ग्राम सभा नत्थनपुर के अन्तर्गत विवेकानन्द ग्राम फेज–2 से होकर बहने वाली गूल में स्थानीय लोगों के मकानों का गंदा व सीवर का पानी लगातार बहता रहता है?

क्या यह सत्य है कि उक्त गूल का पानी सिंचाई के अतिरिक्त मवेशियों एवं अन्य कार्यों हेतु भी प्रयोग किया जाता है?

क्या बहते हुए गूल में सीवर/घरों का दूषित पानी प्रवाहित किये जाने की अनुमति है?

यदि नहीं, तो विभाग द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

जी हाँ। स्थानीय लोगों के मकानों का स्नानगृह एवं रसोई का पानी (सीवर छोड़कर) गूल में बहता है।

जी नहीं। गूल से पानी खेतों में फसलों की सिंचाई हेतु ले जाया जाता है।

जी नहीं।

यद्यपि फील्ड गूलों का स्वामित्व स्थानीय लोगों/कास्तकारों का है, फिर भी विभाग द्वारा समय–समय पर जन अभियान चलाकर दूषित पानी की निकासी गूल में रोकने हेतु कार्यवाही की जाती है। सिंचाई के पानी को दूषित करने पर सम्बन्धित दोषियों को कैनाल एक्ट के तहत नोटिस भी दिया गया है, एवं तदनुसार कार्यवाही भी की जायेगी।

जनपद उत्तरकाशी मुख्यालय एवं अन्य क्षेत्रों में परिवहन निगम की बसों का देहरादून से संचालन

19–श्री गोपाल सिंह रावत–

क्या परिवहन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी मुख्यालय एवं आसपास क्षेत्र में उत्तराखण्ड राज्य परिवहन निगम की रोडवेज बसों का देहरादून से चम्बा–देवीधार–फोल्ड–धौन्तरी एवं देहरादून से चम्बा उत्तरकाशी भटवाड़ी–हर्षिल तक संचालन किया जायेगा?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बिशन सिंह चुफाल–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

वर्तमान में देहरादून से चम्बा, टिहरी तक तथा देहरादून से चम्बा,उत्तरकाशी, मनेरी तक बस सेवा संचालित है। इसी प्रकार हरिद्वार से हर्षिल तक बस सेवा संचालित है। देहरादून से देवीधार, फोल्ड, धौन्तरी तक तथा देहरादून से भटवाड़ी तक बस संचालन करना अलाभकारी है। निगम की वित्तीय स्थिति को देखते हुए उक्त मार्ग पर बस सेवा प्रारम्भ करना सम्प्रति प्रस्तावित नहीं है।

जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत मुनस्यारी, धारचूला क्षेत्रान्तर्गत नदी द्वारा भू–कटाव की रोकथाम

20–श्री गगन सिंह–

क्या सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ के तहसील मुनस्यारी में डोल्मा, मदकोट, टॉगा, सेराघाट एवं तहसील धारचूला के अन्तर्गत जौलजीवी, खेत, सोबला में हो रहे नदी के भू–कटाव को रोकने के लिये सरकार द्वारा कोई कारगर नीति बनायी गयी है?

यदि हां, तो क्या?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

जी हाँ।

जनपद पिथौरागढ़ के तहसील मुनस्यारी के डोल्मा, टॉडा, टॉगा, सेराघाट में भू–कटाव को रोकने हेतु योजना का सर्वेक्षण कार्य प्रगति पर है। मदकोट में बाढ़ सुरक्षा कार्य पूर्ण कर लिये गये है। एवं तहसील धारचूला के अन्तर्गत जौलजीवी एवं खेत की बाढ़ सुरक्षा योजनाओं पर धनराशि उपलब्ध होने के पश्चात भू–कटाव को रोकने का कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा, तथा सोबला में भू–कटाव रोकने हेतु सर्वेक्षण का कार्य प्रगति पर है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

21– श्री गोपाल सिंह रावत–

(अता0 प्रश्न संख्या 15 की पुनरावृत्ति)

जनपद उत्तर काशी में राज्य योजना से प्रस्तावित दो बड़ी पेयजल योजनाएं तथा स्वीकृत धनराशि व कार्य प्रगति

22–श्री गोपाल सिंह रावत–

क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र गंगोत्री जनपद

उत्तरकाशी में राज्य योजना से दो बड़ी पेयजल योजनाओं के प्रस्ताव वर्ष 2007–08 में सरकार द्वारा मांगे गये थे ?

यदि हाँ, तो वे दो योजनायें कौन सी हैं तथा उनके लिये कुल कितना परिव्यय स्वीकृत किया गया है ?

उक्त योजनाओं पर अब तक कितना कार्य पूर्ण किया जा चुका है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री प्रकाश पन्त–

जी हाँ।

बोंगाड़ी ग्राम समूह पेयजल योजना एवं संग्राली–पाटा पुनर्गठन पेयजल योजना है, जिनका निर्माण स्वैप कार्यकम के अन्तर्गत प्रस्तावित किया गया है।

उक्त योजनाओं पर कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है।

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वैप कार्यकम लागू होने के फलस्वरूप उक्त दोनों पेयजल योजनायें नई होने के कारण स्वैप कार्यकम में प्रस्तावित की गयी हैं।

जनपद ऊधमसिंह नगर के खटीमा अन्तर्गत बहने वाली कामिनी नदी पर बाढ़ सुरक्षा योजना

श्री गोपाल सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री अवगत हैं कि जनपद ऊधमसिंह नगर की खटीमा तहसील में बहने वाली कामिनी नदी में अतिवृष्टि के कारण होने वाली भूमि कटाव से ग्राम दिया का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है?

क्या सरकार ग्राम दिया के अस्तित्व को बनाये रखने के लिये कामिनी नदी से होने वाले भू–कटाव को रोकने हेतु योजना बना रही है?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

कामिनी नदी में वर्ष 2008 में आयी बाढ़ से ग्राम दिया में कटाव हुआ था।

ग्राम दिया चाँदपुर की कामिनी नदी से बाढ़ सुरक्षा हेतु रूपये 112.90 लाख की बाढ़ सुरक्षा योजना का प्रस्ताव बनाया गया है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद ऊधमसिंह नगर के खटीमा के शारदा दोहा पोषक नहर के डौल की पुनः निर्माण कार्य योजना

श्री गोपाल सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री अवगत हैं कि जनपद ऊधमसिंह नगर तहसील खटीमा में शारदा नहर से निकलने वाली दौहा पोषक शाखा नहर का ग्राम पेहानियाँ के पास गत

वर्ष की अतिवृष्टि से डौल (तटबंध) कट जाने से ग्राम पेहानियाँ को खतरा पैदा हो गया है तथा आवागमन भी अवरूद्ध हो गया है?

यदि हाँ, तो क्या शारदा दौहा पोषक नहर का डौल (तटबंध) पुनः निर्माण कार्य किये जाने की सरकार द्वारा कोई योजना बनाई जा रही है?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

उत्तराखण्ड में स्थित पुरानी शारदा देवहा पोषक नहर, उत्तर प्रदेश के नियन्त्रण में है। उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग से प्राप्त सूचना के आधार पर वर्तमान में ग्राम पेहानियाँ को कोई खतरा नहीं है, न ही कोई आवागमन अवरूद्ध हुआ हैं।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद हरिद्वार लालढांग के ग्राम सराय, इब्राहिमपुर आदि क्षेत्रों में पक्की माईनरों का निर्माण

25–हाजी तस्लीम अहमद–

क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र–लालढांग के ग्राम सराय, इब्राहिमपुर, जमालपुर, कटारपुर, मिस्सरपुर, पंजनहेड़ी में सिंचाई के लिए गंगनहर से निकाली गयी कच्ची माईनरों में पानी के अपव्यय को रोकने के लिए सिंचाई विभाग द्वारा पक्की माईनरों का निर्माण कार्य कराया जायेगा?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

सम्बन्धित माइनरों का स्वामित्व उत्तर प्रदेश, सिंचाई विभाग में होने के कारण माईनरों को पक्का कराया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है, किन्तु इन माईनरों से निकलने वाले आफसूटों से होने वाले पानी के अपव्यय को रोकने के लिये आफसूटों को पक्का करने का कार्य सिंचाई विभाग उत्तराखण्ड द्वारा कराया जा रहा है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद चमोली के कर्णप्रयाग अन्तर्गत गौचर लिफ्ट पेयजल योजना

26–श्री अनिल नौटियाल–

क्या पेयजल मंत्री अवगत हैं कि जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र कर्णप्रयाग के अन्तर्गत गौचर में "गौचर लिफ्ट पेयजल योजना" स्वीकृत हुई है?

यदि हाँ, तो उक्त योजना पर कब तक कार्य शुरू किया जाएगा?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री प्रकाश पन्त--

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

गौचर पम्पिंग पेयजल योजना का सर्वेक्षण कार्य पूर्ण कर लिया गया है एवं योजना का प्राक्कलन विरचित किया जा रहा है।

जनपद चमोली के गैरसैंण हेतु पेयजल योजना

27--श्री अनिल नौटियाल--

क्या पेयजल मंत्री अवगत हैं कि जनपद चमोली के गैरसैंण क्षेत्र में ग्रामीणों को पेयजल की समस्या से जूझना पड़ रहा है?

यदि हां, तो क्या गैरसैंण क्षेत्र हेतु शासन स्तर पर कोई पेयजल योजना स्वीकृत हुई है?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री प्रकाश पन्त--

जी हाँ,

इस क्षेत्र में पेयजल की सुविधा के दृष्टिगत विश्व बैंक द्वारा पोषित सकल क्षेत्र में समरूप नीति (स्वैप) के अन्तर्गत दो पेयजल योजनायें निर्माणाधीन हैं तथा तीन पेयजल योजनाओं हेतु उपभोक्ता एवं स्वच्छता समितियों का गठन एवं योजना के डी0पी0आर0 अनुमोदित हो चुके हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चमोली के कर्णप्रयाग बाजार हेतु पेयजल आपूर्ति योजना

28--श्री अनिल नौटियाल--

क्या पेयजल मंत्री अवगत हैं कि जनपद चमोली के अन्तर्गत कर्णप्रयाग बाजार में पेयजल की अत्यन्त समस्या है ?

क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि कर्णप्रयाग बाजार हेतु पेयजल से सम्बन्धित कितनी योजनायें स्वीकृत हैं और उनकी वर्तमान स्थिति क्या है ?

श्री प्रकाश पन्त--

जी हाँ,

पूर्व में निर्मित कर्णप्रयाग पेयजल योजना के माध्यम से पेयजल आपूर्ति की जा रही है।

जनपद पौड़ी के दुगड्डा अन्तर्गत ग्राम गोदी (बड़ी) से गुजरने वाली विद्युत हाई टेंशन लाईन बिछाने हेतु काश्तकारों के विदोहित वृक्षों का विवरण तथा मुआवजा

29–श्री गोपाल सिंह

क्या वन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि विष्णुप्रयाग जल विद्युत योजना की ग्राम गोदी (बड़ी) जनपद पौड़ी गढ़वाल से गुजरने वाली हाई टेंशन लाईन बिछाने हेतु उक्त ग्राम के काश्तकारों के नाप खेतों से कुल कितने वृक्षों का पातन किया गया ?

पातन किये गये वृक्षों की प्रजाति, आकार तथा नाप खेत के स्वामित्व का पूर्ण विवरण क्या है ? क्या सभी काश्तकारों, जिनके नाप खेत से वृक्षों का पातन किया गया है, को मुआवजे का भुगतान कर दिया गया है? यदि हाँ, तो किस दर से कितना–कितना तथा कब–कब ?

क्या मंत्री जी पूरा विवरण सदन के पटल पर रखेंगे ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बिशन सिंह चुफाल–

जनपद पौड़ी में लैन्सडोन वन प्रभाग के दुगड्डा रेंज के अन्तर्गत ग्राम गोदी (बड़ी) से गुजरने वाली विष्णुप्रयाग जल विद्युत योजना की हाई टेंशन लाईन बिछाने हेतु ग्राम के 6 काश्तकारों के कुल 28 वृक्षों का विदोहन उत्तरांचल वन विकास निगम द्वारा किया गया है। सभी काश्तकारों को उनके नाप खेत से विदोहित वृक्षों के मुआवजे का भुगतान कर दिया गया है।

पातन किये गये वृक्षों की प्रजाति, आकार तथा नाप खेत के स्वामित्व एवं मुआवजे में भुगतान की धनराशि तथा तिथि का विवरण निम्नानुसार है–

प्रजाति	वृक्षों की संख्या	आयतन (घ0मी0)	काश्ताकारों का नाम व पता	भुगतान की धनराशि का विवरण तथा तिथि
साल	12	8.509	श्री शिवदत्त पसबोला पुत्र श्री ईश्वरी दत्त	1–रू0 52500 दि. 28–6–07 2–रू0 36205 दि. 23–4–09
जामुन	02	0.170		
कोकाट	05	0.255		
तुन	01	0.085	श्री सुरेन्द्र चौधरी पुत्र मंगल चौधरी	1–रू0 484 दि. 28–6–07

तुन	01	0.1983	श्री मोहन लाल पुत्र	रू0 4000
हल्दू	01	0.1803	पुत्र श्री द्वारिका	दि. 28–6–07
कोकाट	01	0.9073	प्रसाद	दि. 28–6–07
साल	01	1.5253	श्री पूरण सिंह पुत्र श्री खुशाल सिंह	रू0 9950 दि. 28–6–07
कोकाट	01	0.085		रू0 7496 दि. 27–6–06
साल	02	1.0936	श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री मुरली सिंह	रू 6700 दि. 28–6–09
				रू 5812 दि. 27–6–09
सेमल	01	1.5483	श्री प्रेम लाल पुत्र पुत्र श्री महेशानन्द	रू0 1100 दि. 28–6–07
				रू0 2015 दि. 28–6–09
योग	28			

प्रश्न नहीं उठता।

30–श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

(द्वितीय गुरूवार के अता0 27 में स्था0)

हरिद्वार के लालढांग अन्तर्गत जट–इक्कड़ मार्ग में क्षतिग्रस्त पुलिया का निर्माण व माइनरों की सफाई

31–हाजी तस्लीम अहमद–

क्या सिंचाई मंत्री अवगत हैं कि जनपद–हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र–लालढांग में बहादरपुर जट–इक्कड़ मार्ग में माइनर पर पुलिया टूट गयी है?

क्या मंत्री जी के संज्ञान में है कि माइनरों की सफाई न होने के कारण किसानों के खेतों तक पानी नहीं जा पा रहा है जिस कारण किसानों को अत्यन्त कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है?

यदि हां, तो क्या सरकार इस जनहित में उक्त पुलिया का निर्माण व माइनरों की सफाई की जायेगी?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

जी हाँ।

जी हाँ।

वर्तमान में नहरें उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के नियंत्रण में होने के कारण सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड के द्वारा सिंचाई नहरों की सफाई व मरम्मत कार्य कराया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है।

उत्तर प्रदेश व उत्तराखण्ड राज्य के मध्य परिसम्पत्तियों के विभाजन की कार्यवाही गतिमान है। नहरों का स्वामित्व, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड को हस्तान्तरण होने पर, तत्काल पुलिया का पुनर्निर्माण व माईनर नहरों की सफाई व मरम्मत का कार्य कराया जायेगा।

उपरोक्त

जनपद ऊधमसिंह नगर के खटीमा एवं सितारगंज के खराब हैण्डपम्पों की संख्या एवं मरम्मत कार्य

32–श्री गोपाल सिंह–

क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद ऊधमसिंह नगर के तहसील खटीमा एवं सितारगंज में कुल कितने हैण्डपम्प हैं तथा इन हैण्डपम्पों में से कितने हैण्डपम्प जनता को पेयजल उपलब्ध करा रहे हैं तथा कितने हैण्डपम्प खराब स्थिति में हैं ?

क्या सरकार इन खराब हैण्ड पम्पों की मरम्मत कराकर जनता को पेयजल उपलब्ध करायेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री प्रकाश पन्त–

जनपद ऊधमसिंह नगर के तहसील खटीमा में माह मार्च 2009 तक कुल 1122 हैण्डपम्प अधिष्ठापित किये गये हैं जिनमें से 983 हैण्डपम्पों द्वारा जनता को पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है तथा 139 खराब हैण्डपम्पों में से 59 रिबोर द्वारा ठीक कराये गये हैं तथा 80 हैण्डपम्पों को सामान्य मरम्मत द्वारा ठीक कराये जाने का कार्य प्रगति पर है। जनपद ऊधमसिंह नगर के तहसील सितारगंज में कुल

1182 हैण्डपम्प अधिष्ठापित किये गये हैं जिनमें से 1058 हैण्डपम्पों द्वारा जनता को पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है तथा 124 खराब हैण्डपम्पों में से 90 हैण्डपम्प रिबोर द्वारा एवं 34 हैण्डपम्प सामान्य मरम्मत द्वारा ठीक कराये जाने हैं।

जी हाँ,

यथाशीघ्र।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद ऊधमसिंह नगर के खटीमा , सितारगंज में परवीन, कामन, दोहा तथा कैलाश नदियों द्वारा भूमि कटाव रोकने हेतु सरकार की योजना

33—श्री गोपाल सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री अवगत हैं कि जनपद ऊधमसिंह नगर की तहसील खटीमा एवं सितारगंज में बहने वाली परवीन नदी, कामन नदी, दोहा नदी तथा कैलाश नदी से हर वर्ष अतिवृष्टि से सैकड़ों एकड़ कृषि योग्य भूमि कटाव के कारण नष्ट हो जाती है?

क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि उक्त नदियों द्वारा हो रहे भू—कटाव को रोकने के लिए सरकार कोई योजना बना रही है?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मातबर सिंह कण्डारी—

जी हाँ, अतिवृष्टि से कृषि योग्य भूमि कटाव के कारण नष्ट हो जाती है।

जनपद ऊधमसिंह नगर की खटीमा एवं सितारगंज तहसील के अन्तर्गत परवीन नदी पर रूपये 299.32 लाख, कामन नदी पर रूपये 112.90 लाख, देहवा नदी पर रूपये 281.85 लाख, तथा कैलाश नदी पर रूपये 466.90 लाख की बाढ़ सुरक्षा योजनायें तैयार की गयी हैं, तथा देहवा नदी पर रूपये 149.00 लाख, व कैलाश नदी पर रूपये 132.05 लाख की योजनायें निर्माणाधीन हैं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र लालढांग में वर्ष 2007—08 से 2008—09 तक लगाये गये हैण्डपम्प तथा क्षतिग्रस्त हैण्डपम्पों की मरम्मत

34—हाजी तस्लीम अहमद—

क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि वर्ष 2007—08 व वर्ष 2008—09 में जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र लालढांग के कुल कितने हैण्ड पम्प लगाये गये ?

क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि वर्ष 2007—08 व 2008—09 में लगे हैण्ड पम्पों में से कितने खराब पड़े हैं?

क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र लालढांग के खराब पड़े हैण्डपम्मों को यथा–शीघ्र ठीक करायेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री प्रकाश पन्त–

जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र लालढांग में वित्तीय वर्ष 2007–08 में 28 एवं वित्तीय वर्ष 2008–09 में 18 अर्थात कुल 46 पम्प अधिष्ठापित किये गये।

वित्तीय वर्ष 2007–08 में अधिष्ठापित 28 हैण्डपम्पों में से 4 हैण्डपम्प अस्थाई रूप से खराब हैं जबकि वित्तीय वर्ष 2008–09 में अधिष्ठिापित सभी 18 हैण्डपम्प चालू हालत में हैं।

जी हाँ।

खराब हैण्डपम्पों का मरम्मत कार्य प्रगति पर है।

प्रश्न नहीं उठता।

35–श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

(आश्वासन समिति के विचाराधीन होने पर निरस्त)

जनपद अल्मोड़ा में मार्च 2005 से अब तक विभिन्न क्षेत्रों में रोपित वृक्षों का खण्डवार विवरण

36–श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2009 के प्रथम बुधवार के अतारांकित प्रश्न संख्या–06 के उत्तर के क्रम में क्या वन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि अल्मोड़ा जनपद में मार्च, 2005 से अब तक बांज, बुरांश, उतीस, देवदार के कुल 13,73,072 वृक्षों का जो रोपण किया गया है वह विकास खण्डवार किन–किन क्षेत्रों में कितने –कितने वृक्षों का रोपण किया गया है ?

श्री बिशन सिंह चुफाल–

जनपद अल्मोड़ा के विकास खण्ड धौलादेवी, द्वाराहाट, भिकियासैंड, हवालबाग, भैसियाछाना, स्याल्दे, सल्ट, चौखुटिया, ताकुला, ताड़ीखेत तथा लमगड़ा में प्रश्नगत् अवधि में रोपित 13,73,072 वृक्षों का विवरण निम्नवत् है:–

1–बांज	—	904960
2–बुरांश	—	1275
3–उतीस	—	372051
4–देवदार	—	94786
कुल		13,73,072

उक्तानुसार रोपित पौधों का वर्षवार/ प्रमागवार/ वृक्षारोपण स्थल का विस्तृत विवरण संलग्न है। †

जनपद ऊधमसिंह नगर के खटीमा एवं सितारगंज के अनुसूचित जनजाति के लोगों को हक–हकूक की लकड़ी तथा जलौनी सोख्ता माफी की सुविधा

37–श्री गोपाल सिंह–

क्या वन मंत्री अवगत हैं कि जनपद ऊधमसिंह नगर की तहसील खटीमा एवं सितारगंज में निवास करने वाले थारू अनुसूचित जनजाति के लोगों को उनके पारस्परिक हक–हकूक की लकड़ी तथा जलौनी सोख्ता माफी प्रदान की जाती थी।

क्या सरकार पुनः थारू अनुसूचित जनजाति के लोगों को उनके पारस्परिक हक–हकूक की लकड़ी तथा जलौनी सोख्ता माफी आदि प्रदान करने की योजना बना रही है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बिशन सिहं चुफाल–

जी हां।

ऊधमसिंह नगर की तहसील खटीमा तथा सितारगंज के अन्तर्गत मात्र दक्षिण जौलासाल, पूर्वी एवं पश्चिमी किलपुरा तथा दोगाडत्री ब्लाक में ही हक–हकूक की सुविधा उपलब्ध है। जनपद के थारू अनुसूचित जनजाति के 32 ग्राम सभाओं में हक तथा 20 ग्राम सभाओं में रियायत के रूप में प्रकाष्ठ देय है।

जी नहीं।

उपरोक्तानुसार, पारम्परिक हक–हकूक के प्राविधान लागू हैं।

जनपद देहरादून की घंघोड़ा पेयजल योजना का पुनर्गठन

38–श्री गणेश जोशी–

क्या पेयजल मंत्री अवगत हैं कि जनपद देहरादून के घंघोड़ा पेयजल योजना के पुनर्गठन का प्रस्ताव शासन स्तर पर लम्बित है ?

---

† (देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ सं0 109 पर)

यदि हाँ, तो क्या सरकार द्वारा इस योजना के पुनर्गठन हेतु कोई विचार किया जा रहा है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री प्रकाश पन्त–

जी नहीं।

प्रदेश में सकल क्षेत्र में समरूप नीति (स्वैप) मोड लागू होने के कारण इस क्षेत्र की आवश्यकतानुसार 155 एल0पी0सी0डी0 की दर से योजना का प्राक्कलन विरचित किया जाना सम्भव नहीं है। ग्राम घंघोड़ा देहरादून महानगर के मास्टर प्लान 2005–25 के सीमा क्षेत्रान्तर्गत स्थित होने के कारण इस क्षेत्र को पैरी अरबन के रूप में घोषित करने का प्रकरण विचाराधीन है जिस पर नीतिगत लिये गये निर्णय अनुरूप कार्यवाही की जायेगी।

उपरोक्तानुसार।

उत्तराखण्ड जलसंस्थान में कार्यरत कर्मचारियों से अपने मूल संवर्ग से भिन्न संवर्ग में कार्य लिये जाने पर संशोधन

39–श्री गोपाल सिंह रावत–

क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तराखण्ड जल संस्थान में विभिन्न संवर्गों में कार्यरत कर्मचारियों से अपने मूल सम्वर्ग से भिन्न संवर्ग का कार्य कई वर्षों से लिया जा रहा है ?

क्या मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि जल संस्थान नियमावली में अकेन्द्रित कर्मचारियों के संशोधित ढांचे में समायोजन सम्बन्धी पत्रावली शासन में विचारधीन है ?

यदि हां, तो उक्त पत्रावली पर कब तक विचार किया जायेगा ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री प्रकाश पन्त–

जी नहीं। अपितु कतिपय शाखाओं द्वारा अत्यन्त आवश्यकता पड़ने पर कार्यहित में अल्प अवधि के लिये कार्य ले लिया जाता है किन्तु यह अस्थाई व्यवस्था होती है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र गंगोत्री में वनाग्नि से वनों की सुरक्षा हेतु समितियों का गठन

40–श्री गोपाल सिहं रावत–

क्या वन एवं पर्यावरण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र गंगोत्री जनपद उत्तरकाशी में वनों की सुरक्षा हेतु गांवों में वनाग्नि सुरक्षा समितियों का गठन किया गया है?

यदि हाँ, तो किन किन गांवों में वनाग्नि सुरक्षा समितियों का गठन किया गया है?

क्या सरकार की वनाग्नि सुरक्षा समितियों को प्रोत्साहन दिये जाने की कोई योजना है?

यदि हां, तो वह क्या है?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बिशन सिंह चुफाल–

जी हाँ।

समितियों का गठन उत्तरकाशी वन प्रभाग के विभिन्न रेंजों के अन्तर्गत सरतली, बनाड़ी, बड़ेथी,, छपरोली, बधाणगाँव, धंरासू, इन्दिरा, कावागड्ड़ी, डांडागाँव, सिंगूणी, अठाली, औल्या, बग्यालगाँव सिंगोट, ढूंगी/बरसाली, संग्राली, मनेरी, सेकू एवं झाणजा में किया गया है।

जी हाँ।

सरकार द्वारा इन समितियों को प्रोत्साहन हेतु वनों में अग्नि सुरक्षा कार्यों हेतु प्रतिवर्ष धनराशि उपलब्ध कराई जाती है। वर्ष 2008–09 प्रश्नगत ग्रामों को ग्राम सभा के अनुसार मु0 1,86,000 रू0 की धनराशि आवंटित की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

कोटद्वार सतपुली–बाडियूँ–बहेड़ाखाल–डांडानागराजा मार्ग पर कोटद्वार से बस सेवा संचालन

41–श्रीमती अमृता रावत–

विधान सभा के तृतीय सत्र 2008 के प्रथम बुधवार के लिए निर्धारित प्रश्नकर्ता के अतारांकित प्रश्न संख्या–13 के उत्तर के क्रम में क्या परिवहन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि कोटद्वार–सतपुली–बाडियूं–बहेड़ाखाल–डांडानागराजा मार्ग पर कोटद्वार से बस सेवा संचालन की समय–सारणी निर्धारित है?

तथा बहेड़ाखाल पहुंचने तथा डांडानागराजा से वापस लौटने का निर्धारित समय क्या है?

क्या उक्त मार्ग पर नियमित बस सेवाओं का संचालन नियमित रूप से किया जा रहा है

यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं तथा इसके प्रति कौन उत्तरदायी है?

श्री बिशन सिंह चुफाल–

जी हाँ।

कोटद्वार से प्रातः 4.00 बजे प्रस्थान करते हुए बहेड़ाखाल प्रातः 10.15 बजे पहुंचती है। बहेड़ाखाल से प्रातः 10.30 बजे डांडानागराजा के लिये प्रस्थान करती है जो डांडानागराजा प्रातः 11.00 बजे पहुंचती है। दूसरे दिन डांडानागराजा से प्रातः 7.30 बजे प्रस्थान करती है जो कोटद्वार 14.00 बजे पहुंचती है।

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड बीरोंखाल के ललितपुर तक संचालित बस सेवा का बन्दरकोट तक विस्तार

42–श्रीमती अमृता रावत–

क्या परिवहन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड बीरोंखाल के स्थान ललितपुर तक संचालित बस सेवा का विस्तार बन्दरकोट तक करने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के पत्रांक 1370/विधायक/7–परिवहन/2008–09 दिनांक 19.12.08 के परिपेक्ष में अपर परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड के पत्र संख्या 166/एसटीए/दस–24/2009 दिनांक 24 जनवरी 2001 के द्वारा दिए गये निर्देशों के अनुपालन में की गई कार्यवाही और हुई प्रगति का विवरण क्या है

तथा कब तक प्रस्तावित बस सेवा का विस्तार बन्दरकोट तक कर दिया जायेगा?

श्री बिशन सिंह चुफाल–

अपर परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड का पत्र संख्या–166/एसटीए/दस–24/2009 दिनांक 24 जनवरी, 2001 का न होकर दिनांक 24 जनवरी, 2009 का है।

जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकासखण्ड बीरोंखाल के स्थान ललितपुर तक संचालित बस सेवा का विस्तार बन्दरकोट तक करने के सम्बन्ध में अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, निर्माण खण्ड, बैजरों, जनपद पौड़ी के पत्र संख्या 1319/11 एमजी दिनांक 02–07–09 द्वारा ललितपुर से बन्दरकोट तक मार्ग भारी वाहन संचालन हेतु उपयुक्त होने की सूचना प्राप्त हो चुकी है। मार्ग भारी वाहन संचालन हेतु उपयुक्त पाये जाने के सम्बन्ध में लोक निर्माण विभाग, जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ मार्ग का संयुक्त सर्वेक्षण किया जाना है।

संयुक्त सर्वेक्षण में भारी वाहनों हेतु मार्ग उपयुक्त पाये जाने पर यथासमय।

वि0स0 के प्रथम सत्र, 2008 के प्रथम बुधवार में निर्धारित अता0 प्रश्न 03 के उत्तर में वर्णित मोटर मार्गों के संचालन में की गयी कार्यवाही

43–श्रीमती अमृता रावत–

विधान सभा के प्रथम सत्र 2008 के प्रथम बुधवार के लिए निर्धारित प्रश्नकर्ता के अतारांकित प्रश्न संख्या–03 के उत्तर के क्रम में क्या परिवहन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रश्नोत्तर में वर्णित मोटर मार्गों पर नियुक्त बस सेवाओं के संचालन हेतु की गई कार्यवाही के परिणाम क्या हैं

तथा कब तक इन मोटर मार्गों पर नियमित बस सेवाओं का संचालन प्रारम्भ कर दिया जायेगा?

श्री बिशन सिंह चुफाल–

विधान सभा के प्रथम सत्र 2008 के प्रथम बुधवार के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या–03 के उत्तरालेख में उल्लिखित मार्गों में से केवल उफल्डा–अरकनी–खन्दूखाल–मुच्छियाली–देवलगाँव–चराकोट–जामलाखाल मार्ग को छोड़कर शेष मार्गों पर नियमित बस सेवा संचालित हो रही है।

उपरोक्त मार्ग पर बस सेवा संचालित करने हेतु संभागीय परिवहन अधिकारी, पौड़ी के पत्र दिनांक 05–07–2009 द्वारा प्रधान प्रबन्धक मैसर्स जी0एम0ओ0यू0 लि0, कोटद्वार को निर्देशित किया गया है।

देहरादून में राजपुर विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत हाथीबड़कला–शालावाला के मध्य बहने वाले नाले पर सुरक्षा दीवार का निर्माण

44–श्री गणेश जोशी–

क्या सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण मंत्री अवगत हैं कि देहरादून में राजपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत हाथीबड़कला–सालावाला के मध्य बहने वाला नाला आवासीय भवनों के लिए खतरनाक है?

यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त स्थान पर सुरक्षा दीवार बनाये जाने पर विचार कर रही है?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

हाथीबड़कला–सालावाला के मध्य बहने वाले नाले से वर्षा काल में आवासीय भवनों के लिये खतरा उत्पन्न हो जाता है।

जी हाँ।

हाथीबड़कला–सालावाला क्षेत्रों की सालावाला नाले से बाढ़ सुरक्षा योजना 61.74 लाख की बनायी जा चुकी है। योजना पर धनावंटन होने के उपरान्त आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

उपरोक्तानुसार।

जनपद पौड़ी के वि0 ख0 कोट के श्री डांडानागराजा ग्राम समूह पम्पिंग पेयजल योजना का निर्माण

45–श्रीमती अमृता रावत–

क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकासखण्ड कोट की श्री डांडानागराजा ग्राम समूह पम्पिंग पेयजल योजना का निर्माण करवाए जाने के सम्बंध में पिछली केन्द्रीय सरकार के कार्यकाल में हरिद्वार/देहरादून आगमन पर प्रधानमंत्री डॉ0 मनमोहन सिंह द्वारा घोषणा की गई थी?

यदि हाँ, तो घोषणा के क्रियान्वयन हेतु क्या कार्यवाही की गयी तथा कब तक उक्त पम्पिंग पेयजल योजना का निर्माण करवाए जाने की सम्भावना है?

श्री प्रकाश पंत–

जी हाँ।

शासनादेश संख्या 760/उन्तीस (2)/06–2(49पे0)/06 दिनांक 19.10.06 द्वारा योजना का अनु0लागत रू0 1853.35 लाख का प्राक्कलन स्वीकृत है परन्तु प्रदेश में सकल क्षेत्र में समरूप नीति (स्वैप) कार्यक्रम लागू हो जाने के कारण वर्तमान में स्वैप पैटर्न पर प्राक्कलन गठन हेतु प्लानिंग फेज की कार्यवाही प्रगति पर है।

पौड़ी अन्तर्गत श्रीनगर–छतकोट, मासौं पौड़ी के क्षतिग्रस्त पम्पिग पेयजल योजनाओं का पुनर्निर्माण

46–श्री यशपाल बेनाम–

क्या पेयजल मंत्री अवगत हैं कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत श्रीनगर से पौड़ी के लिये निर्मित दोनों पम्पिंग योजना (श्रीनगर–छतकोट, मासौं–पौड़ी) क्षतिग्रस्त हैं?

यदि हाँ, तो क्या सरकार इनके पुनर्निर्माण पर विचार कर रही है?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री प्रकाश पंत–

जी नहीं। किन्तु यदा–कदा तकनीकी खराबी के कारण पेयजल आपूर्ति बाधित हो जाती है, जिसकी तत्काल मरम्मत कर पेयजल आपूर्ति सामान्य कर दी जाती है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

देहरादून अन्तर्गत गलोगी पेयजल योजना में फिल्टर प्लाण्ट का निर्माण

47–श्री गणेश जोशी–

पेयजल मंत्री अवगत हैं कि जनपद देहरादून अन्तर्गत गलोगी पेयजल योजना शुरू हुए 01 वर्ष पश्चात् भी अभी तक फिल्टर प्लाण्ट नहीं लगा है?

यदि हाँ, तो क्या यह भी सत्य है कि फिल्टर न लगने से दूषित पानी की आपूर्ति हो रही है?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री प्रकाश पन्त–

जी हाँ।

जी नहीं।

निविदा की कार्यवाही गतिमान है। प्लान्ट के निर्माण के लिये 18 माह का समय निर्धारित किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री केदार सिंह रावत–

(द्वितीय गुरूवार के अतां0 29 में स्था0)

जनपद उत्तरकाशी में प्रभागीय वन विकास प्रबन्धक का पद रिक्त होने से प्रतिकूल प्रभाव

49–श्री गोपाल सिंह रावत–

क्या वन मंत्री अवगत हैं कि जनपद–उत्तरकाशी में प्रभागीय वन विकास प्रबन्धक का पद लम्बे समय से रिक्त चल रहा है ?

क्या यह सत्य है कि उक्त अधिकारी की तैनाती न होने के कारण वन निगम व लौगिंग के कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है ?

यदि हाँ, तो जनहित में प्रभागीय वन विकास प्रबन्धक की तैनाती कब–तक कर ली जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बिशन सिंह चुफाल–

जी नहीं ।

उक्त पद रिक्त नहीं चल रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

वि0 स0 क्षेत्र ऋषिकेश अन्तर्गत ''वीरपुर खुर्द पेयजल योजना'' जल संस्थान को हस्तान्तरित

50–श्री प्रेम चन्द्र अग्रवाल–

क्या पेयजल मंत्री अवगत हैं कि विधान सभा क्षेत्र ऋषिकेश के अन्तर्गत "वीरपुर खुर्द पेयजल योजना" बनकर तैयार हो गई है ?

यदि हाँ, तो जल निगम द्वारा अभी तक उक्त योजना जल संस्थान को हस्तान्तरण न किये जाने के क्या कारण हैं ?

क्या सरकार जनहित में अविलम्ब उक्त योजना को पेयजल पूर्ति हेतु जल संस्थान को हस्तान्तरित करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री प्रकाश पंत–

जी हाँ।

योजना हस्तान्तरण की कार्यवाही प्रगति पर है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार

प्रश्न नहीं उठता।

51–श्री गोपाल सिंह रावत–

पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त

जनपद चंपावत अन्तर्गत ग्राम बौतड़ी तथा जनपद पिथौरागढ़ के खूटी में सरयू व रामगंगा नदी द्वारा भू–कटाव को बचाने हेतु योजना

52– श्री महेन्द्र सिंह माहरा "महूं भाई"–

क्या सिंचाई मंत्री अवगत हैं कि जनपद चम्पावत के विकास खण्ड बाराकोट के ग्राम बौतड़ी तथा जनपद पिथौरागढ़ के विकास खण्ड बिण ग्राम खूटी अन्तर्गत बरसात में सरयू व रामगंगा नदी के जल स्तर बढने से प्रति वर्ष सिंचित भूमि का कटान हो रहा है?

यदि हाँ, तो क्या सरकार कृषकों की सिंचित भूमि को कटान से बचाने हेतु उपरोक्त गांवों के लिये कोई कार्ययोजना तैयार करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

जी हाँ।

जी हाँ।

प्रश्नगत ग्रामों की सिंचित भूमि को कटान से बचाने हेतु योजना का सर्वेक्षण कार्य प्रगति पर है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

सिंचाई विभाग में अनुसूचित जाति के रिक्त पदों का विवरण

53–श्री राजेश उर्फ राजेश जुवांठा–

क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सिंचाई विभाग में अनुसूचित जाति के कितने पद किन–किन श्रेणियों में रिक्त हैं ?

क्या सरकार रिक्त पदों पर नियुक्ति किये जाने पर विचार कर रही है ?

यदि हां, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

समूह क– 11 पद

समूह ख– 57 पद

समूह ग– 342 पद

समूह क (1) पदोन्नति का पद, वर्तमान में अनुसूचित जाति का कोई भी पात्र अधिकारी मुख्य अभियन्ता एवं अधीक्षण अभियन्ता के पदोन्नति हेतु उपलब्ध नहीं है

(2) अधिशासी अभियन्ता के पद हेतु वरिष्ठता सूची को अन्तिम रूप दिया जा रहा है, जिसके उपरान्त ही पदोन्नति की जायेगी।

समूह ख (1) 44 पद पदोन्नति द्वारा भरे जाने हैं।

(2) 13 पद सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने हैं, परन्तु उत्तर प्रदेश द्वारा उत्तराखण्ड हेतु सहायक अभियन्ताओं का आवंटन अपेक्षित होने के कारण सीधी भर्ती किया जाना सम्भव नहीं है।

समूह ग (1) कनिष्ठ अभियन्ता सिविल/यांत्रिक का पद लोक सेवा आयोग की परिधि का हैं। नियमानुसार अधियाचन में अनुसूचित जाति के पदों का प्राविधान किया जाता है

(2) कार्यप्रभारित अधिष्ठान के पात्र कार्मिकों से शेष सीधी भर्ती के पदों को भरने की कार्यवाही विद्यमान हैं।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में सरकारी हैण्डपम्पों की संख्या व मरम्मत हेतु योजना

54–श्री राजेश जुवांठा एवं श्री गोपाल सिंह रावत–

क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि वर्तमान में प्रदेश में कितने सरकारी हैण्डपम्प स्थापित हैं तथा इनमें से कितने हैण्डपम्प चालू हालत में हैं तथा कितने बन्द पड़े हुए हैं ?

क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि कितने हैण्डपम्प ऐसे हैं जिनमें पानी साफ नहीं आ रहा है ?

क्या सरकार बन्द पड़े इन हैण्डपम्पों की मरम्मत हेतु कोई ठोस कदम उठा रही है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री प्रकाश पन्त–

राज्य में कुल 21171 हैण्डपम्प पेयजल विभाग द्वारा अधिष्ठापित हैं। जिनमें से 17741 हैण्डपम्प चालू हालत में हैं, 3430 हैण्डपम्प बन्द पड़े है।

451 हैण्डपम्पों में साफ पानी नही आ रहा है।

जी हाँ

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उत्तरकाशी के गोविन्द वन्य जीव विहार अन्तर्गत 42 गांवों के सीमांकन हेतु भारत सरकार को प्रस्ताव

55–श्री राजेश उर्फ राजेश जुँवांठा–

क्या वन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि क्या प्रदेश सरकार द्वारा जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड मोरी के गोविन्द वन्य जीव विहार के अन्तर्गत 42 गांवों के सीमांकन हेतु भारत सरकार को कोई प्रस्ताव भेजा जा चुका है ?

यदि हाँ, तो कब ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बिशन सिंह चुफाल

जी हाँ।

प्रस्ताव उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या–244/10–2–2009–19(32)/2002 दिनांक 19–03–09 के द्वारा भारत सरकार को प्रेषित किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद नैनीताल के हल्द्वानी क्षेत्रान्तर्गत पेयजल संकट से निपटने के लिए निगम द्वारा शासन को प्रस्ताव

56–श्री नारायण पाल–

क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद नैनीताल के हल्द्वानी नगर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल संकट से निपटने के लिए पेयजल निगम द्वारा कोई प्रस्ताव शासन को प्रेषित किये गये हैं ?

यदि हाँ, तो शासन द्वारा उक्त प्रस्तावों के अनुरूप वित्तीय स्वीकृति देकर कब तक कार्य कराये जायेंगे ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री प्रकाश पन्त–

जी हाँ।

हल्द्वानी नगर का चयन ए0डी0बी0 कार्यक्रम के अन्तर्गत ट्रेन्च–।।। में हो जाने के कारण ए0डी0बी0आर0 / मास्टर प्लान तैयार किये जायेंगे।

प्रश्न नहीं उठता।

वनविभाग में अनुसूचित जाति के रिक्त पदों का श्रेणीवार विवरण

57–श्री राजेश उर्फ राजेश जुवांठा–

क्या वन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि वन विभाग में अनुसूचित जाति के कितने पद रिक्त हैं, और किस–किस श्रेणी के हैं ?

क्या सरकार उक्त रिक्त पदों पर नियुक्ति करने पर विचार कर रही है?

यदि हाँ तो, कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बिशन सिंह चुफाल

वन विभाग में अनुसूचित जाति के 371 पद रिक्त हैं, श्रेणीवार विवरण निम्नवत् हैः–

समूह 'क' – 2

समूह 'ख' – 21

समूह 'ग' – 118

समूह 'घ' – 230

जी हाँ।

यथाशीघ्र रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही पूर्ण कर ली जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल–

मान्यवर, मैंने प्रश्न लगाया था कि वन क्षेत्र घट रहा हैं या बढ़ रहा है, उसका उत्तर नहीं आया हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय शहजाद जी।

श्री शहजाद–

मान्यवर, हमारी 310 की सूचना है।

श्री अध्यक्ष–

यह सूचना 11:50 बजे प्राप्त हुई है। इसकी सूचना मंगवा लेते हैं। 3:00 बजे इसका जवाब दे देंगे।

श्री किशोर उपाध्याय:–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। यह सभी माननीय विधायकों के स्वास्थ्य का मामला है। कल जब हम कैन्टीन में भोजन करने गये तो वहाँ पर लोग कम थे और मक्खियाँ ज्यादा थीं। मान्यवर, इसके लिए कुछ न कुछ किया जाना चाहिए। पता चला कल कोई विधायक सदन में ही नहीं आ पाएं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, इसको दिखवा लें।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, बेहतरीन भोजन उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे।

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, बस मक्खियाँ न हों।(व्यवधान)

नियम–300 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज नियम–300 के अन्तर्गत श्री बलवीर सिंह नेगी, श्री नारायण पाल, श्री सुरेन्द्र राकेश, श्री प्रेम चन्द अग्रवाल, श्रीमती आशा तथा काजी निजामुद्दीन की कुल 06 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। मैं इनमें से श्री नारायण पाल, श्री सुरेन्द राकेश, श्री प्रेम चन्द्र अग्रवाल, श्रीमती आशा तथा काजी निजामुद्दीन की सूचना को नियम–300 के अन्तर्गत स्वीकार कर रहा हूँ।

(श्री अध्यक्ष द्वारा माननीय सदस्य श्री नारायण पाल का नाम पुकारे जाने पर माननीय सदस्य अपनी सूचना पढ़ने के लिए सदन में उपस्थित नहीं थे।)

*श्री बलबीर सिंह नेगी–

मान्यवर, मेरी नियम–300 की महत्वपूर्ण सूचना थी, बहुत लोक महत्व की सूचना थी।

जनपद हरिद्वार में ग्राम पंचायत की बंजर भूमि पर अनुसूचित जाति एवं गरीबों को पट्टे आवंटित करने के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना

*श्री सुरेन्द्र राकेश–

[मान्यवर, जनपद के प्रत्येक ब्लाक खानपुर, भगवानपुर, नारसन, रूड़की, बहादराबाद, लक्सर में ग्राम पंचायत/सरकारी जमीन पर बड़े काश्तकारों ने अवैध कब्जे कर रखे हैं। ग्राम पंचायत की सरकारी जमीन से अवैध कब्जे हटाकर गांव में रहने वाले भूमिहीन अनुसूचित जाति के पात्र व्यक्तियों को पट्टे आवंटित कर उन्हें जीवन यापन योग्य बनाना चाहिए। प्रत्येक ब्लाक में कितनी भूमि ग्राम पंचायत की है, जिस पर अवैध कब्जा भू–माफियाओं का है। अवैध कब्जे हटवा दिये जायें। अवैध कब्जे हटवाएं जाएं एवं बंजर भूमि पर गरीब अनुसूचित जाति के लोगों को पट्टे आवंटित किये जायें।

इस अतिमहत्वपूर्ण लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यानाकर्षण कर कार्यवाही की मांग करता हूँ।]

(श्री अध्यक्ष द्वारा माननीय सदस्य श्री प्रेम चन्द्र अग्रवाल का नाम पुकारे जाने पर माननीय सदस्य अपनी सूचना पढ़ने के लिए सदन में उपस्थित नहीं थे।)

श्री बलबीर सिंह नेगी:–

मान्यवर, यह पूरे प्रदेश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।

श्री अध्यक्ष–

यह विषय अल्प सूचित प्रश्न के माध्यम से उत्तरित हो चुका है। सदन ने इसका संज्ञान ले लिया है।

श्री बलबीर सिंह नेगी:–

मान्यवर, यह मेरे क्षेत्र के लिए अन्यायपूर्ण है। यह बहुत महत्वपूर्ण सूचना है। इसे लिया जाय। (व्यवधान) मान्यवर, यह बहुत ही गंभीर और संवदेनशील सूचना है।

जनपद रूद्रप्रयाग के अन्तर्गत अगस्त्यमुनि, जगोट, कमसाल अम्बेडकर मोटर मार्ग पर हेडुला बैण्ड से जगोट मोटर मार्ग का विस्तारीकरण एवं डामरी करण करने के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती आशा–

महोदय, मेरे जनपद रूदपयाग के अन्तर्गत केदारनाथ विधानसभा के अगस्त्यमुनि जगोठ कमसाल अम्बेडकर मोटर मार्ग पर छेडुला बैण्ड से जगोठ मोटर मार्ग लगातार

*वक्ताओं ने भाषण को पुनर्वीक्षण नहीं किया।

विभाग की उपेक्षा का कारण बना हुआ है। मान्यवर, वर्ष 2006–07 में मोटर मार्ग के विस्तारीकरण, डामरीकरण के लिए धन स्वीकृत किया गया, लेकिन 3 साल बीत जाने के बाद भी उक्त मोटर मार्ग पर विस्तारीकरण का कार्य 10 प्रतिशत भी पूर्ण नहीं हो सका है। जबकि शासन द्वारा उक्त मोटर मार्ग पर 43.15 लाख रूपये विस्तारीकरण हेतु स्वीकृत किये गये हैं। जिसमें से विभाग द्वारा 29.93 लाख रूपये खर्च दिखाया गया है। जिससे प्रतीत होता है कि विभाग द्वारा भारी वित्तीय अनियमितता की गयी है। महोदय, उक्त मोटर मार्ग विस्तारीकरण तथा डामरीकरण किये जाने हेतु क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि एवं ग्रामीण जनता आन्दोलनरत है और शीघ्र अम्बेडकर मोटर मार्ग जगोठ कमसाल पर निर्माण कार्य किये जाने हेतु क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि एवं ग्रामीण जनता आन्दोलनरत है और शीघ्र अम्बेडकर मोटर मार्ग जगोठ कमसाल पर निर्माण कार्य किये जाने हेतु निवेदन कर रही है। यदि समय रहते इसका समाधान नहीं हुआ तो स्थिति और भयावह हो सकती है।

अतः आपसे आग्रह है कि इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर तत्काल कार्यवाही की मांग करती हूँ।

(श्री अध्यक्ष द्वारा माननीय सदस्य काजी मौ0 निजामुद्दीन का नाम पुकारे जाने पर माननीय सदस्य अपनी सूचना पढ़ने के लिए सदन में उपस्थित नहीं थे।)

श्री बलबीर सिंह नेगी–

मान्यवर, मेरी सूचना पर स्थिति स्पष्ट कर दी जाय।

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेगी जी, यह विषय सदन के सामने पहले आ चुका है।

श्री बलबीर सिंह नेगी–

मान्यवर, यह सूचना बहुत महत्वपूर्ण है, इसे लिया जाना चाहिये।

श्री अध्यक्ष–

कृपया, आप आसन ग्रहण करें।

श्री बलबीर सिंह नेगी–

मान्यवर, यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है, इसलिए मैंने कोई और सूचना भी नहीं लगाई थी।

अध्यक्ष–

कृपया आसन ग्रहण करें।

श्री बलबीर सिंह नेगी–

मान्यवर, मेरी सूचना का संज्ञान लिया जाय।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूत पूर्व सदस्य श्री रामचन्द्र जोशी के निधन पर शोकोद्‌गार

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, मुझे बहुत दुःख के साथ सम्मानित सदन को सूचित करना पड़ रहा है कि हमारे उत्तराखण्ड प्रदेश के निवासी और वर्ष 1967 में अल्मोड़ा विधान सभा क्षेत्र से उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिये विधायक के रूप में प्रतिनिधित्व करने वाले स्व0 श्री राम चन्द्र जोशी जी का निधन दिनांक 8 जून, 2009 को उनके पैतृक निवास अल्मोड़ा में हो गया। श्रीमन्, हममें से अधिकतम लोग स्वर्गीय राम चन्द्र जोशी जी के बारे में जानते हैं। स्व0 श्री राम चन्द्र जोशी जी का जन्म दिनांक 20 अप्रैल, 1921 को हुआ था और अपने बाल्यकाल से लेकर जीवन के अंतिम क्षणों तक वह समाज के विभिन्न क्षेत्रों के उत्थान के लिये निरन्तर प्रयासरत रहे। उनकी उच्च शिक्षा इलाहाबाद में सम्पन्न हुई और उसी दौरान से वे समाज के विभिन्न क्षेत्रों के उत्थान के लिये निरन्तर प्रयासरत रहे। उनकी उच्च शिक्षा इलाहाबाद में सम्पन्न हुई और उसी दौरान से वे समाज के विभिन्न क्षेत्रों के उत्थान, समाज की कुरीतियों के निदान और विशेष रूप से शिक्षा के क्षेत्र में काम करने के लिये जनसामान्य में लोकप्रिय थे। वे अनेकों संस्थाओं की स्थापना से भी जुड़े रहे, उन्हें आर्य अनाथालय संस्था, आर्य प्राथमिक विद्यालय और महाविद्यालय की भी स्थापना करने का भी गौरव प्राप्त हुआ है।

श्रीमन्, विशेष रूप से जब 1952 में भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई थी और अल्मोड़ा में स्व0 श्री शोबन सिंह जीना जी और जिन चार–पांच लोगों ने भारतीय जनसंघ की स्थापना का अभूतपूर्व कार्य किया था, उनमें स्व0 श्री राम चन्द्र जोशी जी का प्रमुख स्थान रहा था। वर्तमान में स्व0 श्री राम चन्द्र जोशी जी अल्मोड़ा में निवास कर रहे थे और अल्मोड़ा इण्टर कालेज के प्रबंधक के रूप में कार्य कर रहे थे। वे अपने जीवन के अंतिम क्षणों में भी शिक्षा के प्रचार–प्रसार, उन्नयन और गुणात्मक स्तर देने के लिये अपना प्रयास जारी रखे हुये थे। मान्यवर, मैं सम्मानित सदन को इस अपूर्णीय क्षति की जानकारी देता हूँ और सम्पूर्ण देश की जनता की ओर से उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ।

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, स्व0 श्री रामचन्द्र जोशी जी के निधन पर जो विचार इस सदन के सम्मुख माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी ने व्यक्त किये हैं, मैं उससे अपने आपको और अपने दल को सम्बद्ध करता हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, जिस तरह माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी ने कहा है कि स्व0 श्री राम चन्द्र जोशी जी का जन्म तल्ली गल्ली जाखन देवी, जनपद अल्मोड़ा में हुआ था। उन्होंने उच्च शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रहण की। उन्होंने वकालत के साथ–साथ सामाजिक विकास, शैक्षिक विकास और उत्तराखण्ड के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है। वे दो बार अल्मोड़ा नगर

पालिका के अध्यक्ष बने और 1967 में उत्तर प्रदेश की विधान सभा में सम्मानित सदस्य के रूप में उन्होंने गौरवान्वित किया। नगर पालिका के अध्यक्ष के रूप में हो या सदस्य विधान सभा उत्तर प्रदेश के रूप में हो समतामूलक समाज की स्थापना में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका की झलक दिखाई है। निश्चित रूप से अल्मोड़ा जनपद को ही नहीं पूरे उत्तराखण्ड को एक बहुत बड़ी क्षति हुई है, क्योंकि विधायक के रूप में बहुत लोगों को मौका मिलता है, लेकिन उन्होंने विधायक के साथ-साथ जिस तरह इंटर कालेजों की स्थापना की, वो भी बिना सरकार की सहायता के, इंटर कालेजों को संचालित करना, वह भी इस पर्वतीय क्षेत्र में अपने आप में बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य है।

हम कोई छोटी सी संस्था चलाते हैं तो बहुत सी आर्थिक दिक्कतें आती हैं, लेकिन माननीय जोशी जी यह जानते थे कि कैसे उत्तराखण्ड के विकास के लिए, कैसे समाज में परिवर्तन के लिए, प्रदेश के उत्थान के लिए आवश्यक हैं कि उसका शैक्षिक स्तर ऊँचा हो। मान्यवर, ऐसी शिक्षा हो जो गुणवत्तायुक्त हो, इस बात को महसूस करते हुए उन्होंने जहाँ राजकीय महाविद्यालय, इन्टर कालेजों का शुभारम्भ कराया। वहीं उन्होंने इन्टर कालेजों का संचालन किया और जब उनका निधन हुआ उस समय भी वे एक इन्टर कालेज के प्रबन्धक थे। यह निश्चित रूप से इस ओर इंगित करता है कि समाज सुधार में उनका बहुत बड़ा योगदान है। मैं सोचता हूँ कि वह सच्चे समाज सेवक थे, समाज के उत्थान के एक योद्धा थे। ऐसे व्यक्ति को मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और अपनी ओर से, अपने दल की ओर से और आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हैं कि हमारी भावनायें, हमारी शोक संवेदना माननीय जोशी जी के परिवार तक आप पहुँचायेंगे, धन्यवाद।

श्री शहजाद-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं अपने आप को संसदीय कार्य मंत्री और माननीय नेता प्रतिपक्ष से सम्बद्ध करता हूँ। स्व0 श्री राम चन्द्र जोशी जिनका जन्म 20 अप्रैल, 1921 को अल्मोड़ा जिले के तल्ली गल्ली, जाखन देवी में हुआ था। उनके जीवन परिचय को पढ़कर ऐसा लगता है कि वह बहुत ही संघर्षशील, ओजस्वी समाज सेवी रहे हैं। मैं उन्हें अपनी ओर से और अपने दल की ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ।

श्री अजय टम्टा-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष से अपने को सम्बद्ध करता हूँ। स्व0 राम चन्द्र जोशी जी का निधन पूरे प्रदेश के लिए, देश के लिए एक क्षति है। मेरा निरन्तर उनके साथ उठना बैठना था चूँकि उनको अंतिम क्षणों में घुटनों का वात हो गया था, दो महीने पहले उनके साथ मेरा उठना, बैठना हुआ। जब भी मैं उनके पास जाता था तो वह उत्तरांचल राज्य में कैसी-कैसी काम की सम्भावनायें हैं, वहीं समता मूलक समाज की स्थापना में उनका विशेष योगदान, ऐसे विषय उनके पास रहते थे। माननीय अध्यक्ष जी, मुझे पूरा ध्यान है कि एक 'जल कर

सीवर कर' ऐसा टैक्स पूरे प्रदेश में लगा है, इस विषय से मुझको उन्होंने अवगत भी कराया और कहने लगे कि यह अतिरिक्त में पड़ता है तो इस विषय को माननीय मुख्यमंत्री जी तक हमने रखा। बहुत सारे विषयों पर उनका चिन्तन था। वास्तव में अल्मोड़ा जनपद का और प्रदेश का विकास कैसे हो, कैसा समाज खड़ा हो ऐसे उनके विचार रहते थे। वास्तव में एक बहुत बड़ी क्षति हमारे पूरे प्रदेश को हुई है। हम सब सदन के माध्यम से उनके परिवार की दु:ख की घड़ी में उनके साथ हैं।

*श्री ओम गोपाल–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं अपने आपको माननीय नेता प्रतिपक्ष, माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी के साथ सम्बद्ध करते हुए दिवंगत विधायक स्व0 श्री राम चन्द्र जोशी जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। इस दु:ख की घड़ी में उनके परिवार को भगवान शक्ति दे।

*श्री मनोज तिवारी–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं संसदीय कार्यमंत्री जी, नेता प्रतिपक्ष और नेता बसपा के साथ स्व0 राम चन्द्र जोशी जी के निधन और शोक संवेदना में अपने आप को सम्बद्ध करता हूँ।

मान्यवर, जैसा कि हम सब जानते हैं कि स्वर्गीय श्री राम चन्द्र जोशी की प्रारम्भिक शिक्षा आदर्श स्कूल, लक्ष्मणेश्वर, अल्मोड़ा में हुई और उन्होंने उच्च शिक्षा इलाहाबाद से ग्रहण की। शिक्षा के साथ–साथ उन्होंने प्रारम्भिक रूप से ही समाज के असहाय, गरीब और निर्बल लोगों के उत्थान के लिए अपने शिक्षा काल से कार्य करना प्रारम्भ कर दिया था। विशेषकर उनका शिक्षा के क्षेत्र के प्रति विशेष लगाव था। चाहे विभिन्न स्कूलों की स्थापना का प्रश्न हो या अल्मोड़ा इण्टर कालेज के प्रबन्धक सदस्य के रूप में कार्य किया। उन्होंने जगह–जगह शिक्षा के शैक्षिक यूनियन गोष्ठियों का आयोजन किया और शिक्षा के स्तर को कैसे ऊँचा उठाया जाए इसके लिए वे हमेशा प्रयासरत रहते थे। दो बार अल्मोड़ा नगर पालिका के एक सम्मानित सदस्य के रूप में, उपाध्यक्ष के रूप में उन्होंने अल्मोड़ा नगर पालिका की आय के स्रोत बढ़ाये जायें और कैसे नगरपालिका के सफाई कर्मचारी हों या स्थानीय निकाय के कर्मचारी हों या वहाँ की जो भी ज्वलंत समस्यायें हैं उनका किस तरह से निदान हो इसके लिए ठोस, गुणात्मक और सकारात्मक पहल की। निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति जो हमारे बीच में अब नहीं रहे, जिनके निधन पर आज हम अपनी संवेदना व्यक्त कर रहे हैं मैं पूरे सदन की ओर से शोक व्यक्त करता हूँ। ऐसी दुख की घड़ी में हम सब उनके परिवार के साथ हैं।

---

*वक्ताओं ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, माननीय नेता बसपा, माननीय ओमगोपाल जी, माननीय मनोज तिवारी जी और माननीय अजय टम्टा जी ने जो अपने विचार व्यक्त किये हैं उससे अपने आपको सम्बद्ध करता हूँ। स्वर्गीय श्री राम चन्द्र जोशी जी का जन्म 20 अप्रैल, 1921 को अल्मोड़ा जिले के तल्ली गल्ली, जाखन देवी में हुआ था। उनके पिता का नाम श्री भवानी दत्त जोशी था। उनकी प्रारम्भिक शिक्षा आदर्श स्कूल लक्ष्मणेश्वर अल्मोड़ा में हुई। श्री जोशी ने उच्च शिक्षा तथा वकालत की शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रहण की। स्वर्गीय जोशी ने समाज सेवा, विशेषकर शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया। वे दो बार अल्मोड़ा नगर पालिका के सदस्य तथा उपाध्यक्ष रहे। वर्ष 1967 में वे अल्मोड़ा विधान सभा क्षेत्र से उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए तथा अल्मोड़ा के विकास के लिए अनेकों कार्य किए। उन्होंने आर्य अनाथालय संस्था, आर्य प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय तथा महाविद्यालय की भी स्थापना की। उन्होंने अल्मोड़ा शहर में जनसंघ की स्थापना की तथा अनेक सदस्यों को जोड़ा। वर्तमान में श्री जोशी अल्मोड़ा में निवास कर रहे थे एवं अल्मोड़ा इण्टर कालेज के प्रबन्धक का कार्य देख रहे थे। उनकी पत्नी का नाम श्रीमती मनोरमा है। दिनांक 08 जून, 2009 को उनके पैतृक निवास, अल्मोड़ा में उनका निधन हो गया। उनके चार पुत्र हैं। मैं सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करूँगा कि सभी माननीय सदस्य खड़े होकर उनकी आत्मा की शांति के लिए दो मिनट का मौन रखें।

(दिवंगत आत्मा की शांति के लिए सभी माननीय सदस्य दो मिनट मौन खड़े हुए)

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, एक व्यवस्था का सवाल है। माननीय अध्यक्ष जी, एक बड़ा गम्भीर विषय यह है कि माननीय नेता सदन और माननीय मुख्यमंत्री जी का शपथ ग्रहण समारोह 27 तारीख को हुआ और 28 तारीख को अखबारों में जो विज्ञापन आया है उसमें नेता सदन और मुख्यमंत्री के बजाय पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चन्द्र खण्डूडी की फोटो लगी है। यह बड़ी गम्भीर वित्तीय अनियमितता है और देश व इस प्रदेश की जनता को गुमराह करने का एक बहुत गम्भीर मामला है और यही नहीं माननीय अध्यक्ष जी, राशन कार्ड जो पूरे प्रदेश में वितरित किये जा रहे हैं उन राशन कार्ड के प्रथम पृष्ठ पर जो फोटो लगी है वह पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चन्द्र खण्डूड़ी की लगी है। मान्यवर, उसमें नीचे से लिखा है मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड, इससे पूरे प्रदेश में भ्रम की स्थिति बनी हुई है। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री भुवन चन्द्र खण्डूडी हैं या निशंक जी हैं। माननीय अध्यक्ष जी, यह बहुत बड़ा व्यवस्था का सवाल है और सरकार की लापरवाही है। इससे बड़ी लापरवाही और कुछ नहीं हो सकती है यह कोई काम का विज्ञापन भी नहीं है इससे वित्तीय अनियमितता भी हुई है। इससे देश और प्रदेश के सामने गलत तथ्य प्रस्तुत किये गये हैं। अगर प्रदेश के मुखिया के बारे में इस प्रकार से भ्रम की स्थिति पूरे देश के सामने फैलायी जायेगी तो प्रदेश

की क्या स्थिति होगी ? चूंकि 27 तारीख को कैमरे में और मीडिया में लोगों ने निशंक को मुख्यमंत्री की शपथ लेते हुए देखा है और जब 28 तारीख को लोग विज्ञापनों में देख रहे होंगे और राशन कार्ड में देख रहे होंगे तो वहाँ मुख्यमंत्री के रूप में पूर्व मुख्यमंत्री श्री भुवन चन्द्र खण्डूड़ी का उल्लेख है। निश्चित रूप से हमारे प्रदेश की छवि देश के सामने क्या बनी होगी, इसकी माननीय अध्यक्ष कल्पना कर सकते हैं, इसमें आपका संरक्षण चाहिए।

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, यह व्यवस्था का प्रश्न कैसे बन गया मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मैंने जब ये किताब खोली तो हो सकता है मैं गलत हूँ लेकिन इसमें इस प्रकार कहीं कोई उल्लेख नहीं है कि इस प्रकार का विषय, श्रीमन्, इसमें इस प्रकार से लिखा है "प्रश्न तत्समय सदन के समक्ष कार्य के सम्बन्ध में उठाया जा सकता है।" यह व्यवस्था का प्रश्न कैसे बन गया है ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

यह सूचना किसी अन्य नियमों के अन्तर्गत दे दीजिए।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, मैं यह विषय सदन के समक्ष लाया हूँ (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष जी, आप स्वयं बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं और विधान सभा की कार्यवाही नियम के अलावा परम्पराओं में भी चलती है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप अपना स्थान ग्रहण करें। यह प्रश्न व्यवस्था के माध्यम से यहाँ पर नहीं आ सकता है। अगर किसी और नियमों के अन्तर्गत सूचना दे दें वैसे इस बारे में माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी ने संज्ञान ले लिया है। (व्यवधान)

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, माननीय मुख्यमंत्री जी यहां पर नेता सदन भी हैं। चूंकि नेता सदन के बारे में इस प्रकार से भ्रम की स्थिति हो जायेगी। माननीय अध्यक्ष जी, अगर विधान सभा अध्यक्ष के बारे में किसी दूसरे का नाम छापा हो, यहां पर केवल मुख्यमंत्री जी की बात नहीं है। क्योंकि मुख्यमंत्री जी नेता सदन भी हैं। वो सम्मानित सदन के नेता हैं। उनके बारे में भ्रम की स्थिति फैलायी जा रही है।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, विज्ञापन कब छापा था, थोड़ा बता देंगे ?

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, 28 तारीख को। (व्यवधान)

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, आज कितनी तारीख है ? (व्यवधान)

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, तारीख का क्या मतलब ? विधान सभा जब चलेगी तभी तो मामला उठेगा। (व्यवधान)

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, आज तो 15 तारीख हैं, यह मामला आज लेकर आ रहे हैं। यह उचित बात नहीं है। (व्यवधान) आप नियमों के अन्तर्गत ले आयें।

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, इस प्रश्न की गम्भीरता को माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी नहीं ले रहे हैं (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष जी, यह बहुत ही गंभीर मामला है।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, यह किस नियम के अन्तर्गत आता है ?

श्री अध्यक्ष–

आप इसको नियमों के अन्तर्गत लाएं।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, नेता सदन के बारे में भ्रम फैलाया जा रहा है। राशन कार्ड में नेता सदन की फोटो की जगह दूसरी फोटो लगी हुई है। मान्यवर, यह व्यवस्था का प्रश्न है। सारे प्रदेश में भ्रम की स्थिति है।

श्री प्रकाश पंत–

श्रीमन्, सदन नियमों से चलता है।

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, 28 तारीख को मुख्यमंत्री कौन था ?

श्री प्रकाश पंत–

श्रीमन्, मुख्यमंत्री श्री रमेश पोखरियाल "निशंक" हैं।

उत्तराखण्ड द्वितीय विधान सभा की आश्वासन समिति (2008–09) का चौदहवां प्रतिवेदन

श्री प्रेमानन्द महाजन–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से उत्तराखण्ड द्वितीय विधान सभा की आश्वासन समिति (2008–09) का चौदहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ।

जनपद देहरादून के विकास खण्ड रायपुर के अन्तर्गत लोअर नत्थनपुर, एकता एन्क्लेव स्ट्रीट न0–1 की सड़क के चौड़ीकरण के सम्बन्ध में याचिका

श्री अनिल नौटियाल–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से "जनपद देहरादून के विकासखण्ड रायपुर के अन्तर्गत लोअर नत्थनपुर, एकता इन्क्लेव नं0–1 की सड़क के चौड़ीकरण के संबंध में" श्री अवतार सिंह नेगी, निवासी एकता इन्क्लेव स्ट्रीट नं0–1 एवं अन्य निवासीगण, जनपद देहरादून द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड दुगड्डा करैंखाल में गोदी (बड़ी) मोटर मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में याचिका

श्री सुरेन्द्र राकेश–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से 'जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड दुगड्डा के करैंखाल से गोदी (बड़ी) मोटर मार्ग के डामरीकरण के संबंध में' श्री चन्द्र दत्त पसबोला, निवासी ग्राम गोदी, विकास खण्ड दुगड्डा एवं अन्य निवासीगण, जनपद पौड़ी गढ़वाल द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड एकेश्वर के अन्तर्गत मटेलना के पुल से पिलखेरा–मैणा–सगोड़ा होते हुए ईड़ाखाल तक अधूरे मोटर मार्ग निर्माण के कार्य को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में याचिका

श्री अनिल नौटियाल–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से 'जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड एकेश्वर के अन्तर्गत मटेलना के पुल से पिलखेरा–मैणा–सगोड़ा होते हुए ईड़ाखाल तक अधूरे मोटर मार्ग निर्माण के कार्य को पूर्ण कराये जाने के संबंध में' श्री कुलदीप सिंह चौहान, निवासी ग्राम सगोड़ा, पो0 ईड़ाखाल, पट्टी मवालस्यू एवं अन्य निवासीगण, जनपद पौड़ी गढ़वाल द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

जनपद चमोली के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र कर्णप्रयाग के राजकीय उच्चतर माध्यामिक विद्यालय बरतोली के उच्चीकरण के सम्बन्ध में याचिका

श्री अनिल नौटियाल–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से "जनपद चमोली के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र कर्णप्रयाग के राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बरतोली के उच्चीकरण के संबंध मे" श्री भरत सिंह, निवासी ग्राम बरतोली एवं अन्य निवासीगण, जनपद चमोली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

जनपद हरिद्वार के विकास खण्ड भगवानपुर में माँ चूड़ामणी देवी सिद्धपीठ मंदिर के जीर्णोद्धार एवं सौन्दर्यीकरण के सम्बन्ध में याचिका

श्री सुरेन्द्र राकेश–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से 'जनपद हरिद्वार के विकास खण्ड भगवानपुर में माँ चूड़ामणी देवी सिद्धपीठ मन्दिर के जीर्णोद्धार एवं सौन्दर्यीकरण के संबंध में' श्री पवन त्यागी, निवासी ग्राम व पोस्ट चूड़ियाला एवं अन्य निवासीगण, जनपद हरिद्वार द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य श्री प्रीतम सिंह जी की सूचना प्राप्त हुई। हम इसका परीक्षण करवा लेंगे।

श्री प्रीतम सिंह मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक 13 जुलाई, 09 की कार्यसूची की मद सं0–6 के सम्बन्ध में मुख्यमंत्री के विरूद्ध सदन की अवमानना की सूचना

श्री प्रीतम सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूँ कि 13 जुलाई, 2009 को उत्तराखण्ड विधान सभा की कार्यसूची में मद संख्या–6 में यह लिखा है कि मुख्यमंत्री, राजधानी स्थल चयन आयोग की रिपोर्ट सदन के पटल पर रखेंगे। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा इस पर कोई रिपोर्ट सदन के पटल पर नहीं रखी गयी। इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री जी का यह कृत्य सदन की अवमानना का प्रश्न बनता है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय प्रीतम सिंह जी, आप एक वरिष्ठ एवं काबिल सदस्य हैं। जैसाकि हमने कहा कि इसका परीक्षण करवा लेंगे।........

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री केदार सिंह रावत–

मान्यवर, यह सदन की अवमानना है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य, परीक्षण तो हो गया होगा, आपका विषय आ गया, आपके विषय का संज्ञान लिया गया।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, हम चाहते हैं कि इस पर चर्चा हो।

श्री अध्यक्ष–

दूसरे पक्ष की बात भी आ जाए। कृपया स्थान ग्रहण करें।

(घोर व्यवधान के मध्य)

कुवँर प्रणव सिंह "चैम्पियन"–

मान्यवर, पिछले वर्ष नियम –65 के अन्तर्गत सूचना दी गई थी, 8 महीने हो चुके हैं ओर अभी तक कुछ नहीं हुआ है।

श्री अध्यक्ष–

उसको दिखवा लेंगे। कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर,परीक्षण का प्रश्न ही नहीं उठता।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष– .

दूसरे पक्ष की बात नहीं आई है।

श्री सुरेन्द्र राकेश–

माननीय अध्यक्ष जी, मेरी भी सूचना है।

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, यदि यह घटना सदन के बाहर होती तो निश्चित रूप से आप परीक्षण कराते, यह सदन के अन्दर माननीय नेता सदन ने सदन के अन्दर अवमानना करने का काम किया है।

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने अवमानना कहा तो अवमानना की नोटिस एक प्रक्रिया में होती है जिसके माध्यम से माननीय अध्यक्ष जी विनिश्चय देंगे और वह विनिश्चय माननीय अध्यक्ष जी देंगे।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, विनिश्चय नहीं मैं माननीय अध्यक्ष जी से निवेदन कर रहा हूँ, माननीय अध्यक्ष जी, आपका संरक्षण चाहिए।

श्री अध्यक्ष–

हम विनिश्चय देंगे।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, तत्काल विनिश्चय देना बाध्यता नहीं है।

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, इससे गम्भीर विषय नहीं हो सकता है।

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें।

(घोर व्यवधान के मध्य)

कार्य–मंत्रणा समिति की सिफारिश

श्री अध्यक्ष–

कार्यमंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 14–07–2009 की बैठक में दिनांक 15–07–2009 के उपवेशन का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप से रखे जाने की सिफारिश की है:–

<u>जुलाई, 2009</u>

15 (बुधवार) 1–वित्तीय वर्ष 2009–10 के आय–व्ययक पर सामान्य चर्चा।

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि कार्यमंत्रणा समिति की सिफारिश जिसकी सूचना माननीय अध्यक्ष जी द्वारा सदन को दी गई है, से यह सदन सहमत है।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी ने जो प्रस्ताव सदन मे रखा है, से यह सदन सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(भारतीय कांग्रेस पार्टी के कई माननीय सदस्य और बहुजन समाज पार्टी के माननीय सदस्य काजी निजामुद्दीन 'वेल' में पूर्ववत् खड़े थे।)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें।

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, सदन की अवमानना हुई है। हमने सदन की अवमानना पर चर्चा हेतु सूचना दी है। क्योंकि यह सरकार नियम विरूद्ध कार्य कर रही है। सदन की अवमानना कर रही है इसलिए मैं और मेरा दल वाकआउट कर रहा है।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सभी माननीय सदस्य सदन से बाहर चले गये।)

श्री सुरेन्द्र राकेश–

मान्यवर, मेरा अनुरोध है कि मेरी सूचना को सुना जाय। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें। किसी भी माननीय सदस्य की बात का संज्ञान नहीं लिया जायेगा।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सभी माननीय सदस्य सदन में आ गये।)

(बहुजन समाज पार्टी के माननीय सदस्य श्री शहजाद, श्री सुरेन्द्र राकेश, श्री तस्लीम अहमद, श्री हरिदास, श्री नारायण पाल, श्री प्रेमानन्द महाजन "वेल" में आ गये और अपनी बात कहने लगे। श्री सुरेन्द्र राकेश द्वारा कुछ कहे जाने पर)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें। इसका परीक्षण करा लेंगे।

(घोर व्यवधान के मध्य)

कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज नियम–58 के अन्तर्गत डा0 हरक सिंह रावत तथा श्री यशपाल आर्य, श्री किशोर उपाध्याय, चौ0 यशवीर सिंह, श्री तिलक राज बेहड़ तथा डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल, श्री रणजीत सिंह रावत, श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल, श्री सुरेन्द्र राकेश तथा श्री तस्लीम अहमद, श्री प्रेमानन्द महाजन, श्री नारायण पाल, डा0 हरक सिंह रावत, श्री गोपाल सिंह राणा, श्रीमती अमृता रावत, श्री मनोज तिवारी, श्री यशपाल बेनाम तथा काजी निजामुद्दीन की कुल 15 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। मैं इनमें से श्री किशोर उपाध्याय की सूचना जो विधायक निधि से कार्यदायी संस्थाओं तथा सम्बन्धित सरकारी एजेंसियों द्वारा 20 से 30 प्रतिशत सुविधा शुल्क लिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है तथा दूसरी सूचना श्री प्रेमानन्द महाजन की है, जो जनपद ऊधमसिंह नगर के तहसील किच्छा में जाति प्रमाण–पत्र बनाने में हो रही कठिनाई से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। तीसरी

सूचना श्रीमती अमृता रावत की है, जो प्रदेश में विधवा, विकलांग, वृद्धावस्था पेंशन का भुगतान समय पर न होने से समाज के निर्बल, असहाय वर्ग को हो रही कठिनाई से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। चौथी सूचना श्री यशपाल बेनाम की है, जो प्रदेश में बी0एड0/बी0पी0एड0/एल0टी0 प्रशिक्षित बेरोजगारों हेतु विशिष्ट बी0टी0सी0 की विज्ञप्ति जारी न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, को ग्राह्यता पर सुन रहा हूँ। शेष सूचनाएं अस्वीकार हुई। इसके अतिरिक्त नियम–310 की सूचना जो नियम–58 में सुनने के लिए मैंने पहले कहा है, उन दो सूचनाओं को भी नियम–58 पर ग्राह्यता पर सुन लूंगा।

(माननीय सदस्य काजी मौ0 निजामुद्दीन और माननीय सदस्य चौ0 यशवीर सिंह को छोड़कर बहुजन समाज पार्टी के सभी माननीय सदस्य "वेल" में खड़े होकर तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के माननीय सदस्य अपने स्थान पर खड़े होकर अपनी–अपनी बात कहते रहे।)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें।

('वेल" में खड़े बहुजन समाज पार्टी के माननीय सदस्य नारे लगाने लगें)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें।(व्यवधान) प्रत्येक दिन 5 सूचनाएं नियम–58 में सुनी जाती हैं। (व्यवधान) आप लोग आपस में तय कर लें कि कौन सी 5 सूचनाओं पर आपने बोलना है। (व्यवधान) आज मैं 5 की जगह 6 सूचनाएं सुन रहा हूँ। (व्यवधान) माननीय शहजाद जी, प्रेमानन्द महाजन जी आपकी पार्टी के सदस्य हैं, उनकी सूचना सुनी जा रही है। (व्यवधान)

श्री गोपाल सिंह–

मान्यवर, मेरी सूचना कल सुनी जाएगी या नहीं ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें। (व्यवधान)

('वेल' में खड़े माननीय सदस्यगण पूर्ववत अपनी–अपनी बात कहते रहे।)

श्री अध्यक्ष–

कृपया, आसन ग्रहण करें।

('वेल' में खड़े माननीय सदस्यगण पूर्ववत अपनी–अपनी बात कहते रहे और नारे लगाने लगे।)

श्री अध्यक्ष–

अगर आप लोग नियम–310 के तहत सूचना देंगे और अगर वह सूचना नियम–310 में सुनने लायक होगी तो नियम–310 में भी सूचना सुनी जायेगी। कृपया, आप लोग स्थान ग्रहण करें।

('वेल' में खड़े माननीय सदस्यगण पूर्ववत अपनी–अपनी बात कहते रहे।)

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्यगण, कृपया सहयोग दें, आप लोगों को यहां पर 20 मिनट हो गये हैं। ऐसे जिद से काम कैसे चलेगा ?

('वेल' में खड़े माननीय सदस्यगण पूर्ववत अपनी–अपनी बात कहते रहे और नारे लगाने लगे।)

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्यगण, सदन नियमों से चलेगा, जिद से नहीं चलेगा। आपने जो सूचना दी थी, उस पर विनिश्चय आ चुका है।

('वेल' में खड़े माननीय सदस्यगण पूर्ववत अपनी–अपनी बात कहते रहे।)

श्री अध्यक्ष–

यह संभव नहीं है, माननीय शहजाद जी, आप लोग कृपया आसन ग्रहण करें।

('वेल' में खड़े माननीय सदस्यगण पूर्ववत अपनी–अपनी बात कहते रहे और नारे लगाने लगे।)

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता प्रतिपक्ष, कृपया सदन को व्यवस्थित करने हेतु सहयोग करें।

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं नेता बहुजन समाज पार्टी से निवेदन करना चाहूँगा... (व्यवधान) मान्यवर, माननीय सदस्य श्री सुरेन्द्र राकेश जी की सूचना बहुत महत्वपूर्ण है। आप सहृदयी हैं और इस सूचना के महत्व को देखते हुये, मेरा आपसे आग्रह है कि आप अपने विशाल हृदय का परिचय देते हुये नियम–58 की इस सूचना पर विचार करें, मैं आपका आभारी रहूंगा।

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता प्रतिपक्ष, आप सहमत होंगे कि नियमानुसार एक दिन में नियम–58 के तहत पाँच सूचनायें सुनी जाती हैं, नियमों को शिथिल करते हुये मैं छः सूचनाओं को सुन रहा हूँ।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, इस सूचना को भी सुन लीजिये, यदि किसी सूचना पर चार माननीय सदस्यों के हस्ताक्षर हैं तो उस पर दो ही माननीय सदस्य बोलेंगे, इससे समय भी बच जायेगा और माननीय सदस्य की सूचना को भी सुना जा सकेगा।

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता प्रतिपक्ष, आप अवगत होंगे और सहमत भी होंगे कि इसके लिये हमें शासन को भी समय देना होगा, तभी तो इस पर सूचना आ सकेगी

('वेल' में मौजूद सदस्यगण पूर्ववत् बैठे रहे)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें।

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, हमारी किसी सूचना पर चार माननीय सदस्यों के दस्तखत हैं तो उस सूचना पर केवल एक या दो लोग बोलेंगे जिससे समय बच जायेगा।

श्री अध्यक्ष–

शासन को समय देना पड़ता है।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, सरकार का उत्तर नहीं आ पायेगा। माननीय नेता प्रतिपक्ष, आप अवगत हैं कि शासन को भी समय देना पड़ेगा सूचना मंगाने के लिए।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, चार माननीय सदस्यों के दस्तखत हैं, तो चार के बजाये दो सदस्यों को बुलवा दीजिए, उतना समय बच जायेगा।

श्री अध्यक्ष–

जब तक उत्तर नहीं आयेगा तो क्या करेंगे ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता बहुजन समाज पार्टी, कृपया स्थान ग्रहण करें। आप लिखकर दे दें कल विचार कर लेंगे। कल अन्य सूचनाओं के साथ इस पर भी विचार कर लेंगे। अगर नियमों में आयेगा तो इसे भी ले लिया जायेगा, यदि नियमों में नहीं आयेगा तो नहीं लेंगे। (विपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा कुछ कहे जाने पर) हमें अगर अपना विवेक का इस्तेमाल करना होगा तो हम इस्तेमाल करेंगे। नहीं तो आप अपना विवेक इस्तेमाल कर दीजिए, आप अपने विवेक से कर लीजिए हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप दोनों पार्टियों पर छोड़ता हूँ आप अपने विवेक का इस्तेमाल कीजिए।

(तत्पश्चात् 'वेल' में बैठे बहुजन समाज पार्टी के सभी माननीय सदस्यगण अपने-अपने स्थान पर जाकर बैठ गये।)

डा0 हरक सिंह रावत-

माननीय अध्यक्ष जी, हमने सदन के सम्मुख जो नियम-310 के विषय को रखने का प्रयास किया था, आपने सहृदयता का परिचय देते हुए नियम-58 में उसकी ग्राह्यता पर मुझे कहने का अवसर दिया है, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, जिस विषय को लेकर उत्तराखण्ड राज्य की स्थापना हुई है, वह महत्वपूर्ण विषय है उत्तराखण्ड के नौजवानों के हाथों को काम देना और माननीय अध्यक्ष जी, कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि इतने वर्षों में हम इस महान काम को करने में कहीं न कहीं पीछे रहे हैं। मैं जिन नौजवानों के रोजगार की घटना का उल्लेख करना चाहता हूँ माननीय अध्यक्ष जी, यह विषय इस सदन के सम्मुख, संज्ञान में पूर्व में भी आ चुका है और सरकार ने आश्वासन भी सदन के सम्मुख दिया था, लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, सरकार के आश्वासन के बाद भी समस्या जस की तस बनी हुई है और आज प्रदेश के नौजवान जो प्रशिक्षित बेरोजगार हैं, जिनको हमने प्रशिक्षित बेरोजगार की संज्ञा दी है, जिन्होंने बी0एड0, सी0पी0एड, डी0पी0एड0 की शिक्षा ग्रहण की है, एल0टी0 की ट्रेनिंग ली है, लेकिन रोजगार के लिए वे आज लगातार संघर्षरत हैं। चाहे पिथौरागढ़ में हो, चाहे पौड़ी जनपद में हो, हरिद्वार में हो, ऊधमसिंह नगर में हो पूरे प्रदेश में उत्तराखण्ड का प्रशिक्षित बेरोजगार नौजवान संघर्षरत है।

मान्यवर, यही नहीं, माननीय अध्यक्ष जी, विधान सभा के बाहर भी पूरे प्रदेश के प्रशिक्षित नौजवान अपने रोजगार की मांग को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। सरकार ने सदन के सम्मुख घोषणा की थी कि 10 हजार से अधिक नौजवानों को शिक्षा विभाग में रोजगार देंगे। लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, जब से यह सरकार आई है एक भी विज्ञप्ति न एल0टी0 की निकली है न ही विशिष्ट बी0टी0सी0 की निकली है। जिन 10 हजार नवजवानों को रोजगार देने की बात सरकार ने की है वह पूर्व सरकार की विज्ञप्ति थी उसमें पूरा प्रोसेस पूर्व सरकार का था। इस सरकार ने केवल श्रेय लेने का काम किया। विज्ञान सब्जेक्ट में कांग्रेस की नेतृत्व की सरकार में नियुक्ति पत्र जारी हो गये थे, कुछ सब्जेक्टसों में उस समय वेटिंग लिस्ट फाइनल हो गई थी लेकिन आचार संहिता लगने के कारण नियुक्ति पत्र निर्गत नहीं हो पाये थे। एक तरफ विद्यालयों में शिक्षकों का अभाव है। पर्वतीय क्षेत्र के चाहे इण्टर कालेज हों, प्राथमिक विद्यालय हों, हाईस्कूल हो, जूनियर विद्यालय हों, आप कहीं पर भी जायेंगे तो आपको दिखाई देगा कि विद्यालय में शिक्षक नहीं है। कई बार स्थिति ऐसी बन जाती है कि विद्यालय में एक ही शिक्षक है। अगर वह बीमार हो गया या महिला शिक्षक है वह अपने परिवारिक कारणों से व्यक्तिगत कारण से विद्यालय नहीं आ पायी तो विद्यालय पर ताला लग जाता है। यह स्थिति एक विद्यालय की नहीं हजारों विद्यालयों की है।

सरकार यह कह सकती है कि मैदानी क्षेत्र, जो सुगम क्षेत्र हैं उनमें शिक्षकों की संख्या अधिक है। एक तरफ विद्यालय शिक्षक विहीन हैं वहीं दूसरी तरफ डिग्रीधारी नौजवान संघर्ष की राह अपनाये हुए हैं। मैं माननीय अध्यक्ष जी, इस सरकार से क्योंकि सरकार के मुखिया मुख्यमंत्री स्वयं एक शिक्षक रहे हैं। शिक्षक शिक्षक है चाहे वह शिशु मंदिर का हो या माध्यमिक विद्यालय का हो या विश्वविद्यालय का हो। एक शिक्षक के नाते माननीय मुख्यमंत्री जी, नेता सदन को इस विषय को गम्भीरता से लेना चाहिए। उसी का नतीजा है माननीय अध्यक्ष जी, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, मैं इस विषय को पिछले सत्र में भी लाया था, यह आपके संज्ञान में भी है। तब भी मैंने नियम–310 और नियम–58 के तहत इस विषय को सदन के सम्मुख उठाया था। तब के शिक्षा मंत्री यहाँ बैठे हैं और हँस रहे हैं, अगर उस समय उन्होंने इस विषय को गम्भीरता से लिया होता तो आज उनकी हँसी कुछ ज्यादा यहाँ दिखाई देती, लेकिन इनकी हंसी में कुछ कंट्रोल इस लिए हुआ, उस समय इस विषय को इन्होंने गम्भीरता से नहीं लिया और उसी का नतीजा था कि प्रशिक्षित नौजवानों ने कांग्रेस को लोक सभा की पांचों सीटें जिता कर इनको दिखवा दिया कि तुम अगर हमारी उपेक्षा करोगे, विद्यालयों की उपेक्षा करोगे तो यह नतीजा है, आगे भविष्य में और नतीजे खतरनाक होंगे।

*श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, माननीय नेता प्रतिपक्ष भी अपने विधान सभा क्षेत्र में हारे हैं।

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, लैन्सडॉन विधान सभा क्षेत्र से कांग्रेस जीती है, आपको यह गलत फहमी है जिस तरह कुछ अखबारों को गलत फहमी है। जिस तरह परिसीमन और विधान सभा की सीमाओं के बारे में उनको मालूम नहीं था, क्योंकि नाम लैन्सडॉन विधान सभा है, लेकिन परिसीमन के बाद जो लेन्सडॉन विधान सभा क्षेत्र बना है उसमें केवल 14 बूथ मेरी विधान सभा क्षेत्र के हैं बाकी पूरी मुख्यमंत्री की विधान सभा क्षेत्र है, धूमाकोट विधान सभा है। मेरी विधान सभा के अधिकांश पोलिंग बूथ चौबटाखाल विधान सभा क्षेत्र जहाँ से इस समय अमृता रावत जी हैं उस विधान सभा में शिफ्ट हो गये हैं और जो मेरी वर्तमान विधानसभा है माननीय अध्यक्ष जी, बड़े ही दुर्भाग्य की स्थिति है कि जिस जनपद का प्रतिनिधित्व माननीय पूर्व शिक्षा मंत्री और वर्तमान में आबकारी मंत्री कर रहे हैं, उस जिले में उनकी बहुत ही बुरी दुर्गति हुई। यदि पूर्व शिक्षा मंत्री जी ने प्रशिक्षित बेरोजगारों की पीड़ा को समझा होता तो पन्त जी, शायद आप भी इनका टिकट न बदलते। मैं समाचार पत्रों में और दूरदर्शन में इनका उदास चेहरा देख रहा था।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि यह विषय बहुत ही गम्भीर हैं। हजारों नौजवान प्रशिक्षित बेरोजगार हैं उनकी पीड़ा को, कौशिक जी यह ठीक है कि कभी–कभी हँसी मजाक में भी गम्भीरता होनी चाहिए। मैं सोचता हूँ कि हँसते–हँसते भी अगर आप गम्भीर रहें और अच्छे निर्णय लें सकें तो मैं समझूंगा कि आप लोगों को सुध आ गई। लेकिन अब भी माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी, माननीय पन्त जी, अगर इस सरकार को अब सुध नहीं आई तो अब कब आयेगी ? हमारा काम है आपको चेताना। हमारा काम है सदन के सामने प्रदेश की ज्वलंत समस्याओं को रखना और उसके बाद भी अगर सरकार इस महत्वपूर्ण समस्या को मान्यवर, जैसा कि मैंने कल कहा था जल ही जीवन है उसी तरह उत्तराखण्ड के बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देने के लिए यह राज्य बना है, हम नेताओं को रोजगार देने के लिए नहीं बना है। माननीय अध्यक्ष जी, 22 विधायकों से विधायकों की संख्या 71 हो गई। मान्यवर, पूर्व में उत्तराखण्ड से दो–तीन या चार मंत्री बना करते थें आज अब 12–12 मंत्री हो गये। माननीय अध्यक्ष जी, आज उत्तराखण्ड का नौजवान अपने आपको ठगा हुआ महसूस कर रहा है, अपने आपको लुटा हुआ महसूस कर रहा है। इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से आपका संरक्षण चाहिए, इस सम्मानित सदन के सदस्यों को ही नही बल्कि हमारे माध्यम से, आपके माध्यम से प्रदेश के लाखों बेरोजगार नौजवानों को भी आपका संरक्षण चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है माननीय अध्यक्ष जी, कि आप सरकार को निर्देशित करेंगे इन नौजवानों के उज्जवल भविष्य के लिए। जिससे कि इस प्रदेश के नौजवानों का भरोसा, विश्वास इस सदन के प्रति कायम हो सके। यही नम्र निवेदन मैं आपके माध्यम से करना चाहता हूँ।

*श्री गोविन्द सिंह बिष्ट–

माननीय अध्यक्ष जी, उल्लिखित करना है कि उत्तराखण्ड में वर्तमान में प्राथमिक विद्यालयों में 20676 पदों के सापेक्ष 15675 सहायक अध्यापक कार्यरत हैं और इस प्रकार इस उत्तराखण्ड राज्य में 5001 अध्यापकों के रिक्त पदों के सापेक्ष 5520 विशिष्ट बी0टी0सी0 प्रशिक्षितों की नियुक्ति की जा रही है। इसी प्रकार प्राथमिक सहायक अध्यापक में भर्ती का स्रोत सवंर्ग में रिक्त शून्य है। वर्ष 2009 से 2012 तक सेवानिवृत्ति की अनुमानित दर लगभग 2 प्रतिशत है उसके आधार पर कार्यरत शिक्षकों की संख्या को अगर आप देखें तो 34168 कार्यरत शिक्षकों की संख्या को आधार मानते हैं तो लगभग 2500 अध्यापक सेवानिवृत्ति होंगे। भविष्य में उपलब्ध होने वाली इन रिक्तियों के प्रति 1625 बी0टी0सी0 एवं लगभग 3000 शिक्षा मित्र को बी0टी0सी0 किया जाना प्रस्तावित है। माननीय अध्यक्ष जी, इसके अतिरिक्त अन्य कारणों से भी बहुत सी संख्या पदों की कम होने की सम्भावना है। राज्य में अनेक विद्यालय ऐसे भी है, जिनमें आज भी 10 से कम छात्र अध्ययन कर रहे हैं। उन सबका हम परीक्षण भी करा रहे हैं और ऐसे विद्यालय जिनमें छात्र संख्या 10 से कम है और बहुत नजदीक में अन्य विद्यालय भी उपलब्ध हैं उन

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सारे विद्यालयों की संख्या 563 है, अगर उनमें दो अध्यापकों का आधार मानें तो 1126 सहायक अध्यापक उन विद्यालयों से अतिरिक्त होने हैं। इसी प्रकार जूनियर हाईस्कूल से हाईस्कूल तक कुल 538 विद्यालय आज तक उच्चीकृत हो चुके है, इनमें कार्यरत 1749 अध्यापकों के पद भी कम हो जायेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, इसी प्रकार 2012 तक सेवा निवृत्ति से उपलब्ध होने वाले 2500 रिक्त पदों के सापेक्ष जो समायोजन किया जाना है। उनमें भी जो दो वर्षीय विशिष्ट बी0टी0सी0 लगभग 1300 हैं, शिक्षा मित्र बी0टी0सी0 से 3000 और 10 से कम छात्र संख्या वाले विद्यालयों के समायोजन के लिए 1126 पद कम होने हैं और जूनियर हाईस्कूल के उच्चीकरण से 1749 पद कम हो जायेंगे और इस प्रकार से कुल 7175 पदों की पूर्ति हेतु वर्ष 2012 से आगे की भी रिक्तियां उपलब्ध रखी जानी होगी। इस प्रकार वर्तमान में विशिष्ट बी0टी0सी0 के इस प्रकरण का हम परीक्षण करा रहे हैं और उपलब्धता के आधार पर शीघ्र निर्णय किया जोयगा।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो वर्ष 2012 तक आंकड़े दिये हैं जो विभिन्न जनपदों से आंकड़े उपलब्ध कराये हैं। माननीय अध्यक्ष जी, अभी जो उच्च विद्यालय में रिक्त पद हैं वह 3051 हैं और प्राथमिक विद्यालयों में 2064 पद रिक्त हैं।(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, यह बहस नहीं हो रही है।

*काजी मौ0 निजामुद्दीन–

मान्यवर, स्पष्टीकरण तो पूछने की परम्परा है।(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

स्पष्टीकरण तो मांग सकते हैं।

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, जो माननीय शिक्षा मंत्री जी ने आकड़े दिये हैं कि अभी पद रिक्त नहीं हैं। जिस प्रकार से 2 अध्यापक 10 विद्यार्थियों के आधार पर रखे हैं और जो विशिष्ट बी0टी0सी0 का परीक्षण चल रहा है। माननीय मंत्री जी का सीधा कहना है कि पद रिक्त नहीं हैं। लेकिन 2012 तक हाईस्कूल, जूनियर हाईस्कूल और प्राथमिक विद्यालयों में पूरी रिक्तियों निकालेंगे। हमने विभिन्न जनपदों से सूचना के तहत जो आंकड़े मंगाये हैं उसके आधार पर निश्चित रूप से पांच हजार से अधिक रिक्त पद पूरे प्रदेश में प्राथमिक, जूनियर हाईस्कूल में हैं। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि पूर्व शिक्षा मंत्री जी ने इसी सदन के सम्मुख कहा था कि शीघ्र विज्ञप्ति जारी की जायेगी। (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष जी, जो पिछला सत्र हुआ था उससे पूर्व सत्र में ऐसा कहा था।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, शिक्षा मंत्री जी ने स्पष्ट रूप में कहा है कि इसका हम परीक्षण करा रहे हैं और जल्दी से जल्दी इस पर कार्यवाही करेंगे। (व्यवधान)

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, जब सदन के सम्मुख यह बात आ गयी थी कि हम शीघ्र ही कार्यवाही करा रहे हैं तो शीघ्र का अर्थ क्या होता है ? जबकि चार माह हो चुके हैं।

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट–

मान्यवर, जो वर्तमान में रिक्त पद हैं और आगे कि जो सम्भावना हैं उसका हम परीक्षण करा रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय डा0 हरक सिंह रावत और माननीय शिक्षा राज्य मंत्री को सुनने के पश्चात मैं इसे नियम–58 के अन्तर्गत अग्राह्य करता हूँ। (व्यवधान)

कुँवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं किन शब्दों में आपका आभार प्रकट करूँ कि आपने हमारी जो विनम्र प्रार्थना थी उसको स्वीकार किया। माननीय अध्यक्ष जी, विगत जनवरी माह में 10 तारीख की बात है। काजी निजामुद्दीन साहब के विधान सभा क्षेत्र में बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था और आपके आग्रह पर मुझे उसमें चीफ गेस्ट बनाया गया था। मैं गेम से जुड़ा हुआ हूँ मान्यवर, 7 साल नेशनल चैम्पियन रहा और 2 साल एशियन चैम्पियन रहा। लोगों में उत्साह था। जैसे ही मै पोडियम (स्टेज) के बाहर पहुँचा। काजी जी निकल गये थे। उसके बाद मान्यवर, जैसा कि परिपाटी है हमारे राष्ट्र की, इसमें कोई नई बात नहीं है। कोई भी अगर विशिष्ट व्यक्ति आता है जैसे हमारे देश में अन्यत्र किसी देश के प्रधानमंत्री आते हैं तो तोपों की सलामी दी जाती है। कई मर्तबा होता है। किसी कार्यकर्ता ने जो प्रतिभागी पहलवान थे उनके उत्साहवर्धन के लिए हवाई फायर कर दिया होगा। उस हवाई फायर होने से वहाँ कोई फर्क नहीं पड़ा। कम्पीटीशन मान्यवर, बदस्तूर चला। एक घण्टे से ऊपर हम लोग वहाँ बैठे। बड़े उत्साह के साथ लोगों ने पोजिंग किया। प्राईजेज दिए गए, प्रतियोगिता बहुत सक्सेसफुल रही। काजी जी ने भी इसमें शिरकत की, ऐज ए कम्पटीटर नहीं। (हँसी)

श्री अध्यक्ष–

अगर एज ए कम्पटीटर शिरकत की होती तो आज ये यहाँ दिखाई नहीं देते। (हँसी)

कुँवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"–

मान्यवर, उस घटना का जबकि कोई विरोध नहीं हुआ। हम कम्पटीशन कराकर लौट भी आए। दो दिन बाद पता लगता है कि एक एफ0आई0आर0 थाना मंगलौर में दर्ज

कराई जाती है और किसी आम आदमी द्वारा नहीं पुलिस के आरक्षी द्वारा, बीट कान्सटेबल द्वारा। इस दो दिन के अंतराल पर विपक्षियों द्वारा जो प्रेस वाले कैमरामेन वहाँ पर थे उनके क्लिपिंग निकाल करके पता नहीं किस किस तरह से जोड़ करके उसको दिखाया गया और जबरदस्ती मेरे विरोध में मान्यवर, मुकदमा दर्ज कराया गया धारा–30 के आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत।

मान्यवर, धारा–30 का सवाल तब आता है जब अपने हथियार का दुरूपयोग कोई व्यक्ति करता है। न तो वहाँ किसी को धमकाया गया और न ही किसी की जमीन की हड़पने की कार्यवाही की गयी। न किसी को डरा धमकाकर यह कहा गया कि नहीं आप पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ऐसा कोई अभिप्राय वहाँ पर नहीं था। बल्कि जो वहाँ पर हुआ वह मात्र उत्साहवर्धन के लिए हुआ। लेकिन वर्तमान सरकार द्वारा एक ऐसा दबाव पुलिस पर बनाया गया और दो दिन बाद पुलिस को मजबूर किया गया एफ0आई0आर0 को लिखने के लिए। मान्यवर, इस उत्पीड़न की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करते हुए मैं चाहूँगा कि इसमें मुझे न्याय दिलाया जाए और जनप्रतिनिधियों का जो अपमान वर्तमान सरकार द्वारा हुआ उनके बगैर कसूर के। बस कसूर सिर्फ इतना है कि पूरे जनपद हरिद्वार में मैं अकेला कांग्रेस का विधायक हूँ। यह अनुचित है ऐसा नहीं होना चाहिए।

श्री केदार सिंह रावत–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि इस सम्मानित सदन के सम्मानित सदस्य के साथ इस तरह की जो घटना हुई है। जिसमें वे मुख्य अतिथि थे। उनके और प्रतिभागियों के उत्साहवर्धन के लिए किसी अन्य के द्वारा जो सलामी दी गयी उसके लिए माननीय सदस्य के विरूद्ध मुकदमा दर्ज किया जाना माननीय सदस्य और इस सदन की भी अवमानना है। मान्यवर, आपका संरक्षण इस सदन को मिलना चाहिए और इस पर चर्चा कराने की मांग करता हूँ।

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, जनपद हरिद्वार के जिस घटना का उल्लेख माननीय सदस्यगणों द्वारा किया गया है और जैसाकि आपने माननीय सदन को अवगत कराया कि 10 जनवरी, 2009 को बॉडी बिल्डिंग समारोह आयोजित किया गया था और माननीय विधायक कुँवर प्रणव सिंह "चैम्पियन" जी बतौर मुख्य अतिथि वहाँ आमंत्रित थे और इसी घटना का जिसका उल्लेख आपने किया मैंने इसका परीक्षण करवाया तो जानकारी में आया कि 12 जनवरी को थाना–मंगलौर में मान्यवर, मुकदमा संख्या 12/09 धारा 30 आर्म्स एक्ट के विरूद्ध कुँवर प्रणव सिंह पंजीकृत हुआ है और जो मुकदमा पंजीकृत हुआ इसमें कहा गया कि मुख्य अतिथि द्वारा पिस्टल से हवाई फायर किया गया। मान्यवर, इसकी विवेचना हुई और विवेचना के बाद घटना की पुष्टि और साक्ष्यों के आधार पर इसका अभियोग 13.03.09 को नामजद अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित हो चुका है और जब न्यायालय में प्रेषित हो चुका है और न्यायालय में विचाराधीन है तो हमारी नियमावली

के नियम–61 में उल्लिखित है कि न्यायाधिकरण आयोग राज्य के विचारार्थ विषय पर सदन में चर्चा नहीं हो सकती है, इसलिए मान्यवर इसे अग्राह्य कर दें।

कुँवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"–

मान्यवर, दो दिन बाद का मुकदमा है। सरकार मुकदमा वापस ले सकती है, आपसे विनम्र निवेदन है। (व्यवधान)

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, माननीय विधायकों के खिलाफ फर्जी मुकदमें दर्ज किये जा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष–

माननीय श्री प्रणव सिंह एवं माननीय मंत्री जी को सुनने के बाद इस सूचना को अग्राह्य करता हूँ।

श्री किशोर उपाध्याय–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने इतने महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया और जिसमें मुझे लगता है कि इस सदन का हर सदस्य पीड़ित ही नहीं है बल्कि सरकार द्वारा उत्पीड़ित भी है। मान्यवर, यहाँ तो इस प्रदेश में गोमुख में ही नहीं बल्कि आज हिमनदों में आग लग गई। जिस सदन में कानून, कायदे, नियम, उप नियम और विधेयक जो सबसे बड़ी पंचायत है इस प्रदेश की और जिसकी तरफ पूरे प्रदेश की जनता एक आस एक टकटकी लगाकर देखती है कि वहाँ से अगर सरकार में सुनवाई नहीं होगी, कहीं भी अगर सुनवाई नहीं होगी, तो इस प्रदेश के विधायक, इस प्रदेश के मंत्री उसको न्याय दिलाने का काम करेंगे और जब उसी की निधि में जोकि आपकी कृपा से माननीय विधायकों को दी गई है, जब उसमें ही कमीशन खाया जायेगा, भ्रष्टाचार होगा तो जो यह प्रदेश बना है, शहादतों आशाओं से, आंदोलनों से और मुझे याद है कि आपने भी इस राज्य आंदोलन में शिरकत की है, हमारे कई शहीदों ने अपनी जान दी है इस राज्य के लिए और ऐसी हालत हो जायेगी तो निश्चित रूप से हर विधायक हर प्रतिनिधि की आँखों में आँसू होगा और जिस राज्य के विधानसभा सदस्य की हालत ऐसी होगी तो मान्यवर, मैं आपके सम्मुख कहना चाहता हूँ कि उस सदस्य का, मैं तो यह मानता हूँ कि अगर मैं अपनी विधायक निधि की, अपनी रक्षा नहीं कर पाता हूँ तो मुझे इस सदन का सदस्य रहने का कोई हक नहीं है, जब मैं अपनी रक्षा नहीं कर सकता हूँ। मान्यवर, यहां तक कि डी0आर0डी0ए0 में जब कोई विधायक निधि का चैक लेने जाता है तो उसे चैक तब दिया जाता है जब उसमें पांच प्रतिशत कमीशन लिया जाता है। मान्यवर, कार्यदायी संस्था जो माननीय विधायक निधि की है जो आदमी उसमें काम करता है, उसे चैक तब तक नहीं दिया जाता है जब तक कि उससे 20 प्रतिशत कमीशन नहीं लिया जाता है, यह तो विधायक निधि की हालत है मान्यवर, जिन्हें इस प्रदेश का संरक्षण करना है, अन्य विभागों की क्या हालत होगी, इस पर सोचा जा सकता है।

मान्यवर, हालत यह है मुझे जिले के अधिकारियों ने बताया कि हम जब सचिवालय में योजनाओं के चैक लेने के लिए जाते हैं तो सचिवालय में जब तक जो राशि अवमुक्त होनी है उसका दो–तीन प्रतिशत कमीशन नहीं दिया जाता है तब तक चैक अवमुक्त नहीं होते हैं। मान्यवर, आप किसी भी कार्यदायी संस्था में चले जाये आज जो हम विकास की बात करते हैं। आप चाहे पी0डब्लयू0डी0, जलनिगम, पेयजल विभाग, शिक्षा विभाग में चले जाईये हर जगह कमीशन लिया जा रहा है। मान्यवर, यहां तक कि शिक्षा विभाग में अध्यापकों को वेतन देने में भी कमीशन खाया जा रहा है। जिस प्रदेश की हालत ऐसी होगी वह प्रदेश कहां जायेगा। इस हिसाब से इस पर चर्चा सबसे महत्वपूर्ण है। मान्यवर, यह विधेयक, यह बजट आदि चीजें जो हम उठा रहे हैं, इस सबसे पहले महत्वपूर्ण है इस सदन की गरिमा की रक्षा कैसे होगी, विधायकों की रक्षा कैसे होगी, इस प्रदेश की जनता की रक्षा कैसे होगी। मैं बहुत दुःखी हूँ मैंने इसमें कोशिश की है। मैंने जिलाधिकारी को कहा है, यदि आप कहेंगे तो मैं पत्रावली आपको दे दूंगा। मैंने इस सम्बन्ध में उनको चिट्ठी भी लिखी है कि इस तरह से विधायक निधि में कमीशन खाया जा रहा है। मान्यवर, मान लीजिए मैं किसी कार्य के लिए दो लाख रूपया देता हूँ और उसमें से 40 हजार रू0 बिना किसी बात के कार्य दायी संस्था और वहां के जो लोग हैं उनसे ले लेंगे तो इसमें क्या कार्य होगा? मान्यवर, कई पत्र–पत्रिकाएं हम आपके सामने ला सकते हैं जिसमें आया है कि साहब फलाने विधायक ने कार्य करने के लिए जो इतना पैसा दिया है आज यह बिल्डिंग टूट गयी है, आज यह खड्ंजा उखड़ गया है, आज यह फर्नीचर टूट गया है। मान्यवर, इसकी गुणवत्ता कैसे सुनिश्चित होगी, यह बहुत ही गम्भीर विषय है। हम आपका संरक्षण चाहते हैं। मान्यवर, इसमें ऊपर से यह कहा जाता है कि मान्यवर, जब मैंने एक–दो लोगों से कहा कि यह पैसा कहा जा रहा है तो उनके द्वारा कहा गया यह पैसा ऊपर तक जाता है। मान्यवर, ऊपर तक कहां तक जाता है, इसका पता लगाना भी आवश्यक है। (व्यवधान) मान्यवर, इतने गम्भीर विषय के साथ अगर मजाक किया जायेगा तो.. (व्यवधान)

श्री अनिल नौटियाल–

मान्यवर, मजाक का विषय नहीं है। हम सत्यता जानना चाहते हैं कब से यह जा रहा है ?

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, इस पर चर्चा करेंगे तो हर सदस्य का कम से कम अपना मत इस विषय पर आ जायेगा, जो इस तकलीफ से गुजर रहा है। मान्यवर, मेरा अन्तरमन से निवेदन है कि इस समस्या का निराकरण इस सदन के माध्यम से आप करने का कष्ट करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका बहुत–बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे इस पर बोलने का मौका दिया।

श्री शहजाद–

मान्यवर, मैं सिर्फ यह जानना चाहता हूँ कि यह पिछले पांच साल की तुलना में गत ढाई साल में कुछ बढ़ा है या नहीं ?

श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय विधायक जी को बताना चाहती हूँ कि अगर किसी कार्य विशेष और किसी संस्था विशेष का उल्लेख कर दें कि किनके द्वारा यह कृत्य किया गया है तो इसमें सहूलियत रहेगी कि उनको हम दण्ड दे सकें। आपने बहुत ही अच्छे विषय की सूचना से सरकार को अवगत कराया है।

मान्यवर, और भी माननीय विधायक इस बात से सहमत हों, यदि उनकी जानकारी में भी ऐसा कोई मामला हो तो उसे चिन्हित करके हमें बता दें। उसको दिखवा लेंगे। इस तरह का जो कृत्य किया जा रहा है, उस पर अवश्य अंकुश लगेगा।

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, इतने महत्वपूर्ण मसले पर इस तरह से सरकार की तरफ से जो जवाब आया, यह कोई जवाब ही नहीं है। आपके पास पचासों एजेन्सियां हैं। आप सी0बी0सी0आई0डी0 से जाँच करवाईये, आप सतर्कता विभाग से जाँच करवाईये। मान्यवर, यदि आप आज्ञा दें तो मैं 10 लोगों को सदन के सम्मुख खड़ा कर सकता हूँ कि उनसे विधायक निधि में कार्यदायी संस्थाओं ने 20 प्रतिशत पैसा लिया है।

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, विधायक निधि का प्रकरण सभी माननीय विधायकों से जुड़ा हुआ है। विधायक निधि में यह प्राविधान है कि विधायक निधि की स्वीकृति और उससे निर्धारित कार्यदायी संस्था माननीय विधायकगण निर्धारित करते हैं। यदि माननीय सदस्य कोई स्पेसिफिक प्रकरण दें, तो जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा, ऐसे सभी प्रकरणों की जांच की जाएगी और दोषियों को यथोचित दण्ड दिया जाएगा। (व्यवधान)

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, मेरा एक निवेदन और भी है कि इस विधायक निधि को समाप्त कर दिया जाय। हमारी बहुत बदनामी हो रही है। (व्यवधान)

*श्री यशपाल बेनाम–

माननीय अध्यक्ष जी, इसे समाप्त न किया जाय, बल्कि इसे और बढ़ाया जाय और जो ईमानदार विधायक हैं, वे इसमें ईमानदारी के साथ काम करें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, यदि सभी माननीय सदस्यगण की यह राय है तो इसको समाप्त करने का प्रस्ताव लाया जा सकता है। (व्यवधान)

श्री यशपाल बेनाम–

मान्यवर, इसको समाप्त न किया जाय। बल्कि और बढ़ाया जाय तथा सभी माननीय विधायक ईमानदारी के साथ काम करें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें। यह अपने आप में महत्वपूर्ण है कि माननीय विधायकों के साथ ऐसा हो रहा है और इसके अतिरिक्त भी भ्रष्टाचार की कोई बात है तो यह अच्छी बात नहीं है। उस पर अंकुश लगना चाहिए।

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, इसके लिए लोकायुक्त है और भी एजेन्सी हैं। यदि कोई सूचना मिलेगी तो उस पर तत्काल कार्यवाही की जाएगी।

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, अब विधायक लोकायुक्त के पास जाएगा, अपनी विधायक निधि बचाने के लिए। किस तरह का सुझाव सरकार के द्वारा दिया जा रहा है ? (व्यवधान)

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, कोई स्पेसिफिक सूचना आए तो उस पर कार्यवाही की जाएगी। (व्यवधान) अब हम यह कह दें कि सारे प्रदेश में भ्रष्टाचार है, (व्यवधान) तो यह तो उचित नहीं होगा। कोई स्पेसिफिक जानकारी होनी चाहिए।(व्यवधान)

श्री यशपाल बेनाम–

मान्यवर, मैं माननीय किशोर उपाध्याय जी को दाद देता हूँ कि आपने यह प्रश्न उठाया।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी ने स्पेसिफिकली कहा है कि अगर आप किसी संस्था विशेष के बारे में या किसी व्यक्ति विशेष के बारे में बताएंगे तो उनके विरूद्ध कार्यवाही भी की जाएगी। हो सकता है कि आपके माध्यम से किसी एक के विरूद्ध कार्यवाही हो जाए तो बाकी भी ठीक हो जाएं।(व्यवधान) मैं माननीय किशोर उपाध्याय जी, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी और विभागीय मंत्री को सुनने के पश्चात् इस सूचना को अग्राह्य करता हूँ।

अब हम 03:00 बजे तक भोजनावकाश के लिए उठते हैं।

(भोजनावकाश)

(सदन की कार्यवाही 3 बजे श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई.)

श्री अध्यक्ष–

कृपया आसन ग्रहण करें।

माननीय हरिदास जी, अभी नियम–58 में दो सूचनायें बाकी हैं, आपकी सूचना को उनके बाद ले लेंगे।

श्री हरिदास–

मान्यवर, नियम–58 की सूचनाओं के बाद ले लें।

श्री प्रेमानन्द महाजन–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे नियम–58 की सूचना में बोलने के लिये मौका दिया, उसके लिये मैं आपका आभारी हूँ। मान्यवर, जनपद ऊधमसिंह नगर की किच्छा तहसील में पंतनगर क्षेत्र आता है। यह क्षेत्र पंतनगर विश्वविद्यालय का क्षेत्र है और वहां पर पंतनगर विश्वविद्यालय की स्थापना के बाद से ही जो कर्मचारीगण वहां पर नौकरी कर रहे हैं, उस क्षेत्र के निवासी हैं। उन्हीं निवासियों में से जो लोग दलित वर्ग के हैं, ओ0बी0सी0 के लोग हैं, उनके लिये 2007–08 से पूर्व तक जाति प्रमाण पत्र और स्थाई निवास प्रमाण पत्र बनाने की व्यवस्था थी। अभी वर्तमान समय में तहसील किच्छा के वरिष्ठ अधिकारियों का स्पष्ट रूप से कहना है कि पंतनगर क्षेत्र के आरक्षित वर्ग के लोगों के जाति प्रमाण पत्र नहीं बनायेंगे। जब कि वे स्थाई निवास प्रमाण पत्र बना रहे हैं। मान्यवर, उसमें से कई ऐसे बच्चे भी हैं, जिनके पिता के नाम से पहले ही जाति प्रमाण पत्र बने हैं। जो अभी 40 वर्ष का प्रमाण मांगे जाने की व्यवस्था थी, उसी की आड़ में उन अधिकारियों द्वारा दमन किया जा रहा है।

मान्यवर, इन लोगों के बच्चों में कई ने उच्च शिक्षा की परीक्षा दी है, उनकी काउंसिलिंग के लिये जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। लेकिन तहसील के अधिकारियों की हठधर्मीपन के कारण इस क्षेत्र के बच्चों का जीवन अंधकारमय हो रहा है मान्यवर। मेरे पास कई ऐसे बच्चों के फार्म भी हैं, जिनकी काउंसिलिंग होनी है, लेकिन जाति प्रमाण पत्र के अभाव में वे नहीं जा पा रहे हैं। उदाहरण के लिये कुछ नाम हैं, श्री पारस, पिता का नाम श्रीपत, निवासी झा कालोनी पंतनगर, श्री दीपक प्रसाद पुत्र श्री महातम प्रसाद, निवासी इन्दिरा कालोनी, पंतनगर, मुन्ना अंसारी पुत्र भी शहाबुद्दीन, निवासी पंतनगर, सूरज कुमार शर्मा पुत्र श्री धर्मेन्द्र कुमार शर्मा, निवासी पंतनगर। मान्यवर, यह तो वह लोग हैं, जिन्होंने मुझसे इसके लिये संपर्क किया, लेकिन ऐसे सैकड़ों लोग और हैं, जिनके स्थाई निवास प्रमाण पत्र किच्छा तहसील से जारी किये गये हैं लेकिन जाति प्रमाण पत्र नहीं बनाये जा रहे हैं। कई लोग ऐसे हैं, जिनके पिता के नाम से जाति प्रमाण पत्र और स्थाई निवास प्रमाण पत्र बने हैं, लेकिन उनके बच्चों को जाति प्रमाण पत्र नहीं दिये जा रहे हैं और कई तो ऐसे बच्चे भी हैं, जिनके नाम से स्थाई निवास प्रमाण पत्र बने हैं

मान्यवर, ऐसी स्थिति में तहसील के अधिकारियों द्वारा क्यों नहीं बनाया जा रहा है। मुझे तो ऐसा लगता है कि तहसील के जो बड़े कर्मचारी हैं, वो शायद आरक्षण विरोधी हैं। वैसे मुझे लगता है तो मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूँ कि इन बच्चों के भविष्य को देखते हुए और पंतनगर क्षेत्र को स्पेशली देखते हुए, उन बच्चों के भविष्य को देखते हुए सरकार ऐसा आदेश जारी करे, जिससे इन बच्चों का भविष्य उज्जवलमय हो। धन्यवाद।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, माननीय सदस्य प्रेमानन्द महाजन जी द्वारा अति महत्वपूर्ण विषय पर नियम–58 के अन्तर्गत ग्राह्यता पर अपने विचार प्रस्तुत किये गये। जाति प्रमाण पत्र का जहां तक ताल्लुक है श्रीमन्, उत्तराखण्ड राज्य में पूर्व से ही जाति प्रमाण पत्र बनाने की जो प्रकिया सम्पादित थी, उसके अनुसार जाति प्रमाण पत्र निर्गत हो रहे थे, लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल हुए एक वाद के चलते हुए भारत सरकार से कुछ दिशा–निर्देश आये जिनके अनुरूप 22 जून, 2006 को जाति प्रमाण पत्र किस प्रकार से निर्गत किये जाएंगे, इसके संबंध में एक कार्मिक विभाग के माध्यम से आदेश जारी हुआ श्रीमन्, जिसमें उल्लेख था कि यदि कोई व्यक्ति अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग का जाति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन निर्धारित प्रपत्र पर वांछित अभिलेखों के साथ उस क्षेत्र जिसमें संबंधित अभ्यर्थी निवास करता है अथवा जहां उसका जन्म हुआ हो, के जिलाधिकारी या अतिरिक्त जिलाधिकारी या सिटी मजिस्ट्रेट या उप जिलाधिकारी अथवा तहसीलदार से प्रस्तुत करता है तो वह आवेदन पत्र के साथ शपत्र पत्र एवं जाति, उप जाति, जनजातीय समुदाय के वर्ग या भाग व मूल निवास आदि से संबंधित ऐसे विवरण प्रस्तुत करेगा, जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछडा वर्ग का प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु विहित किये गये हैं। अर्थात् श्रीमन्, राज्य के अंदर निवास करने वाले ऐसे सभी व्यक्ति जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से दिये गये दिशा–निर्देश के आधार पर यहां के निवासी हैं, उनको जाति प्रमाण पत्र निर्गत किया जा सकेगा। इसके पश्चात् जाति प्रमाण पत्र के विषय पर इसी माननीय सदन ने एक समिति का गठन भी किया था और उस समिति ने काफी व्यापक अध्ययन इस विषय पर किया और कुछ राज्यों में जाकर जो नये राज्य गठित हुए थे, उन राज्यों में जाकर भी वहां की स्थिति का अवलोकन किया गया। मान्यवर, यहां यह कह देना समीचीन होगा, जैसा कि विधायक जी ने कहा, कतिपय उदाहरण देते हुए उन्होंने उल्लेख किया कि कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। हमने इस संबंध में दिशा–निर्देश समय–समय पर भारत सरकार से मांगे हैं, क्योंकि उत्तराखण्ड राज्य अखण्ड भारत के अंदर स्थापित एक राज्य है और जो संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों के माध्यम से ही संचालित होता है। लेकिन ऊधमसिंह नगर का अगर हम स्पेस्फिक जिक करें तो 1 अप्रैल, 2008 से 14 जुलाई, 2009 तक अनुसूचित जाति के 3816, अनुसूचित जनजाति के 4317 और अन्य पिछड़ा वर्ग के 7891, अर्थात् 16 हजार 24 जाति प्रमाण पत्र अभी तक निर्गत हो चुके हैं।

श्री अध्यक्ष–

किच्छा तहसील के बारे में बता दें।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, किच्छा तहसील की स्पेस्फिक जानकारी मैं एकत्र करके माननीय सदस्य को दे दूँगा। मान्यवर, जो ऊधमसिंह नगर की जानकारी मैंने मंगाई है उसके आधार पर यह प्रमाण–पत्र अभी निर्गत हुए हैं। जो विशेषकर आपने स्पेसिफिक स्थान का उल्लेख किया है, अगर इन नियमों के दायरे में होने के बावजूद भी वहाँ प्रमाण–पत्र निर्गत होने में कोई कठिनाई हो रही है तो इस संबंध में निर्देशित आज ही कर देंगे। लेकिन ऐसा कोई प्रकरण अभी संज्ञान में नहीं आया, जो यहाँ का निवासी है, चूँकि इसकी बड़ी विस्तृत व्याख्या समय–समय पर होती रही है। एक्शन कमेटी बनाम भारत सरकार का जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है उसके आधार पर ही वर्तमान में जाति प्रमाण–पत्र निर्गत किये जा रहे हैं।

श्री प्रेमानन्द महाजन–

मान्यवर, यह जो लोग हैं शायद इन लोगों के ऊपर जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है, शायद वह इनके ऊपर लागू नहीं होता। यह बात मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि ये अविभाजित उत्तर प्रदेश के ही लोग हैं। उत्तर प्रदेश की पुरानी लिस्ट में जिनका नाम है वह नौकरी करने आये थे, उस समय वह उत्तर प्रदेश में आये थे, अभी उत्तर प्रदेश के बाहर के लोग नहीं आये, ये वह लोग नहीं हैं जो बिहार से आकर बसे हैं या बंगाल से आकर बसे हैं या कर्नाटक से आकर बसे हैं। इसलिए अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि पंतनगर को स्पेशली देखने की जरूरत है, वह इसलिए है कि पंतनगर के अधिकांश लोग बाहर के लोग हैं। वह उस समय के उत्तर प्रदेश के लोग हैं, दूसरे स्टेटों के भी हैं, मैं उनके बारे में पैरवी नहीं करना चाहता, जितना मैं उत्तर प्रदेश के लोगों के बारे में पैरवी करना चाहता हूँ जो अविभाजित उत्तर प्रदेश के लोग हैं उनको स्पेशली देखें, उनको पहले भी मिलता रहा है और आज भी मिलना चाहिए, शायद यही न्याय है।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, माननीय सदस्य जो स्पेसिफिक उल्लेख कर रहे हैं, मैं उसका परीक्षण करवा लूँगा।

डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल–

मान्यवर, प्रेमानन्द महाजन जी ने अच्छा प्वाइंट किया है। पिछले विधान सभा में भी जब जाति प्रमाण पत्र पर बहस हुई थी उस समय भी मैंने यह मामला उठाया था कि

अविभाजित उत्तर प्रदेश के लोग विदिन द स्टेट इन्टर डिस्ट्रिक्ट माइग्रेशन हुआ उनको उत्तराखण्ड बनने के बाद जो उत्तराखण्ड में बस गये, पहले वह उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले के वासी थे, उनको यह ज्ञान नहीं था कि कल को उत्तराखण्ड का गठन होगा। उनको यह सहुलियत दी जानी चाहिए, संविधान का इसमें कोई उल्लंघन नहीं होगा। हम इस चीज को मानते हुए चलें कि इससे कोई उल्लंघन नहीं होगा। इससे बहुत लोग परेशान हैं। इससे बच्चों का एडमिशन नहीं हो पा रहा है, लोगों को इन्दिरा आवास नहीं मिल पा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष–

यह विषय अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और नवयुवकों के भविष्य से सीधे जुड़ा हुआ है, काउन्सिलिंग की तिथि निर्धारित होती है उसमें अगर कठिनाई उत्पन्न हो रही है तो इसे कृपया इस दृष्टि से देख लिया जाय। कोई लोग इसमें ढिलाई बरतते हैं और लापरवाही बरतते हैं उन अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही भी होनी चाहिए। काउन्सिलिंग के लिए एक तिथि निर्धारित होती है, अगर काउन्सिलिंग 24 तारीख को होनी है तो 24 तारीख से पहले वह प्रमाण–पत्र दाखिल होना है। जो स्पेसिफिक केसेस का प्रेमानन्द महाजन जी ने उल्लेख किया है उसका भी परीक्षण करवा लीजिए। अगर इस तरह के और भी कोई स्पेसिफिक केस आते हैं तो उसका भी परीक्षण करवा लें, उसमें ढिलाई नहीं होनी चाहिए।

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, इसके बारे में बकायदा शासनादेश जारी हुआ था, एक समय सीमा उसके लिए निर्धारित है, जाति प्रमाण–पत्र निर्गत करने के लिए जो स्पेसिफिक केसेस आपने दिये हैं उसका परीक्षण करवा लूँगा। (व्यवधान)

*श्री तिलक राज बेहड़–

माननीय अध्यक्ष जी, यह बहुत गम्भीर मामला है जाति प्रमाण–पत्र का, आज भी प्रवेश के समय, काउन्सिलिंग के समय लोग बाहर कर दिये जाते हैं, इसलिए कि प्रमाण–पत्र की बात आती है। तीन–चार दिन में वह बनवा नहीं सकता वह तहसील और कहाँ–कहाँ जायेगा। माननीय अध्यक्ष जी, यह बहुत गम्भीर मामला है चाहे इस पर चर्चा करवा ली जाय, सरकार के कहने के बावजूद भी इस पर आज तक अमल नहीं हुआ। (व्यवधान) सरकार कुछ लचीला रूख अपनाये, सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है।

श्री अध्यक्ष–

आप इस विषय पर सूचना दे दीजिए, कल ही इस पर चर्चा करवा लेंगे। माननीय श्री प्रेमानन्द महाजन, माननीय डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल जी को और माननीय श्री तिलक राज बेहड़ और माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी को सुनने के पश्चात् मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूँ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्रीमती अमृता रावत–

मानननीय अध्यक्ष जी, सर्वप्रथम मैं आपकी बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे नियम–58 के अन्तर्गत इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर प्रदान किया। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से इस सदन का ध्यान आकर्षित कराना चाहती हूँ कि प्रदेश में विधवा, विकलांग और वृद्धा पेंशन का भुगतान विगत कई महीनों से नहीं बल्कि लगभग दो वर्षों से नहीं किया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, आप सब जानते हैं कि हमारे पहाड़ों में जो निर्बल, असहाय वर्ग है उनके पास जीविका का कोई साधन नहीं है, उनके पास जीविकोपार्जन का मात्र यहीं पेंशन ही साधन है। माननीय अध्यक्ष जी, लोकसभा चुनाव में मुझे पौढ़ी जिला, रूद्रप्रयाग जिला, चमोली जिला, देवप्रयाग, नरेन्द्र नगर और रामनगर जिला जाने का मौका मिला और जब मेरे द्वारा इन क्षेत्रों का भ्रमण किया गया तथा जिन गाँवों में मैं पहुँची तो प्रत्येक गाँव में विधवा महिलायें, वृद्ध पुरूष, विकलांग पुरूष और महिलाओं द्वारा हमसे यही शिकायत विशेष तौर पर थी कि उन्हें एक साल डेढ़ साल और कहीं–कहीं दो साल से उक्त पेंशन नहीं दी जा रही है। विधवा, विकलांग और वृद्ध पेंशन न मिल पाने के कारण उनकी स्थिति बड़ी ही दयनीय हो गई है। उनका तथा परिवार का जीवन–यापन करना मुश्किल हो गया है और इन लोगों के परिवार भुखमरी के कगार पर पहुँच गये हैं और उनका जीना दूभर हो गया है। मानव जीवन की जो मूल–भूत आवश्यकतायें हैं जैसे यदि वे बीमार पड़ जायें तो उसके इलाज के लिए उनके पास धन नहीं है वे अपना साधारण इलाज भी कराने से वंचित हैं, उनके पास न ही पहनने के लिए कपड़े हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह अनुरोध करती हूँ कि उनकी पीड़ा को दृष्टिगत रखते हुए उनके पेंशन भुगतान की कार्यवाही शीघ्र की जाए और मेरा निवेदन है कि आज सदन की सम्पूर्ण कार्यवाही को रोककर इस अविलम्बनीय लोकमहत्व के प्रश्न पर चर्चा करवाई जाए।

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीया श्रीमती अमृता रावत जी द्वारा नियम–58 के अन्तर्गत अतिमहत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार रखे गये। मान्यवर, यह सभी माननीय सदस्यों के संज्ञान में होगा कि वर्तमान सरकार राज्य में रहने वाले अन्तिम व्यक्ति के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है और हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि विकास की मुख्य धारा पंक्ति के अन्तिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक पहुँचे। अन्तिम व्यक्ति जो विकास की मुख्य धारा से वंचित रह गया है और जो उसकी मूलभूत आवश्यकताएं है, उन्हें उपलब्ध कराई जायें। इसके लिए हमारी सरकार द्वारा गाँव–गाँव में जाकर एक अभियान के रूप में ऐसे सभी निर्बल वर्ग के अशक्त विधवाओं, विकलांग बन्धु बान्धवों को चिन्हित किया गया तथा उन सभी को पेंशन दिये जाने की प्रकिया प्रारम्भ की गई। अगर कोई व्यवधान इस काम में आता है तो उसे दूर करने के भरसक प्रयास सरकार द्वारा समय–समय पर किये जा रहे हैं। इसके लिए जनता दर्शन कार्यकम भी आयोजित किये गये। इन कार्यकमों के

माध्यम से ऐसे सभी आवेदनों को एकत्रित किया गया। गाँव में जो ग्राम पंचायत से जुड़े हुए अधिकारी हैं, उनको प्रत्येक गांव में जाकर निर्देशित किया गया कि गाँव में ऐसा कोई भी व्यक्ति न छूटे जो पात्रता की श्रेणी में आता हो। मैं सदन के संज्ञान में लाना चाहूँगा जैसा कि माननीय सदस्य ने अपने नोटिस में कहा है कि स्वीकृत पेंशन के नियमित भुगतान न होने के कारण इनके परिवारों का जीवन–यापन मुश्किल हो गया है।

मान्यवर, मैं अवगत कराना चाहता हूँ कि वित्तीय वर्ष 2008–09 में विधवा पेंशन योजना के लिए जो धनराशि रखी गयी थी 38 करोड़ 24 लाख 60 हजार थी, जिसके सापेक्ष विधवा पेंशन में 37 करोड़ 82 लाख 60 हजार व्यय किया गया अर्थात् जितनी धनराशि रखी गयी थी उतनी धनराशि व्यय की गयी। इसके माध्यम से 81 हजार 882 विधवा बहिनों को लाभ हुआ है। इसी प्रकार विकलांग पेंशन के लिए 18 करोड़ 79 लाख 74 हजार रूपये का प्राविधान आवंटन हेतु किया गया और व्यय धनराशि 18 करोड़ 31 लाख 43 हजार थी और 40 हजार 5 सौ 51 विकलांग लोगों को पेंशन प्राप्त हुई। इसी तरह से वृद्धावस्था पेंशन के लिए 81 करोड़ 27 लाख रूपया आवंटित किया गया था और 80 करोड़ 11 लाख 21 हजार रूपये से 2 लाख 15 हजार 4 सौ 71 वृद्धावस्था के लाभार्थी लाभान्वित हुए। वर्ष 2009–10 के इन प्रथम त्रैमास में विधवा पेंशन के लिए 10 करोड़ 36 लाख 69 हजार रूपया रखा गया जिसके सापेक्ष आज तक 8 करोड़ 67 लाख 97 हजार रूपया अवमुक्त हो चुका है और इससे 65 हजार 3 सौ 47 लाभार्थियों को लाभ मिला। विकलांग पेंशन के लिए 06 करोड़ 20 लाख रूपया रखा गया जिसके सापेक्ष आज तक 4 करोड़ 95 लाख 56 हजार रूपया अवमुक्त हुआ है और इससे 36 हजार 8 सौ 59 लाभार्थियों को लाभ मिला। वृद्धावस्था पेंशन के लिए 27 करोड़ 86 लाख 32 रूपया रखा गया जिसके सापेक्ष आज तक 21 करोड़ 57 लाख 93 हजार रूपया अवमुक्त हुआ है और इससे 1 लाख 66 हजार 1 सौ 76 लाभार्थियों को लाभ मिला और शेष जो लाभार्थी हैं उनके आवेदन पत्र चयनित हो चुके हैं और जो पात्र इस सीमा के अन्तर्गत हैं उनके पेंशन अवमुक्त की प्रकिया चल रही है। यहां एक बात बता देना उचित होगा कि हमारी सरकार ने जो लक्ष्य लिया है कि कोई भी पात्र अभ्यर्थी न छूटे, सभी पात्र अभ्यर्थियों को उन लाभ की श्रेणी में लाया जा सके। अगर माननीय सदस्यगण अपना इस पुनीत कार्य में योगदान कर सकें और जो जरूरत मन्द पात्र हैं उनको सहायता मिले तो सरकार हर सम्भव प्रयास करेगी। हम किसी भी तरह अन्तिम व्यक्ति तक यह सहायता पहुंचाएं। अगर माननीय सदस्य के संज्ञान में ऐसा कोई प्रकरण हो जिसके माध्यम से लाभार्थी को इस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है तो कृपा पूर्वक इस संबंध में अवगत कराने की कृपा कर दें। ताकि उस पर हम प्रभावी कार्यवाही कर सकें। बहुत–बहुत धन्यवाद। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य ने यह कहा है कि स्वीकृत जो पेंशन है वह भी लाभार्थियों को प्राप्त नहीं हो पा रही है। (व्यवधान)

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, प्राप्त नहीं होने के दो कारण हो सकते हैं या तो उसका आवेदन पत्र निरस्त हुआ हो या फिर धनराशि न हो। (व्यवधान)

श्रीमती अमृता रावत–

मान्यवर, उन्हें यह धनराशि मिल रही थी, विगत दो वर्षों से यह धनराशि नहीं मिल पा रही है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी, आपने यानी सरकार ने और विभाग ने यहां से निर्गत कर दिया, लेकिन यह धनराशि लाभार्थी तक पहुंची या नहीं पहुंची यह सुनिश्चित किया जाय और माननीय सदस्य की यह पीड़ा है कि लाभार्थियों तक नहीं पहुंच रही है। इसको उचित तरीके से देखा जाय। (व्यवधान) आपने तो निर्गत कर दिया, लेकिन लाभार्थी तक नहीं पहुंच पा रही है। हो सकता है वह पोस्ट ऑफिस जाकर रूक गयी हो (व्यवधान) और उन्होंने आगे तक नहीं भेजा।(व्यवधान के मध्य)

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं इसको दिखवा लूंगा।(व्यवधान)

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, पहले क्या होता था कि जो वृद्ध है, असहाय है, अपंग है उसके घर तक पेंशन पहुँचायी जाती थी अब उसमें नई परिपाटी यह कर दी गयी है कि आप पहले बैंक में खाता खोलिये तब आपको पेंशन मिलेगी। अब यह हो गया है कि इन लोगों के डाकघर में एकाउन्ट में पेंशन आयेगी। जो अपंग है, जो वृद्ध है, 80 साल का है, यह बताइये वह बैंक तक कैसे जायेगा ?

श्री अध्यक्ष–

मैं माननीय सदस्या श्रीमती अमृता रावत एवं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुनने के पश्चात इस सूचना को अग्राह्य करता हूँ।

श्री यशपाल बेनाम–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे नियम–58 के तहत बोलने का अवसर दिया, धन्यवाद। महोदय, यह सर्वविदित है कि उत्तराखण्ड राज्य प्राप्ति में युवाओं की भागीदारी रही है और यह राज्य प्राप्ति का आंदोलन लड़ा ही इसलिए गया था कि युवाओं को रोजगार के साधन उपलब्ध कराये जा सकें। लेकिन आज दुर्भाग्य है कि राज्य प्राप्ति आंदोलन में भूमिका निभाने वाले युवाओं को अपने रोजगार के लिए आंदोलन करना पड़ रहा है। अभी नेता प्रतिपक्ष जी ने भी इस बात को उठाया था कि बी0एड0, बी0पी0एड0 और एल0टी0 प्रशिक्षित बेरोजगारों के लिए विशिष्ट बी0टी0सी0 की विज्ञप्ति जारी न होने

के कारण तमाम मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मैं आपसे सिर्फ इतना निवेदन करना चाहता हूँ महोदय, कि इस विज्ञप्ति के न निकलने के कारण जो कला संकाय के प्रशिक्षणार्थी हैं 1995 के बाद और विज्ञान संकाय के प्रशिक्षणार्थियों को 2005 के बाद आज तक विशिष्ट बी0टी0सी करने का मौका नहीं मिला और यह गौर करने वाली बात है कि 1995 और 2005 में लगभग 13–14 साल का अंतर है। जहाँ विज्ञान संकाय के अभ्यर्थियों को विशिष्ट बी0टी0सी0 करने का मौका मिल रहा है वहाँ 13 साल का अंतराल रखा गया है। मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि आपसी समन्वय को बनाते हुए इस गैप को भरने का पूरा प्रयास किया जायेगा क्योंकि इसमें इन अभ्यर्थियों की आयु सीमा भी अंतिम कगार पर पहुँच गयी है। मुझे उम्मीद है कि इस संबंध में माननीय मंत्री जी निश्चित प्रयास करेंगे।

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट–

मान्यवर, उल्लेखनीय है कि प्राथमिक विद्यालयों में उत्तराखण्ड राज्य में अध्यापकों के 20 हजार 676 पद हैं। जिसके सापेक्ष 15 हजार 675 सहायक अध्यापक कार्यरत हैं।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी, यह विषय सुबह आ चुका है लेकिन कृपया माननीय सदस्य की जिज्ञासा को संक्षिप्त में बता दें। माननीय यशपाल बेनाम और माननीय मंत्री जी को सुनने के पश्चात मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूँ। नियम–310 के अन्तर्गत एक सूचना 11.50 पर प्राप्त हुई थी जो प्रेमानन्द महाजन, श्री हरिदास जी, हाजी तस्लीम अहमद जी, श्री सुरेन्द्र राकेश, श्री शहजाद जी की सूचना है, हरिद्वार से संबंधित है और सूचना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। मैं इसे ग्राह्यता पर सुन रहा हूँ।

श्री शहजाद–

माननीय अध्यक्ष जी, सबसे पहले तो मैं आपका आभारी हूँ कि इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर मुझे सुनने का अवसर दिया। माननीय अध्यक्ष जी, हरिद्वार जनपद बहुत ही शांतिप्रिय जनपद है। लेकिन कई बार एक साल के अंदर असामाजिक तत्व, गुण्डे या षड़यंत्र के तहत कह लीजिए हरिद्वार में कई मजारों को तोड़ा गया। एक शिवालिक नगर थोड़े ही है जो आज है इसमें पहले भी एक साल पहले हम सदन में लाये थे। मान्यवर, मुसलमान अपने धर्म स्थल को बनाने के लिए परमीशन लेता है कि मुझे मस्जिद बनाने के लिए परमीशन दी जाए तो उसमें मस्जिद बनाने के लिए परमीशन नहीं दी जाती है।

मान्यवर, यहाँ तक कि वे अपने घर में एक मकान में भी नमाज पढ़ते हैं, वहाँ भी उन्हें नवाज पढ़ने नहीं दिया जाता है, जब चाहते हैं आग लगा देते हैं। 11 तारीख की घटना है लगभग 3.30 बजे 20–25 गुण्डे आकर उस जगह गये जहाँ शिवालिक नगर के 50–60 मुस्लिम परिवार रहते हैं, जो अपनी नमाज अदा उस मकान में करते हैं,

शिवालिक नगर में मकान है। उसमें धार्मिक ग्रन्थ को आग के हवाले किया गया और अपवित्र करने का काम किया गया। कुछ दिन पहले मंशा देवी मंदिर के नीचे एक मजार है उसको तोड़ा गया, रविदास मंदिर हर की पैड़ी के ऊपर है उसमें तोड़–फोड़ की गई, हर जगह हर बार वही असामाजिक तत्व हैं, पूरी तरह हरिद्वार को साम्प्रदायिक दंगे में झोंकने का काम करना चाहते हैं और इतना ही नहीं इस घटना से पूरी रात पूरा हरिद्वार जिला आक्रोश में रहा, कई जगह प्रदर्शन हुये, कई जगह तोड़–फोड़ हुई, कई जगह मारपीट हुई और पुलिस को भी लाठीचार्ज स्वयं करना पड़ा। वो लोग कौन हैं जो इस दंगे को कराकर हरिद्वार जनपद को आग में धकेलना चाहते हैं, साम्प्रदायिक दंगे कराना चाहते हैं ? मान्यवर, मैं यह भी जानना चाहता हूँ अगर मस्जिद बनाने के लिए परमीशन नहीं मिलेगी, लोग नमाज तो पढ़ेंगे ही। अपनी धार्मिक भावनायें और अपने धर्म को मानने के लिए अपनी आस्था तो करेंगे, अगर उस पर भी प्रतिबन्ध होगा तो यहाँ के लोग कहाँ जायेंगे, यहाँ कई धर्म के लोग रहते हैं। मान्यवर, शिवालिक नगर में आप गणना करें तो 100 मंदिर होंगे जो बिना परमीशन के निर्माण किये गये हैं, रानीपुर थाने में मंदिर का निर्माण हुआ जिसका परमीशन नहीं है, रोशनाबाद जिला मुख्यालय में मंदिर का निर्माण हुआ उसका कोई परमीशन नहीं है और एक सौ कुछ मंदिर हैं जिनका परमीशन नहीं है और मुसलमानों को ही क्यों परमीशन के लिए बाध्य किया जाता है, उसी के ही धर्म स्थल पर क्यों तोड़ फोड़ की जाती है। मान्यवर, कभी भी हरिद्वार में साम्प्रदायिक दंगे हो सकते हैं। मैं सदन की समस्त कार्यवाही स्थगित करते हुये इस पर चर्चा कराये जाने की मांग करता हूँ।

श्री सुरेन्द्र राकेश–

मानवीय अध्यक्ष जी, माननीय नेता दल बसपा ने एक ऐसा विषय माननीय सदन के सम्मुख रखा, पिछले वर्षो में भी ऐसी घटनायें हरिद्वार में होती रही हैं, मैं अपने आप को माननीय नेता बसपा दल माननीय श्री शहजाद जी से सम्बद्ध करते हुये आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि इस हिन्दुस्तान में चाहे किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, चाहे हिन्दु हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे इसाई हो, सबको बराबर का हक है। जब हमें संविधान में बराबर का हक दिया गया है, हम अपने धार्मिक आस्था को व्यक्त करने के लिए उसमें आस्था रखते हुये पूजा भी करते हैं, गुरूद्वारे में जाकर वहाँ भी माथा टेकते हैं और मस्जिद में जाकर वहाँ नमाज पढ़ते हैं, लेकिन जब किसी स्थान पर मस्जिद बनाने की अनुमति नहीं दी जाती है, बार–बार अनुमति मांगने के बाद भी प्रशासन वहाँके लोगों को बहला फुसला कर बैठा देता है तो वहाँ के लोग इकट्ठा होकर एक मकान में नमाज अदा करते हैं, जो उनका मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार के तहत वो नमाज अदा करते हैं, लेकिन कुछ हरिद्वार के असामाजिक तत्व जिन्हें राजनीतिक संरक्षण

प्राप्त हैं मान्यवर, बार–बार ऐसी घटनाएं करते हैं, जिससे कि हरिद्वार का माहौल अशांत हो जाय। यह 11 तारीख को तीन बजे की घटना है। कुछ असामाजिक तत्व इकट्ठा होकर जहां पर नमाज अदा की जा रही थी उन लोगों के साथ मारपीट करते हैं और उस जगह पर आग लगाकर फूंक देते हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि चार दिन बीतने के बाद भी प्रशासन ने उन लोगों को गिरफ्तार नहीं किया है, जिन लोगों ने हरिद्वार क्षेत्र को साम्प्रदायिकता में झोंकने का कार्य किया है। मान्यवर, इसमें एक ऐसी जांच होनी चाहिए कि उन गुण्डे को किसका संरक्षण प्राप्त है? हरिद्वार में कौन ऐसा व्यक्ति है जो ऐसे लोगों को सरंक्षण दे रहा है जो हरिद्वार की फिजा को बिगाड़ना चाहते हैं ? यह गंम्भीर विषय है और इसकी गम्भीरता को देखते हुए सरकार को निश्चित रूप से इस पर निर्णय लेना चाहिए और उन लोगों के खिलाफ जिन लोगों ने धार्मिक ग्रन्थ को फूंका है और धार्मिक आस्था व्यक्त करते हुए लोगों को पीटा है, उन लोगों को तत्काल गिरफ्तार कर दिया जाय और कौन लोग इनको संरक्षण दे रहे हैं इसकी भी इसमें जांच होनी चाहिए। मैं सदन के माध्यम से इस अति लोक महत्व के विषय पर सदन की सारी कार्यवाही रोक कर चर्चा की मांग करता हूँ।

श्री हरिदास–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं अपने आपको भाई शहजाद जी से, भाई सुरेन्द्र राकेश जी से और अपनी पार्टी के सभी माननीय सदस्यों से सम्बद्ध करते हुए कहना चाहता हूँ कि 11 तारीख को जो यह निंदनीय घटना हुई है। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र राकेश–

माननीय अध्यक्ष जी, बड़े खेद का विषय है कि माननीय मंत्री जी धमका रहे हैं कि अभी तो उनका इलाज हुआ है अब आपका भी इलाज किया जायेगा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मैं आपके चेहरे की मुस्कराहट से महसूस कर रहा हूँ कि कैसी धमकी दे रहे हैं। (व्यवधान)

श्री हरिदास–

मान्यवर, हरिद्वार में हिन्दू रहते हैं, मुस्लिम रहते हैं, सरदार रहते हैं। सभी लोग रहते हैं, सभी अपनी–अपनी आस्थाओं को मानते हैं। हम भगवान का नाम लेते हैं तो ये अल्लाह का नाम लेते हैं। हम भी अपने घर में नाम लेते हैं, ये सब भी अपने घर में नाम ले रहे हैं तो फिर इसमें क्या आपत्ति है ? माननीय अध्यक्ष जी, मुसलमान तो जब भी नमाज का वक्त होगा तो बिना किसी छत के किसी कोने में ही नमाज अदा कर देता है। क्या इनको अपने घर में भी प्रतिबंधित कर दिया गया है ? यह सोचने का विषय है कि कैसे इस प्रदेश में, जो सभी लोगों का प्रदेश है। यह कार्य हो रहा है। मान्यवर, जो लोग ऐसे लोगों को संरक्षण दे रहे हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ तुरन्त कार्यवाही करके जेल

में बन्द कर देना चाहिए और जो संरक्षण दे रहे हैं उनको भी प्रताड़ित करना चाहिए। मेरी मांग है कि सरकार अपनी सदाशयता का परिचय देगी और इस पर तुरन्त प्रभावी कार्यवाही करेगी।

*हाजी तस्लीम अहमद–

माननीय अध्यक्ष जी, यह बड़ी शर्म की बात है कि ऐसी घटना होना हमारे प्रदेश के जनपद हरिद्वार में साम्प्रदायिकता के माहौल को बनाना। (व्यवधान) मान्यवर, उस स्थल पर पहले भी एक वाकया हुआ है। मान्यवर, सच्चाई तो यह है कि यह बड़ी समझदारी की बात है कि ऐसे माहौल में एक माहौल को बिगड़ने से बचाया गया, वर्ना उसी रात को पूरे जिले में एक बहुत बड़ी गलत हवा बही है और ऐसे मौके पर जबकि हमारे हरिद्वार में आज कांवड़ मेला है और बहुत भारी तादाद में प्रशासन भी उधर है तो ऐसे माहौल में ऐसे समय पर एक ऐसी फिजा को बिगाड़ना और ऐसी साम्प्रदायिकता को इस समय में उठाना मेरे ख्याल में हम सबके लिए यह खतरा है। मान्यवर, हिन्दू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो या कोई भी धर्म को मानने वाला हो। हमारे देश में सभी को बराबर का हक है। वे जहां भी हैं धर्मस्थल बनायें, वहां पर अपनी पूजा–पाठ, इबादत करें। अगर कहीं धर्मस्थल नहीं है तो हमारे इस प्रदेश के अन्दर भी ऐसे बहुत गांव हैं जहां मस्जिदें नहीं हैं और वहां पर मुस्लिम आबादी है तो वहां पर वे इकट्ठा होकर कहीं पर अपनी इबादत करेंगे, अपनी नमाज पढ़ेंगे और मान्यवर, दूसरे लोग भी इसी तरह से, जिनका कहीं धर्म स्थल नहीं है, तो वह भी अपनी पूजा पाठ करेंगे। तो मान्यवर, ऐसे माहौल क्यों बिगाड़ा जाय, ऐसी नफरत की आग क्यों फैलाई जाय, जिससे तनाव हो और यहां का माहौल बिगड़े। मान्यवर, मेरी आपसे गुजारिश है कि आज इस प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए, इसकी जांच करायी जाय और जो दोषी पाये जायं, उनके खिलाफ कठोर कार्यवाही की जाय। ताकि आईन्दा भी कोई ऐसा कदम न उठाये। मेरा आपसे यह अनुरोध है।

कुँवर प्रणव सिंह "चैम्पियन":–

मान्यवर, इस विषय पर मैं भी दो शब्द कहना चाहता हूँ। (व्यवधान)

श्री अध्यक्षः–

चर्चा नहीं हो रही है। (व्यवधान)

श्री यशपाल बेनामः–

मान्यवर, जो माहौल चल रहा है, इस पर मैं दो लाईन कहना चाहता हूँ। (व्यवधान)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष–

इस सूचना में आपका नाम नहीं है। माननीय यशपाल बेनाम जी, आप बैठ जाएं। माननीय यशपाल जी जो कुछ बोलेंगे, वह अंकित नहीं होगा, यह रिकॉर्ड में नहीं आएगा। (व्यवधान)

श्री प्रेमानन्द महाजन–

माननीय अध्यक्ष जी, सूचना में मेरा तो नाम है। (व्यवधान)

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, नेता बसपा तथा बहुजन समाज पार्टी के अन्य माननीय सदस्यों द्वारा आज नियम–310 के तहत जिस सूचना के माध्यम से सदन का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया गया, जैसा कि सूचना की ग्राह्यता पर बोलते हुए माननीय सदस्यगणों ने भी अवगत कराया कि यह घटना 11 जुलाई 2009 की है। दिन के वक्त कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा एक मकान में आग लगाने का प्रयास किया गया। श्रीमन्, यह ज्ञात हुआ है कि श्री महाफूज अहमद द्वारा वर्ष 2001 में शिवालिक नगर, हरिद्वार में एक प्लॉट क्रय कर इस पर भवन निर्माण किया गया था। इसके सम्बन्ध में वादी मौ0 लुकमान द्वारा मु0अ0सं0 250/09 धारा 436/295 भा0द0वि0 बनाम अज्ञात शरारती असामाजिक तत्वों के विरूद्ध थाना रानीपुर, हरिद्वार में पंजीकृत कराया गया और इस घटना के सम्बन्ध में तत्काल थाना रानीपुर, हरिद्वार में प्रथम सूचना दर्ज कर ली गयी। लेकिन इसके बाद जो घटनाक्रम घटित हुआ, वह अत्यन्त चिन्ताजनक है लेकिन स्थानीय जनप्रतिनिधियों के माध्यम से विवेकपूर्ण निर्णय लेने के कारण, जैसा कि अभी माननीय हाजी साहब ने बताया, एक बड़ी घटना अंजाम होने से रूक गयी। श्रीमन्, 11 जुलाई की रात्रि को ही लगभग 600–700 लोगों की भीड़ ने घटना के विरोध में प्रदर्शन किया, जिसे मौके पर उपस्थित अधिकारियों द्वारा समझा–बुझा कर शांत कर दिया गया। पुनः रात में ही एक समुदाय विशेष के लोगों द्वारा थाना रानीपुर व ज्वालापुर में एकत्रित होकर विरोध प्रदर्शन किया गया। इसी दौरान थाना ज्वालापुर के सामने लगभग 150–200 प्रदर्शनकारी अचानक उत्तेजित होकर नारेबाजी करते हुए उक्त आगजनी की घटना को लेकर रोष प्रकट करने लगे। भीड़ द्वारा थाना ज्वालापुर के सामने रोड जाम कर आने–जाने वाले लोगों एवं कांवड़ियों को बाधा पहुँचाई गयी। पुलिस तथा प्रशासनिक अधिकारियों व स्थानीय जनप्रतिनिधियों द्वारा प्रदर्शनकारियों को काफी समझाया गया किन्तु उनमें से 20–25 लोगों द्वारा उत्तेजित होकर थाना ज्वालापुर पर पथराव कर सरकारी वाहनों तथा थाना प्रांगण में खड़े पुलिस कर्मचारियों के निजी वाहनों को क्षतिग्रस्त किया गया। इस सम्बन्ध में थाना ज्वालापुर में दिनांक 12.07.2009 को मु0अ0सं0 232/09 धारा 147/148/341/506 भा0द0वि0 एवं धारा 3 लोक सम्पत्ति निवारण अधिनियम का अभियोग 20–25 अज्ञात व्यक्तियों के विरूद्ध पंजीकृत किया गया। उग्र भीड़ द्वारा पुनः थाना रानीपुर के सामने पायल सिनेमा चौराहे पर फायर सर्विस के

टैंकर को पथराव कर क्षतिग्रस्त किया गया, जिसमें चालक की आंख पर भी चोट आयी। इस संबंध में थाना रानीपुर में मुकदमा अपराध संख्या–252/2009 धारा 147, 148, 149, 332, 353, 336, 341, 427 भादवि व 3/4 प0पी0डी0 एक्ट तथा 7 क्रिमिनल लॉ एमेन्डमेंट एक्ट, बनाम 300–400 अज्ञात प्रदर्शनकारी पंजीकृत किया गया। थाना रानीपुर क्षेत्र की एक दुकान एवं भवन में प्रदर्शनकारियों द्वारा शिवसेना कार्यालय में आगजनी तथा एक अन्य स्थानीय नागरिक के मकान में पथराव कर घर के शीशे तोड़े गये। इस घटना के संबंध में डा0 तेजपाल सिंह पंवार द्वारा थाना रानीपुर पर मुकदमा अपराध संख्या 253/2009 धारा 147,148 149, 427, 436, 457 भादवि बनाम लगभग 150 अज्ञात प्रदर्शनकारी पंजीकृत कराया गया। घटना की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुये भारी मात्रा में पुलिस बल एवं आर0ए0एफ0 को नियुक्त कर कानून व्यवस्था की स्थिति नियंत्रण में की गयी। वर्तमान में वरिष्ठ प्रशासनिक/पुलिस अधिकारियों द्वारा लगातार क्षेत्र में भ्रमण कर स्थिति पर कड़ी दृष्टि रखी जा रही है। कानून व्यवस्था की स्थिति नियंत्रण में है।

श्रीमन्, इस सम्पूर्ण घटनाक्रम में स्थानीय प्रशासन ने बहुत तत्परता से कार्य किया, स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने संवेदनशीलता और विवेक का परिचय देते हुये एक अप्रिय घटना को होने से रोका है। इस प्रकरण पर सरकार पूरी तरह से गंभीर है, यह विषय नियम–310 की परिधि में नहीं आता, इसलिये इस सूचना को अग्राह्य करने का निवेदन है।

श्री शहजाद–

माननीय अध्यक्ष जी, अगर यह प्रश्न भी नियम–310 का नहीं बनता तो कौन सा प्रश्न बनेगा, आपने अभी बताया कि 6 मुकदमे दर्ज हुये हैं। इस आग में पूरा जिला जलने के लिये तैयार है, अगर नियम–310 के अन्तर्गत यह प्रश्न नहीं आता तो मैं समझता हूँ कि और कोइ प्रश्न उस नियम के तहत नहीं आ सकता है।

श्री अध्यक्ष–

इसकी ग्राह्यता पर तो आप लोगों को मैंने सुन लिया है।

(बहुजन समाज पार्टी के चौ0 यशवीर सिंह को छोड़कर शेष माननीय सदस्य 'वेल' में आ गये और अपनी–अपनी बात कहने लगे, जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य श्री शहजाद, श्री सुरेन्द्र राकेश, श्री हरिदास, हाजी तस्लीम अहमद और संसदीय कार्य मंत्री जी को सुनने के पश्चात् मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूँ।

(माननीय सदस्य चौ0 यशवीर सिंह के अपने स्थान पर खड़े होकर कुछ कहे जाने पर सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा मेजें थपथपाई गई।)

श्री अध्यक्ष–

कृपया, आसन ग्रहण करें।

श्री अध्यक्ष–

जब तक माननीय सदस्य अपने स्थान पर नहीं चले जाते, उनकी किसी भी बात का संज्ञान नहीं लिया जायेगा।

("वेल" में खड़े माननीय सदस्यगण पूर्ववत् अपनी–अपनी बात कहते रहे।)

श्री अध्यक्ष–

कृपया, आसन ग्रहण करें।

("वेल" में खड़े माननीय सदस्यगण पूर्ववत् अपनी–अपनी बात कहते रहे।)

श्री अध्यक्ष–

माननीय शहजाद जी, कृपया आसन ग्रहण करें, आपकी नियम–310 की सूचना को मैंने ग्राह्यता पर सुना है।

("वेल" में खड़े माननीय सदस्यगण पूर्ववत् अपनी–अपनी बात कहते रहे।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करिए। किसी भी माननीय सदस्य की बात का संज्ञान नहीं लिया जायेगा जब तक माननीय सदस्य अपने स्थान पर नहीं चले जाते।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, घटना के मुकदमे कायम हो चुके हैं, घटना की विवेचना चल रही है, विवेचना के बाद ही कार्यवाही होगी। अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज है। तो गिरफ्तार किसको किया जायेगा ? नामजद मुकदमा होता तो गिरफ्तार करने वाली बात होती। अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा है, बिना विवेचना किये किसको गिरफ्तार करें? अगर नामजद लोगों के खिलाफ मुकदमा होता तो 'गिरफ्तार क्यों नहीं किया' कहते आप।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, माननीय चौधरी जी से पूछ लिया जाय।

(घोर व्यवधान के मध्य)

चौ0 यशवीर सिंह–

मान्यवर, कोई माहौल खराब नहीं है हरिद्वार का और अगर खराब है तो प्रशासन उसे ठीक करेगा।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, जबरदस्ती किसी स्थान को धार्मिक स्थल बनाया जाना वो भी उस क्षेत्र में जहाँ केवल दस घर हैं, उसके बाद एक किलोमीटर दूर धार्मिक स्थल है, वहां नही जा सकते। एक किलोमीटर में पाँच धार्मिक स्थल हैं।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, नियम–310 में माननीय सदस्यों ने सूचना दी और ग्राह्यता पर सुनने के लिए आपसे अनुरोध किया और आपने ग्राह्यता पर सुना। अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमे कायम हैं, अभी तीन दिन हुए हैं, विवेचना चल रही है। जब तक उनके नाम नहीं खुलेंगे तब तक किसको गिरफ्तार करें, या तो नामजद मुकदमा हो। (व्यवधान) गिरफ्तार किसको करें, ऐसे लोग जिन्होंने सरकारी सम्पत्ति का नुकसान किया है, उनको गिरफ्तार करें, किसको गिरफ्तार करें। वर्तमान में कोई स्थिति गम्भीर नहीं है, सारी स्थिति नियंत्रण में हैं, भाईचारा कायम है।

(बहुजन समाज पार्टी के माननीय सदस्य चौधरी यशवीर सिंह को छोड़कर सभी माननीय सदस्य "वेल" में खड़े होकर पूर्ववत् अपनी बात को उठाते रहे जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, सारी स्थिति नियंत्रण में है, वहाँ पर भाई चारा कायम है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय शहजाद जी, कृपया स्थान ग्रहण करें। (घोर व्यवधान)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री ओम गोपाल–

माननीय अध्यक्ष जी, इतिहास गवाह है आज तक उत्तराखण्ड में कोई साम्प्रदायिक दंगे नहीं हुए हैं। यहाँ पर धार्मिक भावनाओं को भड़काने का काम किया जा रहा है। (घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें।

(घोर व्यवधान के मध्य)

(बहुजन समाज पार्टी के माननीय सदस्य श्री हरिदास, श्री सुरेन्द्र राकेश, श्री तस्लीम अहमद, श्री प्रेमानन्द महाजन और माननीय सदस्य श्री शहजाद पूर्ववत् 'वेल' पर अपनी बात को जोर–जोर से कहते रहे जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, कृपया सहायोग करें। कृपया अपने मित्रों को समझायें। (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, वे आपके निवेदन को ज्यादा महत्व देते हैं।

(घोर व्यवधान)

श्री मदन कौशिक–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य माहौल खराब कर रहे हैं।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

माननीय शहजाद जी, आपका विषय बड़े विस्तार से आ चुका है। मैंने सभी माननीय सदस्यों को बोलने का मौका दिया। सारी बातें आ गई हैं। कृपया स्थान ग्रहण करें।

(घोर व्यवधान)

चौ॰ यशवीर सिंह–

मान्यवर, प्रशासन ठीक काम कर रहा है। माननीय सदस्य सदन को अव्यवस्थित कर रहे है। (सत्ता पक्ष के सदस्यों द्वारा मेजों की थपथपाहट)

('वेल' पर खड़े माननीय सदस्य श्री सुरेन्द्र राकेश द्वारा यह कहना कि क्या चौधरी यशवीर सिंह तय करेंगे कि प्रशासन ठीक काम कर रहा है ? न ही उन्हें यह अधिकार है और न ही सदन को व्यवस्थित करने का अधिकार है।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

न ही आप तय करेंगे। कृपया स्थान ग्रहण करें। मेरा सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि कृपया आपस में बात मत करें। जो भी बोलना हो अनुमति लेकर बोलें। किसी भी माननीय सदस्य की बात का संज्ञान न लिया जाए।

(माननीय सदस्य श्री हरिदास, श्री सुरेन्द्र राकेश, श्री तस्लीम अहमद, श्री प्रेमानन्द महाजन और माननीय सदस्य श्री शहजाद अपनी बात को जोर–जोर से कहने लगे और 'वेल' में बैठ गये।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

माननीय तिलक राज बेहड़ जी, कृपया आप थोड़ा इन्हें समझायें। क्यों कि आपके सम्बन्ध माननीय सदस्यों से बहुत अच्छे है। (हँसी)

(घोर व्यवधान)

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, हरिद्वार के माननीय मंत्री जी ही इन्हें समझा सकते हैं, वे इनसे यदि कहेंगे कि उठ जाओ तो माननीय सदस्य उठ जायेंगे।

(घोर व्यवधान)

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, माननीय सदस्य वहाँ के लोगों से लोकसभा का बदला ले रहे है।(हँसी)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी, कृपया स्थान ग्रहण करें।

("वेल" में बैठे सदस्य जोर–जोर से नारे लगाने लगे जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया)

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से नम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि जो बहुजन समाज पार्टी के हमारे सदस्यों ने इस सदन के सम्मुख महत्वपूर्ण विषय रखा है वह बहुत ही गम्भीर है और बहुत ही चिन्तनीय है। मान्यवर, निश्चित रूप से जिस दिन यह घटना घटित हुई और हरिद्वार के हमारे कार्यकर्ताओं ने भी मुझे दूरभाष से अवगत कराया था। उस दिन हरिद्वार में एक ऐसा तनाव पूर्ण वातावरण बन गया था। (घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

अब मैं सदन की कार्यवाही अपराह्न 4:30 बजे तक के लिए स्थगित करता हूँ।

मार्शल विधानसभा–

माननीय अध्यक्ष जी ने सदन का स्थगन 4.45 बजे तक के लिए बढ़ा दिया है।

(सदन की कार्यवाही 4 बजकर 45 मिनट पर श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई)

माननीय सदस्य चौ0 यशवीर सिंह को छोड़कर बहुजन समाज पार्टी के कई माननीय सदस्य 'वेल' में बैठकर अपनी बात कहते रहे।)

श्री अध्यक्ष–

माननीय शहजाद जी, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

(तत्पश्चात् माननीय सदस्य श्री शहजाद जी अपने स्थान पर चले गये।)

श्री शहजाद–

मान्यवर, मैं समझता हूँ कि इससे इम्पोर्टेन्ट मुद्दा कोई नहीं हो सकता है। मेरा सिर्फ इतना मतलब है कि जो दोषी है उसको सजा मिले, लेकिन यह सुनियोजित दंगा कराने का प्लान है। अगर इसकी समुचित जाँच उच्च स्तर पर नहीं होती तो मैं समझता हूँ कि एक न एक दिन कोई सिरफिरा हरिद्वार जनपद को साम्प्रदायिक दंगे में झोंक सकता है। आज इसकी जाँच होना बहुत ही आवश्यक है। इसे कोई किसी भी तरीके से अपनी बात को ले सकता है, कोई पक्ष विपक्ष का कह सकता है, मुझे इससे कोई आपत्ति

नहीं। जिसकी जो भावना है, जो अन्दर है वे अपनी बात कहें, लेकिन मेरा मतलब सिर्फ हरिद्वार को बचाने से है। यदि हरिद्वार को साम्प्रदायिक आग से बचाना है तो इस प्रकरण की उच्च स्तरीय जाँच आज जरूरी है। अगर इसकी उच्च स्तरीय जाँच नहीं होती, किसी भी प्रेशर में आज इस मुद्दे का हल नहीं निकाला जाता है, तो मैं समझता हूँ माननीय अध्यक्ष जी, कि इस प्रदेश में खासतौर से हरिद्वार जनपद को उस आग में साम्प्रदायिक दंगे कर सिरफिरे लोग एक न एक दिन झोंकने का काम करेंगे। इसलिए इस पर आज चर्चा होनी जरूरी है और मैं कहता हूँ कि जो लोग बीच में टोक रहे हैं, बीच में बोलते हैं, तो उन्हें भी बात रखने का अधिकार मिला हुआ है, वे भी अपनी बात रखें। हम चाहते हैं कि माननीय आबकारी मंत्री जी बोलें, चर्चा हो तो सभी लोग बोलें।(व्यवधान)

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, संविधान की रक्षा ऐसे करेंगे, ये कुमराड़ी काण्ड भूल गये, कुमराड़ी काण्ड में संविधान आड़े नहीं आया, जहाँ एक समुदाय को इन्होंने जुलूस निकालने से मना कर दिया, वहाँ धरना–प्रदर्शन पर बैठ गये। (व्यवधान)

श्री शहजाद–

मान्यवर, हम वहाँ भी जुलूस निकलवाने वाले लोगों के साथ थे, पर हमें रोका गया जुलूस निकालने से।

श्री अध्यक्ष–

कोई चर्चा नहीं होगी।

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय नेता बसपा द्वारा जो विषय रखा गया है उसके सम्बंध में चूँकि सरकार पूरी तरह से गम्भीर है और मैं माननीय नेता बसपा से अनुरोध करूँगा कि जो विवेचना वर्तमान में पुलिस के द्वारा की जा रही है अगर उस विवेचना पर आपको संदेह है तो विवेचना अधिकारी परिवर्तित करने की बात कर सकते हैं तो वह विवेचना अधिकारी हम परिवर्तित कर देंगे। लेकिन निष्पक्ष जाँच हो, निष्पक्ष उसके परिणाम सामने आयें और समाज को इस बात की जानकारी हो कि इस घटना की पुनरावृत्ति न हो, ऐसा प्रयास हम कर रहे हैं।

श्री शहजाद–

माननीय अध्यक्ष जी, ऐसा नहीं हो सकता है।

(माननीय सदस्य श्री शहजाद पुनः 'वेल' में आ गये।)

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, प्रदेश की सरकार पर विश्वास नहीं, पुलिस पर विश्वास नहीं, फोर्स पर विश्वास नहीं तो किस पर विश्वास है इनको ?

श्री अध्यक्ष–

माननीय शहजाद जी, कृपया स्थान ग्रहण करें।

(बहुजन समाज पार्टी के सदस्य माननीय श्री शहजाद, श्री सुरेन्द्र राकेश, श्री हरिदास, श्री तस्लीम अहमद 'वेल' में पूर्ववत् बैठे थे। श्री हरिदास जी द्वारा 'वेल' में कहा गया–'मान्यवर, इसमें निष्पक्ष मजिस्ट्रेट द्वारा जाँच की जाय'।)

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, माननीय सदस्यगण एक पक्ष की बात नहीं कर रहे हैं। ये निष्पक्षता की बात कर रहे हैं। मजिस्ट्रेटी जाँच में सरकार को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, पुलिस की विवेचना अभी चल रही है। या तो इस विवेचना में कोई निष्कर्ष निकला होता, इसमें अभी कोई निष्कर्ष तो निकला नहीं है। जब निष्कर्ष निकल जायेगा तो उसके बाद देखा जायेगा।(व्यवधान)

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, जिस तरह की घटनाएं होती हैं, लोगों को विश्वास जब पुलिस पर नहीं रहता। क्योंकि पुलिस तो एक पक्ष हो गया।(व्यवधान)

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, इसमें पुलिस का पक्ष नहीं है। पुलिस तो इसमें विवेचना कर रही है।(व्यवधान)

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, चूँकि मजिस्ट्रेट एक जिम्मेदार अधिकारी होता है और जिम्मेदार अधिकारी उसके हर पक्ष को देखता है। केवल पुलिसिया पक्ष को नहीं, केवल कानून व्यवस्था के प्रश्न को नहीं, जो इस तरह की जो घटनाएं होती हैं उसमें मनोवैज्ञानिक तथ्य भी होते हैं। इसमें केवल कानून व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। कल भविष्य में कोई सांप्रदायिक दंगा न भड़के इसको भी देखना है। (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूँ कि राज्य सरकार को इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। यह कोई बहुत बड़ी मांग नहीं हैं। ये भी यही चाह रहे हैं कि इसमें निष्पक्षता हो। (व्यवधान) कोई ये यह नहीं कह रहे हैं कि अमुक मजिस्ट्रेट से जाँच की जाय। सरकार जिससे जाँच कराना चाहे निष्पक्षता से कराये। (व्यवधान)

वित्तीय वर्ष 2009–2010 के आय–व्ययक पर चर्चा

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, वर्ष 2009–2010 के आय–व्ययक पर बोलें।

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि सदन व्यवस्थित नहीं है।

श्री अध्यक्ष–

आप आज शुरू करें। कल तक के लिए इसे जारी रखा जायेगा।

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, अभी चूंकि सदन व्यवस्थित नहीं है

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

इस मद को कल के लिए स्थगित किया जाता है। (चर्चा आगे के लिए स्थगित हुई)

नियम 53 के अन्तर्गत सूचनाएं.

श्री अध्यक्ष–

आज नियम–53 के अन्तर्गत श्री गोपाल सिंह रावत, श्री सुरेन्द्र राकेश तथा श्री नारायण पाल की कुल तीन सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। मैं इनमें से जनपद ऊधम सिंह नगर में मैसर्स वीडियोकोन इण्डस्ट्रीज लिमिटेड गंगापुर, काशीपुर को 4000 के0वी0ए0 विद्युत भार अवमुक्त करने की कार्यवाही में पावर कारपोरेशन को 85.22 लाख की क्षति करने पर जांच कराये जाने के सम्बन्ध में श्री गोपाल सिंह रावत की सूचना को नियम–53 के अन्तर्गत वक्तब्य के लिए तथा ऊधमसिंह नगर, नैनीताल, देहरादून, हरिद्वार में जट, सिख–जाट समुदाय को पिछड़ा वर्ग में शामिल किया गया है या नहीं, इस स्थिति को स्पष्ट किये जाने के सम्बन्ध में श्री नारायण पाल की सूचना को केवल वक्तब्य के लिए स्वीकार कर रहा हूँ। शेष सूचना अस्वीकार की गई।

राज्य के मान्यता प्राप्त विद्यालयों के पत्राचार बी.टी.सी शिक्षकों को राजकीय सेवाओं में समायोजित किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री गोपाल सिंह रावत, मा0स0, वि0स0 द्वारा दी गई सूचना पर मा0 संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

श्रीमन्, राज्य के मान्यता प्राप्त विद्यालयों में पत्राचार बी0टी0सी0 शिक्षकों के सम्बन्ध में श्री गोपाल सिंह रावत जी के द्वारा जो नियम–53 के अन्तर्गत सूचना दी गयी

थी, उसके सम्बन्ध में अवगत कराना है कि श्रीमन्, उत्तर प्रदेश के शासनदेश दिनांक 21.10.1994 द्वारा उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों, राजकीय विद्यालयों तथा सहायता प्राप्त बालक/बालिकाओं के माध्यमिक विद्यालयों से सम्बद्ध प्राईमरी विद्यालयों में कार्यरत् अप्रशिक्षित अध्यापकों/अध्यापिकाओं को द्विवर्षीय पत्राचार प्रशिक्षण प्रदान किये जाने का निर्णय लिया था। यह प्रशिक्षण मात्र अशासकीय मान्यता प्राप्त विद्यालयों के अप्रशिक्षित अध्यापकों के लिए था, जो शासन अथवा किसी विभाग के अन्तर्गत जिला शिक्षा अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त अशासकीय मान्यता प्राप्त विद्यालयों में अप्रशिक्षित रूप से नियुक्त हुए हैं। यह प्रशिक्षण उ0प्र0 के शासनादेश दिनांक 18.03.1996 द्वारा मात्र मृतक आश्रितों हेतु सीमित कर दिया गया तथा शासनादेश दिनांक 27.03.1998 द्वारा उक्त प्रशिक्षण समाप्त ही कर दिया। साथ ही शासनदेश दिनांक 13.06.1995 द्वारा घोषित अर्ह पत्राचार प्रशिक्षित अध्यापकों को सहायक अध्यापक/अध्यापिका के पद पर नियुक्ति अर्ह न माने जाने के आदेश भी निर्गत किये गये।

उ0प्र0 शासन के शासनदेश दिनांक 27.12.2004 के प्रस्तर–2(3) में उल्लिखित याचिका सं0–18563/2000 शैलेश कुमार द्विवेदी व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में दिनांक 14.08.2002 में पारित आदेश के विरूद्ध उ0प्र0 राज्य द्वारा योजित विशेष अपील सं0–10/2007 निम्नानुसार दिनांक 17.12.2008 को निर्णीत की गयी:

दि सबमिशन, इन अवर व्यू, हैज सब्सटेंस. इन व्यू देयर ऑफ, दिस अपील इज डिस्पोज्ड ऑफ डायरेक्टिंग दि कॉम्पिटेंट अथॉरिट टु कन्सीडर दि केस ऑफ दि पिटीशनर्स–रिस्पॉण्डेंट्स इन दि लाईट ऑफ टू कन्डीशन्स प्रोवाईडेड इन दि जजमेंट ऑफ दि कंडीशन्स प्रोवाईडेड बाई दि डिवीजन बैंच इन इट्स जजमेंट इन दि केस ऑफ काली चरण सिंह आर्या (सुप्रा), फर्दर, इफ दि पिटीशनर्स हैव एप्वाइंटेड आफटर दि इन्फोर्समेंट ऑफ 1975 रूल्स ऑफ 1978 रूल्स इन जूनियर प्रोविजन्स दियर ऑफ एण्ड विदआऊट पजेसिंग ट्रेनिंग क्वालिफिकेशन, सच पिटीशनर्स कैन नॉट बी एलाउड टु अण्डरगो ट्रेनिंग परसुएट टु दि गवर्नमेंट ऑर्डर डेटेड 06–09–1994 दस, ऑनली दोज पिटीशनर्स–रिस्पॉन्डेट्स, हू फुलफिल ऑल दि अफॉर्सेड रिक्वायरमेंट एण्ड डायरेक्शन्स, शैल बी एलाउड टु कम्प्लीट देयर ट्रेनिंग एण्ड देयर रिजल्ट शैल ऑलसो बी डिक्लेयर्ड. वी एकॉर्डिंगली मोडीफाई दि जजमेंट ऑफ दि ऑनरेबिल सिंगिल जज टु दि अफॉर्सेड एक्सटेंट एण्ड डिस्पोज दि स्पेशल अपील ऐज वैल ऐज दि रिट पिटीशन एकॉर्डिंगली.

अर्थात बेसिक शिक्षा अधिनियम–1975 पुनः संशोधित 1978 में अशासकीय प्राथमिक विद्यालयों/जूनियर हाईस्कूलों में अप्रशिक्षित अध्यापकों की नियुक्ति का प्राविधान नहीं है। अतः माननीय न्यायालय की डबल बैंच द्वारा अशासकीय विद्यालयों में

1975 से पूर्व कार्यरत अप्रशिक्षित अध्यापकों को ही पत्राचार माध्यम से बी0टी0सी0 प्रशिक्षण प्राप्त कराया जाना अनुमन्य किया गया। उक्त आदेश का अनुपालन उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा किया जा रहा है।

उक्त के अतिरिक्त माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील नम्बर–8034ऑफ 2006, 1234 से 1236 ऑफ 2008 में दिनांक 12–02–2008 को अंतिम रूप से निर्णित किया गया। उक्त निर्णय में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह व्यवस्था दी है कि उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश दिनांक 11–08–1997 के द्वारा बी0टी0सी0 के समान अन्य प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों एवं उपाधियों को प्रदान की गयी समकक्षतायें तात्कालिक प्रभाव से जो समाप्त की गयी थीं, उसे ग्राह्य करते हुये माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शासनादेश दिनांक 11–08–1997 को उचित ठहराते हुये उक्त सिविल अपील को स्वीकार किया गया है। जिसके द्वारा बी0टी0सी0 के अतिरिक्त कोई अन्य समकक्ष उपाधि मान्य नहीं है। चाहे वह किसी अन्य प्रदेश की बी0टी0सी0 ही क्यों न हो।

अतः उक्त बिन्दुओं के आधार पर पत्राचार बी0टी0सी0 उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को राजकीय सेवा में योजित किये जाने का कोई औचित्य नहीं है।

श्री अध्यक्षः–

अब हम उठते हैं, कल पूर्वाह्न 11:00 बजे तक के लिए।

(सदन की कार्यवाही 4 बजकर 59 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई.)

देहरादून :

दिनांक : 15 जुलाई, 2009

महेश चन्द्र,

सचिव,

विधान सभा, उत्तराखण्ड।

नत्थी "क"

(देखिये अतारांकित प्रश्न सं0 36 का उत्तर पीछे पृष्ठ सं0 47–48 पर)

अतारांकित प्रश्न सं0–36 का संलग्नक–

अल्मोड़ा जनपद में रोपित किये गये उतीस, बॉज, बुरांश व देवदार प्रजातियों का विकासखण्डवार विवरण

क्र0 सं0	विकास खण्ड	रोपित पौधों की संख्या				
		उतीस	बॉज	बुरांश	देवदार	योग
1.	धौला देवी	18208	35224	805	0	54237
2.	द्वाराहाट	78545	165665	0	24445	268655
3.	भिकियासैंण	28100	109175	0	2800	140075
4.	हवाल बाग	31912	168518	0	10786	211216
5.	भैसियाछाना	3050	18558	0	0	21608
6.	स्याल्दे	51520	79895	0	5500	136915
7.	सल्ट	2000	15500	0	0	17500
8.	चौखुटिया	29510	86252	0	4500	120262
9.	ताकुला	22000	95950	0	19390	137310
10.	ताड़ीखेत	92270	90548	370	11700	194888
11.	लमगड़ा	14936	39675	100	15695	70406
	योग	372051	904960	1275	94786	1373072

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 13 विधान सभा/184–16–08–2012–200 (कम्प्यूटर/रीजियो)